खण्ड-212, अंक-5
शुक्रवार, 19 चैत्र, शक संवत् 1882
(8 अप्रैल, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ८ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री,
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हुसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री

बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती

रामलक्षण तिवारी, श्री
राम लखन, श्री (वाराणसी)
राम लखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण , श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर , श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ , श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल , श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला, खां, श्री
हरकेशबहादुर , श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री

हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरौंसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हीरालाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ अप्रैल, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कला महाविद्यालय, लखनउ में डिग्री देने तथा बोर्ड से परीक्षा कराने की व्यवस्था

**१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कला महाविद्यालय, लखनऊ में कोई आर्किटेक्चर क्लास पिछले चार साल से खोला गया है जिसका तीन वर्ष का इंटरमीडिएट का कोर्स तथा दो साल का डिग्री का कोर्स रक्खा गया था और ऐसे आश्वासन शिक्षार्थियों को विद्यालय की Annual 1957 नामक पुस्तिका में प्रकाशित कर या अन्य प्रकार से दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पांच साल के कोर्स के बाद विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।

**२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मार्च, १९६० में राजकीय कला महाविद्यालय, लखनऊ के छात्रों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र इस आशय का मुख्य मंत्री तथा उप मंत्री उद्योग, श्री बहुगुणा के पास आया है कि आर्किटेक्चर क्लास में डिग्री देने की व्यवस्था की जाय तथा उसकी छोटी परीक्षायें बोर्ड आफ टैक्निकल ऐजूकेशन, यू० पी० द्वारा लेने की व्यवस्था की जाय ? अगर हां, तो सरकार ने इस पर क्या तय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। तृतीय वर्ष की परीक्षा बोर्ड द्वारा कराने और डिग्री देने की भी व्यवस्था की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जिन विद्यार्थियों ने ४ वर्ष का कोर्स करके परीक्षा दी थी और जो व्यवस्था टेक्निकल बोर्ड के द्वारा परीक्षा की जा रही है जो अभी तक नहीं हो पाई है, तो क्या बोर्ड आफ टैक्निकल एजूकेशन द्वारा परीक्षा लिये जाने पर सरकार उसको मान्यता दे देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो बोर्ड के ही हाथ की चीज होगी हालांकि बोर्ड इस साल भी परीक्षा के लिये तैयार नहीं है, वह अगले साल से इसके बारे में सोच रहा है। अभी तो वह इंसपेक्टर्स को भेजेंगे और देख लेंगे कि वहां का कार्य ठीक है, तब वह एफीलिएट करेंगे और उसके बाद डिग्री की मंजूरी का सवाल आता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था करने में इतनी देर क्यों लग रही है और वह कब तक हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक कि डिग्री की व्यवस्था की बात है उसके लिये आगरा यूनिवर्सिटी को लिखा गया था। अभी वहां से जाब्ते से कोई उत्तर नहीं आया है और अभी शायद वहां से स्वीकृति का पत्र आ रहा होगा। बोर्ड का कांस्टीट्यूशन हुए भी अभी थोड़े दिन ही हुए हैं और आल इंडिया सिलेबस इसके लिये एक निश्चय किया गया है और बोर्ड यह भी देख रहा है कि हमारा सिलेबस कहां तक उसके अनुकूल है। इन्हीं कारणों से देर हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब अभी तक आगरा यूनिवर्सिटी से हाल ही में एफीलियेशन की बातचीत हो रही है और उनकी स्वीकृति नहीं मिली है तो फिर वहां की एनुअल ५७ की प्रकाशित पुस्तिका में जो आश्वासन दिया गया था कि डिग्री दी जायगी, वह किस आधार पर दिया गया था जब कि यूनिवर्सिटी से एफीलियेशन नहीं हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल इस आशा के आधार पर कि हमारी बात विश्वविद्यालय और बोर्ड मान लेगा।

अध्यक्ष, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का पत्र

**३—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य सचिव को ३१ दिसम्बर, १९५९ को राजकीय कर्मचारियों के परिवार संबंधी आख्या के बारे में कोई पत्र अध्यक्ष, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की ओर से मिला है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। यह पत्र ऐसी संस्था की ओर से आया है जो सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा सकता, परन्तु जिस प्रश्न का उसमें चर्चा है उस पर सरकार ने स्वयं समय-समय पर विचार किया है।

श्री प्रतापसिंह—प्रश्न में यह नहीं पूछा गया था कि वह रिकग्नाइज्ड है या नहीं बल्कि यह पूछा गया था कि परिवार संबधी आख्या के बारे में कोई पत्र फेडरेशन से आया है या नहीं। क्या मंत्री जी उस पत्र को संक्षेप में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को अभी पढ़ा नहीं ह, उसमें उस संस्था का जिक्र है जिसको अस्वीकार किया गया है। ऐसी बात नहीं है जैसा कि वह कहते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने जवाब में कहा है कि उनकी मांगों के संबंध में सरकार ने विचार किया है, तो विचार करने के बाद क्या-क्या सुविधायें उनको दी गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस संबंध में अभी कोई सुविधा नहीं दी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस फेडरेशन को मान्यता देने में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस संबंध में २ शर्तें मुख्य रूप से हैं, एक तो यह कि उनके साथ कई संस्थायें संबंधित हैं जो कि स्वयं स्वीकृत नहीं हैं, उनसे कहा गया है कि पहले वह ऐसी संस्थाओं को अलग करें और उन्हीं को एफीलिएट करें जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। दूसरे जैसे कि हम और संस्थाओं को करते हैं जिन लोगों का रिकग्नीशन है उनसे कम से कम ६० प्रतिशत सदस्य हो जाएं। जब शर्तों को पूरा कर लेंगे तो मान्यता दे देंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को क्या नई सुविधायें दे सकेंगे यह सदन को बतावेंगे ? इस संबंध में प्रकाश डालने की क्या वे कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो सरकारी कर्मचारियों की बाबत कहा गया वह तो जनरल था। इस संबंध में जहां तक बात है जिसका कि जिक्र है, क्लास फोर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो सुविधायें नहीं थीं और जो अन्य लोगों को थीं हमने उनके संबंध में इन्तजाम किया। सफर करने में, ट्रांसपोर्ट में, फेमिली ले जाने आदि के खर्च के बारे में हमने निश्चय कर लिया है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी इसकी छानबीन करेंगे कि जिन शर्तों के बारे में उन्होंने कहा है कि उनकी पूर्ति कर दी गई है और वह फाइल कई दिनों से पेंडिंग पड़ी है और रिकग्नीशन देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत दिनों से पड़ी है ऐसी बात नहीं है। दो एक दिन के अन्दर हुई हो तो जाहिर है कि विचार करने में समय लग रहा होगा।

तम्बौर पोस्ट मार्टम डिस्पेन्सरी में डाक्टर का न होना

**४—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सत्य है कि सीतापुर जिले के एकमात्र पोस्ट मार्टम डिस्पेन्सरी (तमबौर) पर पिछले ६महीने से कोई डाक्टर नहीं है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी हां।

**५—श्री गौरीशंकरराय—क्या यह सत्य है कि उक्त डिस्पेन्सरी पर औसतन मासिक दो या तीन पोस्ट मार्टम के केसेज आते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। पोस्ट मार्टम केसेज का मासिक औसत १ १/२ है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पिछले ६ महीनों से डाक्टर क्यों नहीं है और कब तक उसकी व्यवस्था हो जाएगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो डाक्टर थे वह छुट्टी पर गये थे। उनसे और कम्पाउन्डर से झगड़ा था, वह जाना नहीं चाहते थे खतरा समझते थे। अब हम दूसरा इंतजाम कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—उन्होंने कहा कि ६ महीने से कोई डाक्टर नहीं है और प्रति माह डेढ़ केस आता है। तो ९ केस जो हुए उनका पोस्ट मार्टम किसने किया जब कि डाक्टर नहीं था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सदर हास्पिटल, सीतापुर ने।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—जो कम्पाउन्डर इतना खतरनाक है कि जिससे भय है, ऐसे खतरनाक कम्पाउन्डर को हटाने की कोशिश मंत्री जी करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह अन्तरिम जिला परिषद् का मुलाजिम था, अब वहां से बदल दिया गया है।

इटावा के पास चलती मालगाड़ी रोक कर चोरी

६—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़), **श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी) तथा **कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २९ मार्च, १९६० को इटावा के पास चलती माल गाड़ी को रोक कर गार्ड को धमकाकर लाखों रुपये का माल डाकुओं ने लूट लिया है? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं। डाकुओं ने इस प्रकार कोई माल नहीं लूटा। घटना चोरी की थी जिसका विवरण संलग्न है। चेकिंग से केवल १४ टायर कम पाये गये, जिसमें से १२ टायर लाइन के किनारे पड़े हुए बरामद हुए।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—उस माल डिब्बेमें कुल कितने टायर थे और गार्ड ने जी० आर० पी०, इटावा को कितने टायर गायब होने की सूचना दी थी?

श्री रामस्वरूप यादव—गार्ड ने तो टायर के गायब होने की सूचना नहीं दी, लेकिन जब गाड़ी शिकोहाबाद पहुंची तो चेकिंग हुई कि कितने टायर रवाना किये गये थे और कितने रह गये। उस चेकिंग के बाद १४ कम पाये गये। ठीक पता नहीं है लेकिन शायद २०० से ऊपर टायर थे।

कुंवर श्रीपालसिंह—जैसा कि उन्होंने संलग्न विवरण में दिया है, गाड़ी रोकने के बाद कितनी देर के बाद गार्ड उस डिब्बे के पास पहुंचे जिसका दरवाजा खुला हुआ था और जिसमें से टायर गायब हुए?

श्री रामस्वरूप यादव—कितने मिनट बाद पहुंचे इसकी सूचना तो नहीं है और संभव भी नहीं है। लेकिन जब गार्ड ने देखा कि सिगनल भी लाल नहीं है और गाड़ी बीच में खड़ी है तो वह उतर कर इंजन की तरफ गया और रास्ते में डिब्बा खुला पाया।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—जिन लोगों ने टायर चोरी किये हैं वे व्यक्ति तथा जिस ट्रक में लेकर भागे थे वह भी पकड़ा गया?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी जांच हो रही है, अभी पकड़े नहीं गये। कुछ काश्तकारों ने बतलाया कि एक ट्रक वाले ने कहा कि टायर हम छोड़ गये थे वह कहां हैं, इस पर शक हुआ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मंत्री जी नत्थी में दिये हुए विवरण को बतायेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ने की इजाजत तो नहीं दूंगा। अगर मंत्री जी संक्षेप में बता सकें तो बता दें।

श्री रामस्वरूप यादव—एक मालगाड़ी जो लगभग रात में १२.२५ पर इटावा से रवाना हुई और जब सरायभोपत स्टेशन के आउटर सिगनल पर पहुंची तो वहां रुक गई। गार्ड अपने डिब्बे से निकल कर इंजन की तरफ चले तो देखा कि वैकुअम काट दिया गया है और एक डिब्बा खुला हुआ है। उस गाड़ी को ले जाकर जसवन्तनगर रोका और डिब्बे को सील कराया और सुबह शिकोहाबाद स्टेशन पर पहुंचकर के चेक किया गया तो पता चला कि उसमें १४ टायर कम हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने बताया कि वैकुअम गिर गया था तो यह कैसे गिरा? क्या उस डिब्बे में कोई बैठा हुआ था जिसने गिराया? क्या गाड़ी रुकने के बाद किसी ने गिराया क्योंकि वह तो ब्रेक का वैकुअम होता है?

श्री रामस्वरूप यादव---वैकुअम तो काट दिया जाता है, उसके बाद गाड़ी चल नहीं सकती। यही समझा जाता है कि कुछ लोग इटावा पर उस गाड़ी पर सवार हो गये और ताला तोड़ कर उन्होंने माल गिराया और सरायभोपत के स्टेशन को देख कर वैकुअम काट दिया जिससे गाड़ी खड़ी हो जाय और वे भाग जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रेलवे पुलिस को ऐसी सूचना है कि ऐसी घटनाओं में कुछ लोग चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं और डिब्बे काट कर माल निकाल लेते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो नई बात है नहीं। बहुत से लोग इतने होशियार होते हैं जो चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं और डिब्बे काट कर माल को गिरा देते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत]

*१-२---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३-४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

डाकुओं द्वारा आगरे में आत्मसमर्पण करने का निश्चय

*५---**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) तथा **कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या गृह मंत्री को विदित है कि आगरा और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों की दस्यु समस्या हल करने के लिये आचार्य विनोबा की प्रेरणा से कुछ व्यक्ति प्रमुख दस्यु दल से मिले थे और उन्होंने उन्हें आत्म-समर्पण के लिये तैयार किया था? क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह कहां तक सत्य है कि कुछ दस्यु दल आत्म-समर्पण करने को तैयार हो गये थे, उसकी तिथि भी निश्चित हो गयी थी, परन्तु दस्यु-अभियान में लगी हुई पुलिस की कुछ कार्यवाहियों ने यह योजना विफल कर दी थी?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। इसकी सूचना मिली थी।

दस्युओं के आत्मसमर्पण के लिये २७ जनवरी, १९६० निश्चित हुई थी परन्तु किसी दस्यु ने आत्म-समर्पण नहीं किया। इसके लिये पुलिस को दोषी ठहराने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में अखबारों में जो टिप्पणियां निकली हैं उनको पढ़ा है जिनमें यह कहा गया है कि पुलिस ने, जिस दिन आत्म-समर्पण होने वाला था उससे पहले ही, कुछ इसी तरह की हलचल की थी जिससे दस्यु लोगों ने अपना विचार बदल दिया?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, अखबार में पढ़ा। लेकिन मैंने बताया कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे पुलिस दोषी ठहरायी जाय।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डाकुओं के गिरोह ने सरकार के पास कोई लिखित अथवा मौखिक किसी के जरिये अपनी शर्त भी भेजी थी कि वह किस प्रकार, कैसे, कहां पर सरकार सामने सरेंडर करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निजी जानकारी शायद सब से ज्यादा मुझको ही है इसलिये मैं ही इसका जवाब देता हूं। डाकुओं की तरफ से लिखित कोई चीज नहीं आयी। लेकिन मुझसे जनरल यदुनाथ सिंह मिले। श्री विनोबा भावे के कहने पर उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया। उन्होंने डाकुओं के दल से सम्पर्क स्थापित किया और उसके बाद वह मुझसे मिले और यह तय हुआ कि अमुक दिन डाकू लोग आगरा में आत्म-समर्पण कर देंगे मेरे सामने। लेकिन किन्हीं कारणों से वह लोग वहां नहीं पहुंचे और इसकी इत्तला हमको पहले से मिली कि वे नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिये मैंने भी वहां जाने का विचार स्थगित कर दिया। जनरल यदुनाथ सिंह अब भी इस कोशिश में हैं कि इस तरह की बात हो सके, लेकिन जो भी कारण हो अभी तक इस बात में सफलता नहीं प्राप्त हुई है। इतना और बतला दूं कि हमने डाकुओं से किसी प्रकार का कोई वायदा नहीं किया। यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो यह बात जरूर है कि मारपीट नहीं होगी। लेकिन जो भी उन पर मुकदमे होंगे वे पूरी तरह से चलाये जायंगे और उनमें जो सजा होगी उन सजाओं को भुगतने के लिये उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। इतनी इच्छा उन्होंने प्रकट की कि उनके खानदान की जो जमीनें हैं और उनकी जमीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है तो इस बात की हम मदद करेंगे कि जिसका कोई घर द्वार होगा वह अपने घर द्वार पर पहुंच सके और उसको उसकी जमीन मिल सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या जनरल यदुनाथ सिंह तथा उनके साथियों ने इस बात की सरकार से शिकायत की कि दस्यु दल ने इसलिये आत्मसमर्पण नहीं किया कि पुलिस उनको बीच में गिरफ्तार कर लेगी या गोली से बीच में मार देगी और उन्हें आने भी नहीं दिया जायगा, तो क्या सरकार इस बात का आश्वासन देने को तैयार है कि जिस दिन वे आत्मसमर्पण करेंगे तो उस दिन उनको गिरफ्तार न किया जाय या गोली से न मारा जाय और आत्मसमर्पण करने के बाद उन पर मुकदमा चलाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह आश्वासन उन्हें दे दिया गया था कि किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होगी, गोली चलाना तो दूर रहा और यह भी उनके कहने पर इन्तजाम किया गया था कि सवारी हम दे देंगे और जिस समय तक वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे उस समय तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जनरल यदुनाथ सिंह ने यह कहा कि पुलिस सतर्क बहुत थी, इसलिये डर की वजह से डाकू लोग नहीं आये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन-कौन से डाकू आत्म-समर्पण करने को तैयार थे, क्या पुरस्कार सहित वह डाकुओं का दल था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ये लोग रूपा के दल के थे।

परिवहन आयुक्त के लखनऊ कार्यालय में अपर ग्रेड के रिक्त स्थान

*६--श्री मदनमोहन वर्मा (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में ८०-२४० के ग्रेड में कितने रिक्त स्थायी (परमानेन्ट) स्थान हैं और किस समय से रिक्त पड़े हैं और उसका कारण क्या है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--परिवहन आयुक्त के कार्यालय में १-४-५७ से ८०-२४० के ग्रेड में १० स्थान स्थायी किये गये जिन पर अभी तक किसी व्यक्ति का स्थायीकरण नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि सम्बन्धित व्यक्तियों ने निर्धारित विभागीय परीक्षा अभी पास नहीं की है।

* ७--श्री मदनमोहन वर्मा--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उक्त कार्यालय में ८०-२४० के वेतन-क्रम में कुछ व्यक्तियों को बगैर परीक्षा के स्थायी कर दिया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---जी हां। विभागीय परीक्षा के आदेश जारी होने के बाद केवल एक व्यक्ति को ८०-२४० के वेतन-क्रम में बगैर परीक्षा के स्थायी किया गया।

* ८---श्री मदनमोहन वर्मा---यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री धर्मदत्त वैद्य---इसका कारण यह है कि यह व्यक्ति उक्त वेतन-क्रम में दिनांक १८-७-५५ से स्थायी कर दिया गया था लेकिन बाद में एक दूसरे व्यक्ति, जो कि सुपरसीड कर दिया गया था, के प्रतिनिधान पर उनका स्थायीकरण निरस्त कर दिया गया था, अतः स्थायी स्थान रिक्त होते ही उन्हें १-५-५७ से स्थायी कर दिया गया।

[८ अप्रैल, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

* १-२---श्री लक्ष्मणराव कदम---[१४ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २६-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लोहामंडी के थानेदार द्वारा आत्महत्या

* ३---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जनवरी, सन् १९५९ से नवम्बर, १९५९ ई० तक कितने थानेदार आत्म-हत्या करके मर गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त अवधि में केवल एक घटना हुई, जिसमें एक थानेदार ने आत्महत्या कर ली।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये किस जिले के किस थाने में थे और क्या यह बात सत्य है कि अपनी आत्महत्या करने के पहिले इन्होंने पहले अपने बच्चों को गोली से मार दिया, फिर अपनी आत्महत्या कर के मर गये?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सही है कि आत्महत्या करने से पहले इन्होंने अपने बच्चों को गोली से मारा और ये आगरा जिले में लोहामंडी थाने में अफसर दोयम थे।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसने पता लगाया है कि इस तरह से आत्महत्या करने के कौन-कौन से कारण थे?

श्री रामस्वरूप यादव---वह एक पत्र भी छोड़ गये थे जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि उनकी मानसिक तथा मनःस्थिति इस योग्य नहीं थी कि वे अपने परिवार का बोझ वहन कर सकते।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या उन थानेदार ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि उनकी मानसिक स्थिति इसलिये खराब थी कि उनके ऊपर काम का बहुत बोझा था?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सूचना मेरे पास नहीं है। जो सूचना थी वह मैंने दे दी।

कुंवर श्रीपालसिंह---माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह अपने परिवार का बोझा नहीं उठा सकते थे इसलिए आत्महत्या की। तो यह देखते हुये कि सभी सब-इंस्पेक्टर्स की तनख्वाह कम है, उनमें से जो ईमानदार थे उन्होंने अपने को शूट कर लिया और जो रह गये हैं क्या उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे जिससे कि ऐसी घटनायें न हों?

श्री रामस्वरूप यादव---तनख्वाहों का सवाल जब भी कभी होगा तो इसी विधान सभा में आयेगा। पुलिस कमीशन इन सब बातों पर विचार कर रहा है।

* ४---श्री गनेशचन्द्र काछी---[१४ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

* ५-७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--[न्याय मंत्री से सम्बन्धित ९वें गुरुवार के लिये प्रश्न २९-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।)

* ८--श्री लक्ष्मणराव कदम--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

*९--श्री लक्ष्मणराव कदम--[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर इण्टरमीडिएट कालेज में विद्यार्थियों द्वारा अनशन

* १०--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तारीख २७-११-५९ से कानपुर इन्टरमीडिएट कालेज, कानपुर में चार विद्यार्थियों ने कालेज के प्रबन्ध में गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में अनशन किया था जिसके फलस्वरूप जिला शिक्षा निरीक्षक ने जांच-पड़ताल की थी ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--जी हां।

*११--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त कालेज के सम्बन्ध में क्या समुचित कार्यवाही की गई है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--मामले में अधीनस्थ शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन-कौन सी गड़बड़ियां थीं जिनके कारण उक्त चार विद्यार्थियों ने अनशन किया था और जिसमें जांच भी हुई थी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--ज्यादातर गड़बड़ी कालेज के हिसाब के सम्बन्ध में थी और उसी सम्बन्ध में जांच की गयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भी गड़बड़ियां थीं उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है जिससे वे गड़बड़ियां दूर हो सकें ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जो रिपोर्ट आयी है उसमें उन्होंने यह संस्तुति दी है कि बहुत से मामले ऐसे हैं हिसाब के सम्बन्ध में जिनको मैं ठीक जांच नहीं कर सकता, उसको सी० आई० डी० के सिपुर्द किया जाय और इसलिये शासन ने अभी यह निर्णय नहीं किया कि क्या कार्यवाही की जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे विषय भी गोपनीय हैं जो सी० आई० डी० के सुपुर्द किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनमें गबन के भी मामले हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--गबन के हैं या नहीं यह कहना तो कठिन है लेकिन कुछ ऐसे जरूर हैं कि जैसे बिल्डिंग का फंड नहीं होता है मगर उन्होंने खेलकूद का जो रुपया था उसको बिल्डिंग फंड में लगा दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टाफ पर जिन गड़बड़ियों के आरोप हैं उनमें से मुख्य-मुख्य क्या हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--मुख्य-मुख्य तो मैंने बतलाये कि ज्यादातर ऐसे हैं, करीब १५-१६ मामले जिनमें से जो हमारे जांच अधिकारी हैं उनमें से १ या २ के अलावा बाकी को वह सही नहीं मानते हैं और १ या २ के बारे में उन्होंने कहा है कि वह उनके बारे में फैसला नहीं कर सकते इसलिये उनकी जांच सी० आई० डी० से करवाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---वह कौन-कौन से मामले हैं, यह वह जानना चाहते हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री---रेडियो खरीदा गया, फर्नीचर खरीदा गया, इस तरह के हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनशनकारियों ने अनशन करने से पहले मंत्री जी के सामने कुछ सवाल रखे थे तो उस सम्बन्ध में उस वक्त क्या कार्यवाही की गयी?

श्री दीनदयालु शास्त्री---इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं।

टड़वा भीखेपुर ग्राम की डकैती

*१२---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना अजीतमल, जिला इटावा के अन्तर्गत ग्राम टड़वा भीखेपुर में सन् १९५९ के किस माह व तारीख में सशस्त्र डकैती पड़ी एवं कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त ग्राम में ३० सितम्बर, १९५९ की रात्रि में एक सशस्त्र डकैती पड़ी। उसम ३,१८० रु० मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई।

*१३---**श्री भजनलाल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस डकैती में कुल कितने व्यक्ति किस किस ग्राम के गिरफ्तार किये गये?

श्री रामस्वरूप यादव---७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें से २ व्यक्ति ग्राम पनिहर के, ३ ग्राम मुढ़ी के व २ ग्राम अयाना के थे।

श्री भजनलाल---क्या यह सही है कि जो दो व्यक्ति पनिहर के गिरफ्तार हुये हैं उन में से एक लोधी जाति का पागल था जिस ने मुरादगंज के होटल में खाना खाया और पैसा न देने पर रात भर पेड़ में बंधा रहा और सुबह को पुलिस ने गिरफ्तार करके मौके का मुलजिम बना कर चालान कर दिया?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह डकैती का मुकदमा अदालत के विचाराधीन है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतायेगी कि कितने डकैत मौके पर पकड़े गये और कितने बाद में पकड़े गये?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरी सूचना से तो मैं समझता हूं कि बाद में ही सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री भजनलाल---क्या मन्त्री जी इसको सूचना मानकर सी० आई० डी० से जांच करायेंगे? मैं स्वयं ४-५ आदमियों के साथ वहां पर गया था और होटल वाले ने बताया कि यह मामला सही है।

श्री अध्यक्ष---अगर अदालत में मुकदमा है तो आप वहां गवाही में यह बातें कह सकते हैं।

श्री भजनलाल---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यदि वह पागल है तो उस के दिमाग का टेस्ट बरेली या आगरा भेजकर करायेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह प्रश्न अदालत के सामने उपस्थित किया जा सकता है क्योंकि वही इस मामले में निर्णय लेगी।

आजमगढ़ जिले की पुलिस चौकियां

*१४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में ऐसी कौन-कौन पुलिस चौकियां हैं जिन्हें स्थापित हुये ५ वर्ष से अधिक हो गया है, पर अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है ?

*१५--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन पुलिस चौकियों के भवनों का किराया सरकार द्वारा दिया जाता है तथा कितना-कितना ?

*१६--क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन पुलिस चौकियों के पास सरकारी भवन हैं तथा उन में से कौन-कौन पुलिस चौकियां पुलिस स्टेशनों के रूप में परिवर्तित होने जा रही हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८७ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो ६ चौकियां ५ साल से कायम हैं इनको मुस्तकिल न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी यह स्थायी करने की स्थिति में नहीं हैं और न रुपया ही है जो स्थायी कर दी जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पुलिस चौकियों को स्थायी करने का आधार क्या होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--आवश्यकता और इसके साथ-साथ में यह भी कि धन उपलब्ध है या नहीं ।

*१७-१८--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--[१४ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१९-२१--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--[११ वें गुरुवार के लिए प्रश्न १७--१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२-२३--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--[१४ अप्रैल, १९६० के लिए प्रश्न ३४-३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राबर्ट्सगंज अपर-प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल की इमारत न होना

*२४--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में अपर प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल की इमारत को २०० रु० महीने किराये पर नार्मल स्कूल चलाने के लिए सरकार ने अन्तरिम जिला परिषद्, मिर्जापुर से लिया है ? यदि हां, तो दोनों इमारतों में कितने कमरे हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां, तीन इमारतें किराये पर ली गयी हैं। इनमें १५ कमरे हैं।

*२५--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नार्मल स्कूल राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--इस समय तक ३९ विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं ।

*२६--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए फूस का झोंपड़ा बनाया गया है और बच्चे उसमें पढ़ने के लिए नहीं आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां, इस समय परिषद् ने फूस के झोंपड़े बना दिये हैं। विद्यार्थी बराबर पढ़ने आते हैं।

श्री ऊदल--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब ३९ विद्यार्थी ही ट्रेनिंग ले रहे हैं तो १५ कमरे क्यों लिये गये हैं?

श्री दीनदयालु शास्त्री--१५ कमरों में से ४ कमरे जिला अन्तरिम परिषद् ने खाली नहीं किये हैं। बाकी में अध्यापक रहते हैं और विद्यार्थी पढ़ते हैं।

श्री ऊदल --क्या मन्त्री जी इसको सूचना मानकर जांच करायेंगे कि लड़के खुले मैदान में झोपड़ियों में पढ़ने नहीं आते हैं और उनके पढ़ने के लिए इमारत की व्यवस्था करेंगे?

श्री दीनदयालु शास्त्री--मेरी सूचना के अनुसार जब पक्के मकान में स्कूल था तो कम लड़के आते थे और झोंपड़ियों में ज्यादा आते हैं। जूनियर हाई स्कूल में २१८ अंकित थे उन में से १८१ आते थे और फिर २१६ अंकित हैं उनमें से २०५ आते हैं। प्राइमरी पाठ-शाला में ३६२ अंकित थे और २५४ आते थे, अब ३६३ अंकित हैं और २६० आते हैं। इस्लामिया में ५२ अंकित थे और ३० आते थे, अब ४२ अंकित हैं और ३० आते हैं।

श्री अध्यक्ष--यानी आपका मतलब है कि वटवृक्ष के नीचे और ज्यादा आयेंगे।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि झोंपड़े में जब लड़के पढ़ते हैं तो अधिक संख्या में आते हैं और स्कूल में पढ़ते थे तो कम आते थे, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि जितनी स्कूल की बिल्डिंग हों उन को तोड़कर झोंपड़े की शक्ल में कर दिया जाय?

श्री दीनदयालु शास्त्री--बात यह है कि जिस समय झोंपड़े बनाये थे, उस समय वर्षा-काल था, लड़के कम आते थे, अब ज्यादा आते हैं। और यह अन्तरिम जिला परिषद् का कार्य है कि वह अपने विद्यार्थियों के लिए भवन बनवाये।

*२७-२९--कुंवर श्रीपालसिंह--[१४ अप्रैल, १९६० के लिए प्रश्न ३६-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३०-३१--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[२९ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

सराय खुर्जा के थानेदार की मुअत्तली

*३२--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि दिसम्बर, सन् १९५९ में जौनपुर जिले के अन्तर्गत थाना सराय खुर्जा के थानेदार को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वह एक चोर के साथ एक सेठ के यहां सो रहे थे?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी नहीं। किसी थानेदार को गिरफ्तार नहीं किया गया। बल्कि एस० पी० ने इस थाने के सब इन्स्पेक्टर को रात की गश्त के समय गैर हाजिर पाया और पता लगाने पर उसे एक सर्राफ की दुकान पर सोया पाया।

*३३--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है और उसे मुअत्तल कर दिया गया है।

झांसी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*३४--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में दिसम्बर, १९५९ तक कितने स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों (राजनीतिक पीड़ितों) अथवा उन के सम्बन्धियों को पेन्शन स्वीकार की गयी हैं अथवा दी जा रही हैं और कितनी-कितनी ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)--झांसी जिले में दिसम्बर, १९५९ तक ६८ स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों (राजनीतिक पीड़ितों) अथवा उनके सम्बन्धियों को पेंशन स्वीकृत की गयी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४८८-४९० पर)

इटावा जिले में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के थानेदार

*३५--श्री भजनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कुल कितने थानेदार हैं ? उनमें कितने परिगणित जाति एवं पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इटावा जिले में कुल ३९ थानेदार हैं जिनमें ४ परिगणित जाति के तथा ४ पिछड़े वर्ग के हैं।

श्री भजनलाल--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन चार परिगणित जाति के थानेदारों को जो सीनियर भी हैं अब तक इन्चार्ज नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसकी सूचना, श्रीमन्, नहीं है लेकिन यह सुपरिन्टेंडेंट पुलिस का कार्य है कि वह योग्यता देखकर थाने का इन्चार्ज बनावे।

*३६-३७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[२८ अप्रैल, १९६० के लिए प्रश्न २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३८-३९--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[१४ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३९-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।

*४०-४१--श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---[हटा दिये गये।]

*४२-४३--श्री प्रतापसिंह--[१४ अप्रैल, १९६० के लिए प्रश्न ४१-४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सूचना विभाग से पत्रिकाओं का प्रकाशन

*४४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के सूचना विभाग की तरफ से वर्तमान समय में कौन-कौन सी पत्र-पत्रिकायें कितनी-कितनी प्रकाशित हो रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चार पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं जिनके नाम हैं "त्रिपथगा", "उत्तर प्रदेश," "नया दौर" तथा "ग्राम्या"। इनकी क्रमशः लगभग ३,०००; ३,१००; ३,५०० तथा ५,७०० प्रतियां प्रकाशित हो रही हैं।

*४५—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पत्र-पत्रिकायें कब से प्रकाशित हो रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—त्रिपथगा—अक्तूबर, १९५५ से, उत्तर प्रदेश—अप्रैल, १९५५ से, नया दौर—अप्रैल, १९५५ से तथा ग्राम्या—१२ फरवरी, १९५९ से ।

*४६—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में पहले से प्रकाशित होने वाला कौन-कौन सी पत्रिकायें बन्द कर दी गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई नहीं ।

*४७—श्री राजनारायण—[हटा दिया गया ।]

बस कण्डक्टरों को समान वेतन देने की प्रार्थना

*४८—श्री मुक्तिनाथराय—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि मैट्रिक और नान-मैट्रिक रोडवेज बस-कन्डक्टरों के वेतन दर में असमानता है ? यदि हां, तो क्यों और इस असमानता का क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां, इनके वेतन दर निम्नांकित हैं :—

	मैट्रिक	नान-मैट्रिक
१—सिटी बस सर्विस कन्डक्टर	रु० ६०-४-१०० - दक्षता अर्गल—४—१०० ।	रु० ४५-२-६५ - दक्षता अर्गल—३—८० ।
२—रूरल सर्विस कन्डक्टर	रु० ६०-४-८० - दक्षता अर्गल—४—१०० ।	रु० ४०-३-७० ।

इस असमानता का कारण यह है कि दोनों प्रकार के कन्डक्टरों की शैक्षिक योग्यता भिन्न है ।

*४९—श्री मुक्तिनाथराय—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज रीजन में बुकिंग क्लर्क और सहायक बुकिंग क्लर्क के अलग-अलग पद हैं और वेतन में भी असमानता है ? यदि हां, तो कितनी और असमानता का क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—दिनांक १-४-६० से सहायक बुकिंग क्लर्क के पद को बुकिंग क्लर्क के पद में परिवर्तित कर दिया गया है ।

*५०—श्री मुक्तिनाथराय—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के कपड़ों (सरकारी युनिफार्म) की धुलाई में पहले जो पैसा मिलता था उसमें अब कुछ कमी कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोनों प्रकार के कन्डक्टरों के कार्य के घंटे तथा उनके कार्य समान रूप से एक ही हैं या भिन्न-भिन्न हैं ? यदि एक ही हैं तो क्या शैक्षिक योग्यता को आधार न मानकर श्रम के आधार पर उन के वेतन में समानता लाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, कार्य के घंटे एक ही हैं और अब भविष्य में नान-मैट्रिक को लेने की व्यवस्था नहीं रहेगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार को ज्ञात है कि जब से मैट्रिक पास बस कन्डक्टर होने लगे, तब से चूंकि वह पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, इसलिए सामान उठाने में हिचकिचाते हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब मैट्रिक और नान-मैट्रिक कन्डक्टर्स का काम एक ही है तो फिर उन के विषय में जो यह विचार हो रहा था कि उन को एक ही प्रकार का वेतन दिया जाय, उसके विषय में अन्तिम निर्णय हो गया अथवा अभी तक विचाराधीन है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)---सरकार के समक्ष ऐसे प्रश्न हमेशा विचाराधीन रहते हैं। जहां तक कन्डक्टर्स के अन्तर का प्रश्न है इस प्रदेश में करीब-करीब ३ हजार कन्डक्टर्स हैं जिसमें से १ हजार के करीब नान-मैट्रिकुलेट्स हैं। इसलिए इतनी संख्या को देखते हुये धनाभाव के कारण इस समय कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि कुछ मैट्रिक पास कन्डक्टर जब कई साल सर्विस करने के बाद स्केल के मुताबिक परमोशन पा चुकते हैं तब उन को बुकिंग क्लर्क बनाया जाता है तो बेसिक पे पर मुकर्रर किये जाते हैं ?

डाक्टर सीताराम---ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी उन्होंने कहा कि नान मैट्रिक कन्डक्टर नहीं बनाये जायेंगे तो क्या नान मैट्रिक जो आज तक कन्डक्टर थे वह सही काम नहीं करते थे ? किस आधार पर यह निर्णय किया गया कि मैट्रिक पास ही कन्डक्टर बनाये जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैट्रिक पास शुदा ज्यादा संख्या में हैं और ऐसे आदमी रखने से काम अच्छा होता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी धनाभाव के कारण चूंकि एक हजार कंडक्टर नान मैट्रिक हैं, और यह देखते हुए कि नान मैट्रिक और मैट्रिक दोनों का काम एक है, तो नान मैट्रिक वहां पर ज्यादा हैं, उनको कम तनख्वाह पर रख कर धनाभाव के कारण से बचने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह आपका सुझाव है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समान कार्य के लिये समान वेतन हो इस सिद्धान्त को देखते हुये सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उनका वेतन भी उनके ही मुताबिक हो ?

डाक्टर सीताराम---इस प्रश्न का उत्तर मैं पिछले सप्लीमेंटरी प्रश्न में दे चुका हूं कि सरकार के समक्ष ऐसा प्रश्न हमेशा विचाराधीन रहता है किन्तु इस समय धनाभाव के कारण सामने नहीं है।

आगरा रोडवेज कार्यालय में असिस्टेण्ट ट्रैफिक इन्स्पेक्टरों के लिये पेनल

*५१---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री परिवहन २०-८-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८-३९ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि सामान्य प्रबन्धक, आगरा रोडवेज के कार्यालय में वेटिंग-लिस्ट बनाने के अतिरिक्त

कार्यालय सामान्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, लखनऊ के कार्यालय में भी वेटिंग-लिस्ट बनाई गयी है और इसके विषय में श्री शिव प्रसाद शुक्ला, बी० ए० को लिखे गये पत्र नं० एल० आर०/ई० एस० टी०/३१ (आई०)-३०५०, दिनांक ८ मई, १९५९ में निम्नांकित उल्लेख किया गया है :—

Reference your letter dated April 22, 1959, for the post of Assistant Traffic Inspector you are hereby informed that we have already formed a waiting panel for the said post in this office and you will only be called for test and interview, etc., in the next meeting of Regional Selection Committee only when the candidates already on the list have been absorbed.

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां ।

*५२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो क्या मंत्री परिवहन बतलाने की कृपा करेंगे कि सामान्य प्रबन्धक आगरा रोडवेज के कार्यालय में वेटिंग-लिस्ट बनाने की तथा लखनऊ सामान्य प्रबन्धक, रोडवेज के कार्यालय में बनाई गई वेटिंग-लिस्ट को न बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—रोडवेज क्षेत्र, आगरा में असिस्टेंट ट्रेफिक इन्सपेक्टर के ३ पद रिक्त थे और कुछ और पद रिक्त होने की सम्भावना थी, अतः वहां पर वेटिंग लिस्ट बनाने की आवश्यकता हुई ।

जनरल मैनेजर, लखनऊ रोडवेज के कार्यालय की वेटिंग लिस्ट के विषय में उल्लेख इसलिये नहीं किया गया था क्योंकि माननीय सदस्य ने १९५९ में बनी वेटिंग लिस्ट के विषय में पहले पूछा था। लखनऊ की वेटिंग लिस्ट १९५९ में नहीं वरन् १९५८ में बनाई गई थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिव प्रसाद शुक्ल, बी० ए० का प्रार्थना-पत्र कार्यालय सामान्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, लखनऊ को सर्वप्रथम कब और कैसे प्राप्त हुआ था ?

डाक्टर सीताराम—२२ अप्रैल, १९५९ को मिला था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि शिव प्रसाद शुक्ल, बी० ए० का प्रार्थना-पत्र सितम्बर, १९५८ को कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

रोडवेज कर्मचारियों की हाई कोर्ट से कथित बहाली

*५३—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि १-१-५५ से ३१-१-५५ तक प्रदेश के राजकीय रोडवेज के कितने ऐसे कर्मचारी हाईकोर्ट द्वारा पुनः नौकरी पर बहाल किये गये जिन्हें विभाग द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया था और उन्हें कुल कितना धन वेतन व हर्जाने के रूप में सरकार को देना पड़ा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—कोई नहीं। अतः वेतन व हर्जाना देने का प्रश्न नहीं उठता।

*५४—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त नौकरी पर बहाल किये गये व्यक्तियों में से कितनों ने वेतन व हर्जाने के क्लेम नहीं किये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—प्रश्न नहीं उठता ।

*५५--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो धन सरकार को वेतन वा हर्जाने के रूप में देना पड़ा उसमें से कितना सरकार को भुगतना पड़ा और कितना सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों (जिनके आदेश हाई कोर्ट ने अवैध कर दिये थे) से recover किया, realise किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन तथा पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड के सदस्य

*५६--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के हरिजन व पिछड़े वर्ग कल्याण बोर्ड के समस्त सदस्यों की संख्या क्या है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--५३।

*५७--श्री प्रतापसिंह--[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

प्राइमरी अध्यापकों का वेतन बढ़ाने की प्रार्थना

*५८--श्री प्रतापसिंह--क्या गृह मंत्री प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितना ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह--क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी के मुताबिक जो नया प्लान शुरू किया गया है उसमें अपर प्राइमरी स्कूल की एक नयी मांग की गयी है और दूसरे वे अल्प वेतन भोगी अध्यापक हैं, इस नाते क्या सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाना चाहती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--समय-समय पर सरकार भी इस दिशा में विचार करती रही है, लेकिन अन्तिम निर्णय इसलिये नहीं कर पायी कि जब तक केन्द्रीय सरकार से हमें इस दिशा में क्या मिलेगा यह हम न समझ लें तब तक हम इस पर विचार नहीं कर सकते और यह मामला स्थगित है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार किया है कि जिसमें उन्होंने मांग की हो कि अपर प्राइमरी के मास्टरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये रुपया चाहिये ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--केन्द्रीय सरकार से तो सारी प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में ही चिट्ठी-पत्री हो रही है।

हरिजन तथा पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड के सदस्य

*५९--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक २० जून, १९५९ को "राज्य हरिजन तथा पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड" को पुनः संगठित किया गया ? यदि हां, तो इस बोर्ड के सदस्यों को किस प्रणाली से छांटा गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां, किन्तु २० जून को नहीं ५ जून को यह बोर्ड संगठित किया गया, प्रतिनिधित्व की दृष्टि से छांटा गया।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बोर्ड में कितने सदस्य हैं और वह कहां-कहां से लिये गये हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--अभी प्रश्न ५६ के उत्तर में मैंने बतलाया कि इस बोर्ड में ५३ सदस्य हैं और वह कहां से लिये गये इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इसमें प्रतिनिधित्व स्थानों से नहीं बिरादरियों की दृष्टि से किया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बोर्ड के लिये जो आदमी छांटे गये उनकी योग्यता का आधार क्या है और क्या उसमें इस आदरणीय सदन के सदस्य भी हैं? यदि हां, तो उसमें विरोधी दल के कितने हैं?

श्री दीनदयालु शास्त्री--१२ तो इस सदन के सदस्य एम० एल० ए० के तौर पर छांटे गये और कुछ सदस्य इस नाते छांटे गये कि वे कई बिरादरियों का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, वे उन १२ सदस्यों में नहीं आते थे। अब उनमें कितने विरोधी दल के हैं यह मैं नहीं कह सकता।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त बोर्ड में कोई सदस्य मेहतर वर्ग का भी है?

श्री अध्यक्ष--उनके पास फेहरिस्त होती तो वे विरोधी दल के नाम भी बता देते।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बोर्ड का जो नया गठन हुआ है उसमें क्या कुछ विरोधी दल के भी एम० एल० ए० रखे गये हैं?

श्री दीनदयालु शास्त्री--उसी के बारे में मैंने बतलाया।

आदमपुर भटपुरा, ककरी तथा कोरिनपुरवा की डकैतियां

*६०--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, थाना कोठी, ग्राम आदमपुर भटपुरा में २२ फरवरी सन् १९६० ई० को डकैती पड़ी और बन्दूकें चलीं? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री रामस्वरूप यादव--डकैती कोई नहीं पड़ी। एक डकैती की रिपोर्ट नामजद थाने पर लिखाई गई जो झूठी व बनावटी पाई गई।

*६१--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तारीख २४ जनवरी, सन् १९६० ई० को पूरेमंगल सिंह मजरे ककरी, थाना लोनी कटरा में डकैती पड़ी थी? यदि हां, तो कितने रुपये की डकैती हुई और उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*६२--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत दिनांक २८ जनवरी, सन् १९६० ई० को कोरिनपुरवा, थाना कोतवाली में डकैती पड़ी थी? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और किन-किन व्यक्तियों का चालान हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव--२८ जनवरी को तो नहीं, किन्तु २९-२-६०। १-३-६० की रात्रि को उक्त ग्राम में एक डकैती पड़ी। इस सम्बन्ध में ५ अभियुक्त अब तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं। अभी मामले की जांच की जा रही है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--यह डकैती जो दबायी जा रही है, इस सम्बन्ध में एक पत्र जो डी० आई० जी० को दिया गया था उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब डकैती पड़ गयी तो उस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं, अथवा उसकी इंवेस्टीगेशन किस स्टेज पर है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो उत्तर दे दिया कि वह सही नहीं पायी गयी, बनावटी पायी गयी। भारतीय दंड विधान की धारा १८२ के अनुसार अब स्थानीय अधिकारी उस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के संबंध में कहा गया है "जी नहीं, डकैती नहीं पड़ी" लेकिन अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में यह कहा गया है कि डकैती पड़ी है। तो इस में कौन-सी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष--यह पहले आप अपनी सूचना उनके पास भेज दें।

(अगला प्रश्न पुकारा गया)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, इन प्रश्नों के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी प्रश्न जो माननीय सदस्य नहीं कर सके वह जरूर स्पष्ट हो जाना चाहिये था। उसकी स्थिति ऐसी ही कुछ है। उसी विषय पर एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर भिन्न है और तारांकित प्रश्न का उत्तर भिन्न है। अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पढ़ा जाये और तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि दोनों में मेल नहीं है। इसका स्पष्टीकरण, श्रीमन्, जरूर हो जाना चाहिये। माननीय सदस्य को जो सूची मिली उसमें गांव के नाम मौजूद हैं। इसलिये...

श्री अध्यक्ष--अब तो मैं आगे बढ़ गया हूं। आखिर में जब सवाल खत्म हो जायेंगे तो उसकी सफाई हो जायेगी।

श्री रामस्वरूप यादव--मैं उत्तर, श्रीमन् आपकी आज्ञा हो तो दे दूं।

श्री अध्यक्ष--आप उसके लिये स्टडी कर रखें क्योंकि अगर यह भ्रम रह जाता है तो अच्छा नहीं।

हरिहरपुर ग्राम में हरिजनों को पीटने की शिकायत

*६३--श्री राजनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ७-२-६० को सिटी मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ने अपने आदेश द्वारा पुलिस व अधिकारियों को हरिहरपुर ग्राम आजमगढ़ के हरिजनों की रक्षा का आदेश दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--दिनांक ७-२-६० को सिटी मैस्ट्रेट, आजमगढ़ ने, एक श्री चौथी हरिजन व श्रीमती बसमतिया द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर मुकदमा स्थापित करने तथा विवेचना करने के लिये आदेश दिया था जिस पर मुकदमा धारा १४७/३२३ व ३५४ भा० दं० वि० के अंतर्गत कायम हुआ।

*६४--श्री राजनारायण--क्या यह सही है कि उसके बाद उन हरिजनों को पुनः पीटा गया जिसकी सूचना जिलाधीश को ७ फरवरी, १९६० को दी गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--हरिजनों को पुनः ७-२-६० को पीटे जाने की कोई सूचना जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुई।

मनकापुर के थाना इंचार्ज के विरुद्ध शिकायतें

*६५—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना इन्चार्ज, मनकापुर, जिला गोंडा के विरुद्ध १ अक्तूबर, सन् १९५९ से ३१ दिसम्बर सन् १९५९ तक कितनी शिकायतें एस० पी० गोंडा से मिली हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१२ ।

*६६—श्री बलदेवसिंह (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जांच से कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

*६७—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*६८-६९—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

सीमापार गांव की कथित डकैती

*७०—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७, १९५८ और १९५९ में बस्ती जिले के चिल्हिया पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत कितनी डकैतियां पड़ी हैं और किन-किन स्थानों पर ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त थाने के अन्तर्गत सन् १९५७ व १९५९ में कोई डकैती नहीं पड़ी । सन् १९५८ में एक डकैती ग्राम भसजिदिया में पड़ी ।

श्री प्रभुदयाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारा प्रश्न रह गया ?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न हो गया । आप बैठे ही रहे, आपने पूछा नहीं । मैंने दो दफा आपकी तरफ देखा, आप बातें कर रहे थे ।

श्री प्रभुदयाल—क्या माननीय गृह मंत्री बतायेंगे कि सीमापार गांव में डकैती पड़ी थी, उसकी गलत रिपोर्ट कर दी थी पुलिस ने, गृहमंत्री को इस प्रकार की एक दरख्वास्त दी गयी थी । क्या वह जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी, ऐसा पत्र भेजने की मेरे पास सूचना नहीं है ।

विश्वविद्यालयों के गोरखपुर जिले के छात्रों को सहायता

*७१—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर जिले के छात्र जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय में वर्ष १९५९-६० में अध्ययन कर रहे हैं उनमें से कितने छात्रों ने शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग को आर्थिक सहायता हेतु वर्ष १९५९-६० में आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—आर्थिक सहायता के लिये छात्रों से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं उनमें अधिकांशतः केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय व कक्षा जिसमें छात्र अध्ययन करता है, ही उल्लेख होता है, छात्र किस जिले का निवासी है इसका उसमें उल्लेख नहीं होता । ऐसी दशा में प्रश्न में मांगी गई सूचना उपलब्ध करना सम्भव नहीं है ।

*७२--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनमें से हर एक विश्वविद्यालय के उपरोक्त जिले के कितने छात्रों को आर्थिक सहायता के रूप में कितना-कितना धन सरकार की तरफ से प्रदान किया गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिन विश्वविद्यालय के छात्रों ने आर्थिक सहायता पाने के लिए दरख्वास्त दी है उनका पूरा पता मंगा करके देने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--इसमें तो समय और व्यय इतना अधिक होगा कि उसके उपयुक्त शायद यह सूचना न हो सके ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इस प्रकार के जो उत्तर होते हैं कि इसमें समय और व्यय जो लगेगा वह प्रश्न की महत्ता के बराबर नहीं होंगे, यह बड़ी अनुचित बात होती है । इसको तो प्रश्नकर्त्ता अच्छी तरह समझता है, यह उत्तर ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--यह पद्धति संसदीय है । ऐसे उत्तर दिये जाते रहे हैं वर्षों से और सरकार दे सकती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह उत्तर तो नकारात्मक रूप में है, इसमें उत्तर न देने की वृत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--यह ठीक है ।

श्री गौरीराम गुप्त--जिन जिन विश्वविद्यालयों के छात्रों को आर्थिक सहायता दी गयी है उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--इस समय तो रखना सम्भव नहीं है ।

श्री गौरीराम गुप्त--कब तक दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--आपने मूल प्रश्न में यह बात रखी नहीं थी, तो पूरक प्रश्न में इसे कैसे पूछ सकते हैं ? दूसरा सवाल आप नया लिख कर भेजेंगे तब वे जवाब देंगे ।

*७३--श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)--[हटा दिया गया ।]

उन्नाव-सदर मार्ग की लारियों का परमिट

*७४--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कुछ महीने पूर्व जारी किये गये सरकारी आदेश द्वारा हसनगंज तथा मलिहाबाद से जिला उन्नाव सदर जाने वाली मोटर लारियों के परमिटों को अजगैन तक ही कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी हां । क्योंकि अजगैन उन्नाव विज्ञापित मार्ग है और परिवहन आदेशिक प्राधिकारी को बगैर परिवहन आयुक्त की अनुमति के विज्ञापित मार्ग का परमिट देने का अधिकार नहीं है ।

*७५--श्री सजीवनलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या स्थानीय तहसील के तथा थाने के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता ने मांग की है कि इन लारियों का स्थायी परमिट सदैव की भाँति उन्नाव सदर तक का कर दिया जाये ?

डाक्टर सीताराम--इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

मवाना थाना क्षेत्र में श्री खुशीराम के पुत्र का कत्ल

*७६—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या खजान सिंह, थाना मवाना, जिला मेरठ को दिसम्बर, १९५९ में कत्ल करने का प्रयत्न किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—खजान सिंह नहीं बल्कि श्री खुशीराम त्यागी को दुश्मनी के कारण कत्ल करने का प्रयास किया गया था।

*७७—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री**—क्या यह सही है कि उन्हीं कातिलों ने उपर्युक्त व्यक्ति के पुत्र को १५ दिन बाद ही कत्ल कर दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। श्री खुशीराम के पुत्र का कत्ल १-२-६० को हुआ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खुशीराम के जिले के सभी अधिकारियों को सूचित करने पर भी उनकी तथा उनके बेटे की रक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए पहले सूचना कर दी थी, लेकिन दुःख की बात अवश्य है कि उनके लड़के की हत्या हो गयी और उन पर भी हमला किया गया।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि खुशीराम के गोली लगने के बाद खुशीराम जी ने जिले के उच्च अधिकारियों से प्रार्थना की थी कि दारोगा पार्टी-वार्टी में शरीक है, उसे तुरन्त वहां से हटाया जाय ? यदि हां, तो क्यों नहीं दरोगा को खुशीराम के बेटे के कत्ल से पूर्व हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बाद में सवाल पैदा होता है, पहले यह पूछिये कि उनको मालूम है या नहीं। पहले हिस्से का जबाव मंत्री जी दें।

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने अभी उत्तर दिया कि मेरे पास इस तरह की सूचना नहीं है कि उन्होंने कोई शिकायत की।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने इस प्रश्न की सूचना मंगायी तो इस बात की सूचना क्यों नहीं मंगायी कि सुरक्षा के लिए कोई प्रयत्न किया गया था या नहीं, या जब कत्ल करने का प्रयत्न किया गया तो अपनी तरफ से सरकार ने कोई उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह आशा नहीं की जाती थी कि यह अनुपूरक प्रश्न पूछा जायगा कि सुरक्षा करने के लिये कितनी शिकायतें की गईं। घटनायें हुआ करती हैं, ३०७ की भी हुआ करती हैं। अगर हर घटना के बारे में इस बात की जानकारी कराई जाय कि किस-किस की शिकायत थी तो यह सम्भव नहीं होगा। अगर किसी विशेष व्यक्ति ने शिकायत की हो तो उसकी सूचना मंगाई जा सकती है और उस पर कार्यवाही भी की जा सकती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—ऐसी स्थिति में जबकि प्रश्न ७६ के प्रश्नकर्त्ता ने सूचना हाउस में दी कि उस व्यक्ति के पिता ने थानेदार के पास कत्ल होने के सम्बन्ध में शिकायत लिखाई, तो क्या अब माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कत्ल में पुलिस ने क्या कार्यवाही की और कितने लोग गिरफ्तार हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव---९ आदमियों का इसमें हाथ मालूम पड़ता है। १२० बी० और ३०२ का मुकदमा कायम किया गया है और कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं और कुछ ऐब्सकान्ड कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ऐब्सकान्ड कर रहे हैं उन पर ८७-८८ की कार्यवाही हुई है और क्या जो गिरफ्तार हुये उनकी जमानत हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुलिस पूरी कार्यवाही कर रही है गिरफ्तार करने के लिये। जमानत के सम्बन्ध में मेरे पास सूचना नहीं है ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे इन दोनों प्रश्नों के बाद उन्होंने जिला स्तर से इस बात की सूचना कि इस दर्दनाक कत्ल में किस का हाथ या षडयंत्र हो सकता है, क्यों नहीं मंगाई ?

श्री अध्यक्ष---इसका जबाव उन्होंने दे दिया, अब यह नहीं उठता ।

*७८---**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री**--[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला सूचना अधिकारियों के स्थायीकरण का मामला

*७९---**श्री मुक्तिनाथराय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९ में हुये चुनाव के बाद पुराने जिला सूचना अधिकारियों में से कितने व्यक्ति स्थायी किये गये और कितने नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तक किसी अधिकारी को स्थायी घोषित नहीं किया गया है। लोक सेवा आयोग की सिफारिशें अभी शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री मुक्तिनाथराय---माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सन् १९५५-५६ में डाइरेक्टर आफ इन्फार्मेशन ने इन जगहों को गजटेड किया, वेतन क्रम बनाये, पोस्टें परमानेन्ट हुईं लेकिन अधिकारी परमानेन्ट क्यों नहीं किये गये, इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्थायीकरण से पहले यह आवश्यक था कि यह सब लोक सेवा आयोग के सामने जाते। आयोग ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं कि कितने व्यक्तियों को वह स्वीकृति दे रहे हैं स्थायीकरण के लिये और मामला शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६० में पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन ५२ सूचना अधिकारियों की जगहों के लिये परमानेन्ट और पेंशनेबिल नियुक्ति के लिये सिफारिश की उसमें काफी लोग जो कि पिछले १२-१३ सालों से काम कर रहे थे उनको निकाल दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---मुझे जहां तक स्मरण है, अभी कोई निकाले नहीं गये। अभी लोक सेवा आयोग और गवर्नमेन्ट में लिखा पढ़ी हो रही है और मामला सरकार के विचाराधीन है ।

*८०-**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)---[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

नोट:---तारांकित प्रश्न ७९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*८१--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक पेंशन तथा अन्य आर्थिक सहायता के लिये राजनीतिक पीड़ितों के जिलेवार कितने-कितने प्रार्थना-पत्र आये और जिलेवार कितनों को पेंशन तथा अन्य आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना के संकलन में जो श्रम और समय लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुये लाभदायक न होगा। सदस्य महोदय यदि किसी विशेष जिले के व्यक्ति विशेष को पेंशन आदि दिये जाने के सम्बन्ध में जानना चाहते हों तो कार्यालय में आकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

वाराणसी में बेसिक ट्रेनिंग स्कूल के लिए ली गई कोठी गोपाल लाल विला का मुआविजा

*८२--श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने बेसिक ट्रेनिंग स्कूल के लिये आर्डरली बाजार, वाराणसी में स्थित गोपाल लाल विला नामक कोठी को लिया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, १९-३-१९५९ को।

*८३--श्री श्रीकृष्ण गोयल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपरोक्त कोठी का मुआविजा सरकार ने दे दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। शासन ने मुआविजे का धन जिलाधीश वाराणसी को दे दिया है कि वे कुछ आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने पर मूल्य अदा कर देंगे।

*८४--श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--[२९ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

रोडवेज बस द्वारा दुर्घटनायें

*८५--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९५९ से ३१ दिसम्बर, ५९ तक रोडवेज की बसों से कितने ऐक्सीडेंट हुये हैं और उनसे सरकार का कितना नुकसान हुआ है ?

डाक्टर सीताराम--इस अवधि में रोडवेज की गाड़ियों से कुल ९८६ ऐक्सीडेंट हुये और उन से सरकार को लगभग रु० १,८४,५७४.५२ नये पैसे का नुकसान हुआ है।

*८६--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रोडवेज की बसों पर चलने वालों को माहवारी पास लेने पर कन्सेशन देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

आजमगढ़ में कण्डक्टर ट्रेनिंग में अनुत्तीर्ण व्यक्ति

*८७--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ में ३ जनवरी, ६० को कन्डक्टर ट्रेनिंग में अनुत्तीर्ण कुछ व्यक्तियों को विभाग में सेवा का पुनः अवसर दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

*८८--९०--श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)--[२९ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

सहारनपुर जिले में हरिजन व पिछड़ी जाति के लोगों की कान्स्टेबुलों में भर्ती

*९१—**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में सन् १९५७, ५८, ५९ ई० में प्रत्येक सन् में कुल कितने कांस्टेबिलों का चुनाव हुआ और उसमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना निम्नलिखित है :—

	१९५७	१९५८	१९५९
(क) भर्ती किये जाने वाले कांस्टेबिलों की संख्या		३१	१७
(ख) चुने गये हरिजन कांस्टेबिलों की संख्या		..	..
(ग) चुने गये पिछड़ी जातियों के कांस्टेबिलों की संख्या.. ..		२	१

*९२-९३—**श्री द्वारिकाप्रसाद** (जिला फर्रुखाबाद)—[२९ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

उन्नाव जिले स राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*९४—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ५७-५८, ५८-५९, और ५९-६० में पृथक-पृथक उन्नाव जिले से कितने राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र पेंशन अथवा अन्य सहायता के लिए आये हैं ?

*९५—क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८, ५८-५९, और ५९-६० के कितने कितने प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय लिया जा चुका है और कितने-कितने प्रार्थना-पत्र अब तक विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्नों में वांछित सूचना के संकलन में जो श्रम और समय लगेगा वह प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुये लाभदायक न होगा। सदस्य महोदय यदि किसी विशेष व्यक्ति को पेन्शन या अन्य वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में जानना चाहते हों तो कार्यालय में आकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

सरकारी व गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के मिनिस्टीरियल व मीनियल कर्मचारियों को समान सुविधा देने की प्रार्थना

*९६—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय तथा शिक्षा कार्यालयों में काम करने वाले मिनिस्टीरियल व मीनियल कर्मचारियों को तथा उन के आश्रितों को जो सुविधायें प्रदान की गयी हैं, क्या वही सुविधायें गैर सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के इसी वर्ग के कर्मचारियों को भी दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सुविधाएं मुख्यतयः तीन प्रकार की हैं जो निम्नवत् है :—

(१) वेतन-क्रम सम्बन्धी सुविधायें।

(२) छुट्टियां सम्बन्धी सुविधायें।

(३) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें।

इनकी स्थिति निम्नवत है :—

(१) सरकारी व गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के मिनिस्टीरियल व मीनियल कर्मचारियों के वेतन-क्रम में विशेष असमानता नहीं है। यह लगभग समान है बल्कि अधिकतर गैर-सरकारी विद्यालयों के निम्न कर्मचारियों (चपरासी इत्यादि) के वेतन-क्रम सरकारी विद्यालयों में प्रचलित वेतन-क्रमों से अच्छे हैं। अतएव समान वेतन सुविधा का प्रश्न नहीं उठता। (२) व (३) छुट्टियों सम्बन्धी सुविधाओं तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न विचाराधीन है।

*९७—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[२९ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र में मोटर दुर्घटनायें

*९८—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत थाना सिकन्दरपुर में माह फरवरी, सन् १९६० ई० में मोटर गाड़ियों द्वारा कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दो।

*९९—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मोटर दुर्घटनाओं से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा कितने घायल हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दो व्यक्ति मरे तथा एक घायल हुआ।

*१००—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मोटर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस की तरफ से कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दोनों मामलों में जांच के बाद अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है। इस समय दोनों मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।

"नया भारत" साप्ताहिक को सूचना विभाग के विज्ञापनों से प्राप्त धन

*१०१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० में कितने विज्ञापन सूचना विभाग द्वारा 'नया भारत' साप्ताहिक पत्र को दिये गये और उन विज्ञापनों के उपलक्ष में कितना धन उक्त पत्र को अदा किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना विभाग ने जो विज्ञापन इस साप्ताहिक को जारी किये और जिनका भुगतान किया उसकी सूचना निम्न प्रकार है :—

	विज्ञापनों की संख्या	भुगतान रु०
१९५८–५९	२०	१,४१६
१९५९–६०	२१	२,१६८

हायर सेकेंडरी स्कूलों के क्लर्कों के वेतन में कथित रिवीजन तथा सूचना विभाग से फिल्म बनाने का ठेका

*१०२—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अभी हाल में शिक्षा उपमन्त्री, श्री दीन दयालु शास्त्री ने अपने हरदोई जिले के दौरे के सिलसिले में यह घोषणा की थी कि सहायता प्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूलों के क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन-क्रम का जुलाई, १९५९ में रिवीजन हो गया है और इस सम्बन्ध में दीवाली के बाद शीघ्र घोषणा होगी? यदि हां, तो सरकार कृपया बतायेगी कि सहायता प्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूलों के क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों का रिवाइज्ड वेतन-क्रम क्या है और कब से लागू होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*१०३—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस वर्ष सूचना विभाग में कोई फिल्म बनाने के लिए किसी को ठेका दिया है? यदि हां, तो किस रेट से ठेका हुआ है और क्या ठेका देने के पहले कोई टेन्डर मांगे गये थे और टेन्डरों में सब से कम रेट किस का था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५९-६० में सूचना विभाग में फिल्म बनाने का ठेका श्रीमंत सिने यूनिट आफ इन्डिया, पूना को १५ रु० प्रति स्वीकृत फुट की दर से तथा श्री वी० एम० नरेश, बम्बई को १४ रु० प्रति स्वीकृत फुट की दर से दिया गया है। ठेका देने से पहिले टेन्डर मांगे गये थे। सब से कम रेट श्रीमंत आडियों विजुअल आर्टस्, बम्बई का था।

*१०४—**श्री द्वारिकाप्रसाद**—[२९ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

गोरखपुर रोडवेज विभाग के क्लर्कों का स्थायीकरण

*१०५—**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर में कितने जनरल क्लर्क्स को १-४-५५ तथा १-४-५६ से स्थायी किया गया है?

डाक्टर सीताराम—१-४-१९५५ से ४ जनरल क्लर्क्स तथा १-४-५६ से ६ जनरल क्लर्क्स को स्थायी किया गया है।

*१०६—**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज वर्कशाप के कर्मचारियों को ओवरटाइम तथा बोनस दिया जाता है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर पारितोषिक (Reward) तथा मानदेय (Honoraria) दिये जाते हैं।

गोरखपुर जिले में अपराधशील जातियों को बसाने के लिए प्रयास

*१०७—**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)—जुलाई २५, १९५८ को विधान सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में निवास करने वाली भूतपूर्व अपराधशील जातियों को बसाने के लिए कितनी भूमि व कहां-कहां पर कृषि योग्य प्राप्त करने का प्रयत्न अब तक किया गया है और क्या वह भूमि प्राप्त हो गयी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अन्य विमुक्त जातियों के समान गोरखपुर में निवास करने वाली भूतपूर्व अपराधशील जातियों को बसाने के लिए ग्राम गंझवा व बोझिया तहसील नानपारा, जिला बहराइच में गांव समाज की ७९२ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गयी है।

*१०८—श्री रामसूरतप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर उन्नयन बस्ती में इस समय उक्त जातियों के कुल कितने परिवार (पुरानी जेल के नाम से स्थित भवन में) निवास कर रहे हैं और उन के जीवन निर्वाह के क्या साधन सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—६० परिवार निवास कर रहे हैं। प्रायः सभी निवासी अपनी जीविका नगरपालिका, गोरखपुर तथा रेलवे विभाग में नौकरी कर के चला रहे हैं। १७ वृद्ध तथा असहाय व्यक्तियों को डोल्स भी दिया जाता है और ५ परिवारों को कृषि योग्य भूमि भी दी गयी है।

नवीन नार्मल स्कूल

*१०९—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या गृह मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो नये ४८ नार्मल स्कूल खोले गये हैं उनमें से कितने देहाती क्षेत्र में खोले गये हैं और कितने शहरों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३७ नार्मल स्कूल देहाती क्षेत्र में तथा ११ शहरी क्षेत्र में खोले गये हैं।

*११०—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त स्कूल कहां.कहां खोले गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४९१-४९२ पर)

*१११—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या गृह मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि नार्मल स्कूल जिन जगहों पर खोले गये, उन की जगह तय करने का क्या आधार था तथा किस के द्वारा निर्णय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग को देखते हुये जिन स्थानों में समुचित भवन आदि प्राप्त हो सके हैं उन स्थानों में शिक्षा संचालक द्वारा ये स्कूल खोले गये।

*११२-११३—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—[२९ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये ।]

आगरा रोडवेज क्षेत्र की नौकरियों में परिगणित जाति के लोगों का निर्धारित कोटा न होना

*११४—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आगरा डिवीजन रोडवेज के मुहकमे में १८ प्रतिशत शेड्यूल कास्टस के लोग नहीं रखे गये हैं ? यदि नहीं रखे गये हैं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—यह ठीक है कि राजयकीय रोडवेज आगरा रीजन में परिगणित जाति के लोगों का सभी नौकरियों में अभी १८ प्रतिशत कोटा पूर्ण नहीं हुआ है। इसके कारण निम्नलिखित हैं :

(१) टेक्निकल पदों के लिये उपयुक्त परिगणित जाति के व्यक्तियों का अभाव।

(२) जिन पदों के लिये जमानत निर्धारित की गई है उनके लिये जमानत न दे सकना।

(३) उच्च पदों के लिये उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त परिगणित जाति के अभ्यर्थियों का अभाव ।

बिन्दकी रोडवेज स्टेशन के निर्माण का स्थगन

*११५--श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिन्दकी रोडवेज स्टेशन सन् १९५९ तक बनने वाला था वह अभी तक क्यों नहीं बना ?

डाक्टर सीताराम-- बिन्दकी में जो जमीन बस-स्टेशन बनाने के लिये ली गई थी वह वर्तमान आवश्यकता के लिये कम पाई गई। इसलिये बस स्टेशन का निर्माण कार्य दूसरी जमीन लेने के समय तक स्थगित कर दिया गया ।

*११६-११८--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं जिले में डाके व कत्ल

*११९--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में अप्रैल, सन् ५९ से फरवरी, सन् ६० तक कितने डाके पड़े और कहां-कहां ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल २२ डाके पड़े। स्थानों का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

*१२०--श्री टीकाराम--उन डाकों में कितने-कितने कत्ल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपर्युक्त डकैती की २२ घटनाओं में से ५ डाकों में ६ व्यक्ति कत्ल हुए।

हरदोई जिले में रिवाल्वर तथा बन्दूक के लाइसेंस

*१२१--श्री शम्भुदयाल (जिला हरदोई)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में तहसीलवार १ अप्रैल, १९५८ से २९ फरवरी, १९६० तक कितने रिवाल्वर तथा बन्दूक के लाइसेंस दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी गई सूचना निम्नांकित है --

तहसील	रिवाल्वर	बन्दूक
हरदोई	.. ३३	३११
शाहाबाद	९	१७१
सन्डीला	६	८८
बिलग्राम	९	१८०

हायर सेकेंडरी स्कूलों के काष्ठ-कला अध्यापकों का वेतन बढ़ाने पर विचार

*१२२--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या सरकार हायर सेकेंडरी स्कूलों के काष्ठ-कला अध्यापकों को भी कला (आर्ट) अध्यापकों की भांति १२०--३०० रु० का ग्रेड निर्धारित करने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विचाराधीन है ।

जीवनपुर रोडवेज स्टेशन तथा आजमगढ़-अजमतगढ़ बस सर्विस की योजना

*१२३--श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में कप्तानगंज और जीवतपुर में रोडवेज स्टेशन बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

डाक्टर सीताराम---कप्तानगंज में रोडवेज बस स्टेशन बनाने की अभी कोई योजना नहीं है। जीवनपुर का मामला विचाराधीन है।

*१२४--श्री विश्रामराय ---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़-जीवनपुर अजमतगढ़-छपरा सुल्तानपुर रोड पर रोडवेज की बसें चलाने की योजना कब तक लगू होगी ?

डाक्टर सीताराम---वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में केवल आजमगढ़ से अजमतगगढ़ तक रोडवेज की बसें चलाने का विचार है। अजमतगढ़-छपरा सुल्तानपुर मार्ग पर इस वित्तीय वर्षमें रोडवेज बसें चलाने का विचार नहीं है।

*१२५---श्री मोतीलाल अवस्थी---[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१२६---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ में मिसिंग चिल्ड्रेन स्क्वैड के कार्य

*१२७--श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ की पुलिस (flying squad) ने जो बच्चों के बचाने का काम करते हैं, सन् १९५९ में कितने बच्चों को ढूंढ़ा और उक्त अवधि में उसके पास कितने बच्चों के लापता होने की शिकायत आई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---लखनऊ पुलिस का फ्लाइंग स्क्वैड बच्चों को बचाने या ढूंढ़ने का काम नहीं करता है। इसके लिये एक अलग स्क्वैड है जिसका नाम मिसिंग चिल्ड्रेन स्क्वैड है। सन् १९५९ में १९४६ बच्चों के खोने की शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से १,३८७ बच्चे पुलिस ने ढूंढ़े। ५४५ बच्चे संरक्षकों को स्वयं मिले। शेष १४ लापता हैं।

*१२८---डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

खुटार-मैलानी बस सर्विस की मांग

*१२९---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से खुटार तक जो बसें चलती हैं उनको खुटार से आगे मैलानी तक चलाने का कब तक विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम---अभी खुटार को मैलानी से मिलाने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अतः इस सड़क पर रोडवेज बस चलाना सम्भव नहीं है।

*१३०-१३१---श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)---[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

तिलहर तहसील से बन्दूक के लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र

*१३२--श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में कितने व्यक्तियों ने सन् १९५९ में बन्दूक के लाइसेंस को पाने के लिये अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से कितने स्वीकार किये गये और जो अस्वीकार किये गये उनके क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल १९५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से २८ स्वीकार हुए और ८१ अस्वीकार और ८६ विचाराधीन हैं। अस्वीकृति का कारण प्रार्थियों की आवश्यकता का यथार्थ न पाया जाना तथा उनकी हैसियत का समुचित न होना था।

*१३३--श्री रूर्मासिह--क्या यह सही है कि कुछ प्रार्थना-पत्र ऐसे भी हैं जिनको दो-दो वर्ष हो गये किन्तु उन पर अभी विचार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। इसका कारण यह है कि अभी इन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पूरी नहीं हो पायी है।

*१३४--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

पुराण कोष के प्रकाशन पर अनुमानित व्यय तथा दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के लिए कथित सुझाव

*१३५--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार कोई पुराण कोष बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय करने और उसको कब तक पूरा करने का अनुमान है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। पुराण कोष के संकलन और प्रकाशन पर कुल २,११,००० रु० का व्यय होने का अनुमान है। यह कार्य वित्तीय वर्ष १९६३-६४ तक पूरा होने का अनुमान है।

*१३६--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार के पास कोई ऐसे सुझाव आये हैं कि दसवें दर्जे तक निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिये एक-एक दर्जे की शिक्षा निःशुल्क करने के बजाय निम्न स्तर की आमदनी के हिसाब से हर दर्जे में शिक्षा साधनों के अनुसार निःशुल्क की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*१३७--कुमारी कमल कुमारी गोईंदी (जिला इलाहबाद)--[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, नैनी में पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज न होना

*१३८--कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि नैनी Agriculture Institute में Post-craduate classes खोलने की आज्ञा दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*१३९--श्री छेदीलाल (जिला खीरी)--[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

नवीन माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अनुदान

*१४०--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कितने नये माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सरकारी अनुदान देना स्वीकार किया गया--

(अ) उनके नाम जिलेवार क्या हैं ?

(ब) उनमें से प्रत्येक को कितना धन अनुदान में दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--६५ विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान दिया गया है।

(अ) (ब)--एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४९४-४९७ पर)

बिठूर में नाना साहब स्मारक के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*१४१--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के बिठूर कस्बे में स्थापित नाना साहब स्मारक के लिये किस सन् में कितनी भूमि एक्वायर की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५७ में ९.८०४ एकड़ तथा सन् १९५९ में ०.७० एकड़।

*१४२--श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नाना साहब स्मारक के लिये ली गयी भूमि का कितना मुआवजा बना है और भूमि के मालिकों को मुआवजा कब भुगतान किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल ३,५१० रु० ३८ नए पैसे के अवार्ड घोषित किये गये और उनका रुपया दिनांक ७ दिसम्बर, १९५९ तथा ६ जनवरी, १९६० को बांटा गया।

*१४३--श्री रामस्वरूप वर्मा--[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

मोटर रिक्शे

*१४४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री परिवहन किराये से चलने वाले मोटर रिक्शों को कुछ शहरों में लाइसेंस देने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो किन-किन शहरों में ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

लखनऊ मोटर आपरेटर्स यूनियन की मांगें

*१४५--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ मोटर आपरेटर यूनियन ने दिसम्बर, १९५९ में कोई प्रार्थना-पत्र मंत्री परिवहन के पास भेजा है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं और सरकार ने उन मांगों पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। सरकार का ध्यान मोटर टायरों की कमी तथा बढ़ती हुई कीमत की ओर आकृष्ट करते हुए लखनऊ मोटर आपरेटर्स यूनियन ने यह सुझाव दिया था कि मोटर टायर्स डिस्ट्रिक्ट मोटर आपरेटर्स यूनियन को बिक्री के लिये कम्पनी द्वारा दिये जायं और यूनियन उन्हें मोटर आपरेटर्स को निर्धारित दामों पर वितरण करने की जिम्मेदारी उठायेगी।

यह मामला प्रदेशीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मोटर टायर्स की कमी दूर करने तथा उनके वितरण आदि के विषय में केन्द्रीय सरकार उचित कार्यवाही कर रही है।

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध स्ट्रिक्चर्स

*१४६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७-५८ और सन् १९५९ में क्रमशः कितने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा स्ट्रिक्चर्स पास किये गये और उनमें से कितनों पर पुलिस रेगुलेशन ५०० के मुताबिक विभागीय जांच की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना के एकत्रित करने में जो श्रम तथा समय लगेगा वह कदाचित उत्तर की उपयोगिता देखते हुए बहुत अधिक होगा। यदि सदस्य महोदय किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में जानकारी करना चाहेंगे तो उसके बारे में उचित नोटिस मिलने पर सूचना दे दी जायगी।

*१४७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित बारहवें बुधवार के लिये प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१४८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

पंचनगरियों में मोटर दुर्घटनायें

*१४९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९ में (१-१-५९ से ३१-१२-५९ तक) राज्य के कवाल टाउन्स (लखनऊ, कानपुर इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी) में कितने road accidents प्रत्येक नगर में अलग-अलग हुए ?

*१५०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त road accidents में से कितने सांघातिक (fatal) साबित हुए ?

*१५१—उन सांघातिक (fatal) साबित होने वाली दुर्घटनाओं में से कितने मामलों में अभियुक्त पकड़े गये और कितनों को न्यायाललों से दंड प्रदान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे ४९८ पृष्ठ पर)

*१५२—कुंवर श्रीपालसिंह—[हटा दिया गया।]

*१५३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

नार्मल स्कूल, लखीमपुर के ट्रेनीज की सूची

*१५४—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि इस वर्ष नार्मल स्कूल, लखीमपुर के लिये जो ट्रेनीज की सूची अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा बनायी गई थी, उसको जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी के कार्यालय द्वारा बदल दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*१५५—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो उक्त कार्यालय से बदलने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न ही नहीं उठता।

भोजपुरा थाना क्षेत्र में कत्ल व डकैती

*१५६—श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना भोजपुरा, जिला बरेली में १९५८-५९ में किस-किस ग्राम में कत्ल और डकैती हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५८ में उक्त थाने के अन्तर्गत किसी ग्राम में कत्ल अथवा डकैती नहीं हुई।

१९५९ में ग्राम घटमापुर, नाराफरीदपुर व जमुनिया जागीर में डकैती पड़ी तथा ग्राम कुवाडांडा में एक कत्ल हुआ।

राजकीय हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजेज

*१५७—**राजा वीरेन्द्रशाह**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश भर में कितने राजकीय इन्टर कालेज व हाई स्कूल देहाती क्षेत्र में हैं और कितने और जगह हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देहाती क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
†सूची (क) १०	६६
†सूची (ख) २०	३७

सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के लिपिकों के वेतन बढ़ाने की प्रार्थना

*१५८—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सहायता प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं के लिपिकों के वेतन में भी हाल में ही कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*१५९—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—क्योंकि सरकारी शिक्षा संस्थाओं के लिपिकों के वेतन-क्रम में तथा गैर-सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिपिकों के वेतन-क्रम में कोई विशेष असमानता नहीं है।

*१६०—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या सरकार इनके वेतन में निकट भविष्य में परिवर्तन करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

जिला परिषदों के अध्यापकों का वेतन देने के लिए अनुदान

१—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया), **श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के वेतन में सरकार जिला परिषदों को सहायता देती है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस जिले को कितनी रकम दी गई ?

---

†सूचियां छापी नहीं गईं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, परिषदों के सम्पूर्ण शिक्षा व्यय के हेतु कन्ट्रेक्ट ग्रान्ट दिया जाता है। उक्त ग्रान्ट की तीनों वर्षों की जिलेवार धनराशियां सदन की मेज पर प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४९९–५०० पर)

२—**श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी**—उक्त रकम जिला परिषदों को देने के लिये कोई समय भी निर्धारित है? यदि हां, तो उक्त तीनों वर्षों में निर्धारित समय पर दी गई या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त ग्रान्ट ४ किस्तों में प्रति वर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी में दिया जाने का नियम है। प्रथम दो किस्तें तो बिना किसी विशेष प्रतिबन्ध के परिषदों को यथासमय दे दी जाती हैं। अन्तिम दो किस्तें परिषदों से संचालकालय को कुछ सूचनायें व प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर दी जाती हैं। सब परिषदों द्वारा समय से उक्त सूचनायें न प्राप्त होने के कारण अन्तिम दो किस्तों के भुगतान में कुछ विलम्ब हो जाता है।

३—**श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि प्रायः अध्यापकों को वेतन महीनों बाद मिलता है जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे प्रत्येक महीने में वेतन मिल जाया करे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, हाल में की गई जांच से विदित हुआ कि कुछ परिषदों के जिम्मे कुछ माह का वेतन बकाया रह गया था।

परिषदों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रत्येक मास का वेतन अगले मास की १५ तारीख तक भुगतान कर दें। साथ ही साथ कई परिषदों को तृतीय तथा चतुर्थ किस्त के राजकीय अनुदान का भुगतान नियम शिथिल कर बिना प्रमाण पत्र प्राप्त हुए ही किया गया है।

४–६—**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**—[२९ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में कत्ल तथा डकैती

७—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या गृह मंत्र: बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६० ई० से ५ मार्च सन् १९६० ई० तक किन–किन थानों में कहां–कहां किस व्यक्ति के घर डकैती, कत्ल की घटनायें हुईं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५०१ पर)

सुजानपुर के चतुरीपुर जूनियर हाई स्कूल की इमारत के लिए चन्दा

८—**श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मैनपुरी, तहसील भोगांव, मौजा सुन्दरपुर, सुजानपुर के चतुरीपुर जूनियर हाई स्कूल के इमारत बनवाने हेतु सरकार ने कुछ रुपया दिया है और उसकी ईंट खरीदी पड़ी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

९—**श्री रामदीन**—यदि हां, तो सरकार ने कितना और कब रुपया दिया तथा जनता से कितना चन्दे के रूप में प्राप्त हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

जनता द्वारा ९०० रुपये चन्दे के रूप में जिला परिषद् को प्राप्त हुआ।

१०—श्री रामदीन—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त स्कूल की इमारत का शिलान्यास भी हो चुका है ? यदि हां, तो वह अब तक क्यों नहीं बनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ?

जिला परिषद् में धनाभाव के कारण उक्त स्कूल भवन का निर्माण अब तक जिला परिषद् सम्पन्न नहीं करा सकी है ।

प्रश्न संख्या ६१ के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह सूचना दे देता हूं कि श्री जंगबहादुर वर्मा ने प्रश्न संख्या ६१ में पूछा था कि 'क्या २४ जनवरी, १९६० को पुरवा मंगलसेन मजरे ककरी, थाना लोनी कटरा में डकैती पड़ी थी या नहीं, यह प्रश्न २४ जनवरी के बारे में था और एक दूसरे अतारांकित प्रश्न में उन्होंने एक जनवरी से ५ मार्च तक का प्रश्न पूछा ।

मंत्री जी उत्तर में यह कबूल करते हैं कि १ जनवरी और ५ मार्च के बीच में डकैती पड़ी, लेकिन २४ जनवरी को नहीं पड़ी । दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—तो दूसरी किस तारीख को पड़ी ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—२५/२६ फरवरी, १९६० की रात को एक डकैती पड़ी । रामसेवक, निवासी पुरवा मंगलसेन. . .

श्री अध्यक्ष—यह तो वही है ।

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इसी अधिवेशन में तीसरे सोमवार को मंत्री महोदय ने कहा था, प्रश्न ४६ के सम्बन्ध में कि इटावा जिले के बड़पुरा थाने में कम हानि हुई जबकि वाकया यह है कि ७ आदमी सशस्त्र डकैतों से मारे गये थे । आपने कहा था कि इसकी सूचना मंगा कर मंत्रीजी सदन को अवगत करावें । लेकिन १ महीना होगया और अभी तक कोई सूचना नहीं दी है ।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—मैंने सूचना दे दी है ।

श्री राजनारायण—हमारे दो प्रश्न हटा दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कार्यालय में आकर पूछें ।

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—मैं विधान परिषद् से, विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त, निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां सदन की मेज पर रखता हूं :—

(१) उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हैल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०, तथा

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५०२–५०५ पर)

(२) उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६०।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५०६–५०८ पर)

भारत सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य निर्धारण के संबंध में विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री गेंदासिंहजी ने भेजा है और दूसरा श्री जंगबहादुर वर्मा जी का है। गेंदासिंह जी, जो अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने गन्ने का मूल्य-निर्धारण किया है, उस पर सदन में वाद-विवाद चाहते हैं। मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। मुख्य मंत्री तो थे नहीं, उनके डिप्टी मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने गन्ने का रेट मुकर्रर किया है। तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के काम पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

जंगबहादुर वर्मा जी का भी विषय कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

गेंदासिंह जी के प्रस्ताव के विषय के बारे में यदि मुख्य मंत्री जी किसी समय सदन को सूचना दे दें कि क्या हुआ है तो उचित होगा।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने अगले साल के लिये भी गन्ने की कीमत वही घोषित की है जो इस साल थी। मैं इस बात की सूचना देने में कोई हर्ज नहीं समझता कि जब उन्होंने हम से राय ली थी तो हमने यह सलाह दी थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्वाइंट शुगर कंट्रोल बोर्ड की राय, यानी १।।।) मन की दर, स्वीकार की जाय। लेकिन, जो कुछ भी कारण रहे हों, अपनी समझ से गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने ठीक ही किया होगा। उन्होंने उस सलाह को मानना उचित नहीं समझा। हमने उनको यह भी लिखा कि कुछ मिलों ने १ रुपया १० आने की निर्धारित दर से अधिक दाम दिये हैं। इसका मतलब है कि दर बढ़ाने से इस व्यवसाय के ऊपर कोई असह्य बोझ पड़ने वाला नहीं है। इन सब बातों को जानते हुए भी केन्द्रीय सरकार ने जो उन्हें उचित जान पड़ा वह किया। अपने प्रस्ताव में गेंदासिंह जी ने लिखा है कि इस प्रदेश के किसानों में बहुत क्षोभ होगा। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं और मैं यह कहता हूं कि गवर्नमेन्ट को भी इस विषय में उतना ही क्षोभ है जितना कि माननीय गेंदासिंह जी को होगा और यहां के किसानों व दूसरे लोगों को होगा। हम अब भी इस बात को गवर्नमेंट आफ इंडिया को समझाने का प्रयत्न करेंगे कि वह अपनी राय को बदले। हम इसमें कितने सफल होंगे, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी ही आशा हम कर सकते हैं कि इस कोशिश में हमें गन्ने के किसानों के हितू लोगों को नैतिक समर्थन प्राप्त होगा।

मैं समझता हूं कि इसके सिवाय कोई दूसरा बयान मैं नहीं दे सकता हूं।

शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील में भयानक आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार मेरे पास कई मामले आये हैं। अगर कहीं आग लग जाय और १ या २ मृत्युयें हो जावें तो मैं कह देता हूं कि अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न कर लिये जावें। लेकिन यह शाहजहांपुर का वाकया ऐसा है कि जिसमें सुना जाता है कि करीब ३० गांवों में ५ अप्रैल को आग लगी और बहुत से व्यक्तियों की जानें गईं। बहुतेरे लोगों के जलने से भी तकलीफ की तफसील दी है। इस विषय पर श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री ब्रजनारायण तिवारी, श्री ऊदल और त्रिलोकी सिंह जी का भी है। चूंकि त्रिलोकीसिंह जी के प्रस्ताव की रचना व्यवस्थित और संक्षेप भी है, और वह नेता विरोधी दल भी हैं, इसलिये मैं उन्हीं के प्रस्ताव को लिये लेता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्री रूमसिंह जी का भी है। वह वहां दौरा करके आये हैं। निजी जानकारी हासिल करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष---हां, वह भी है। लेकिन मैंने त्रिलोकीसिंह जी का प्रश्न लिया है। वह इस प्रकार है :---

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय न्याय मंत्री से एक महान् प्राकृतिक दुर्घटना अर्थात् शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील के ३० गांवों में ५ अप्रैल को आग लगने, जिसमें बताया जाता है कि बहुत से व्यक्तियों की जानें भी गईं, के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि इस विपत्ति में वहां के रहने वालों को सरकार द्वारा क्या सहायता पहुंचाई गई है। मेरी सूचना के अनुसार ग्राम ढकया तिवारी में २५, कुम्हरेका में २५ और नाम बरसौला खलीलपुर में १३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मुझे यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि वहां के बहुत से व्यक्तियों को चोटें भी आई हैं, जिनकी चिकित्सा का इस समय तक समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है।"

इसमें न्याय मंत्री जी अपना वक्तव्य कब देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---१२ तारीख को।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने प्रस्ताव में केवल ३ गांवों के बारे में ही इत्तिला दी है। मैं वहां भागा गया और मेरी इत्तिला है कि वहां ४० गांवों में आग लगी जिसमें १५० व्यक्ति मरे हैं। मैंने दो रोज तक वहां का दौरा किया है और अपनी आंखों से उसको देखा है। मेरी बात आप सुनना पसंद नहीं करते और जिन्होंने अखबार में देखकर खबर दे दी उनका आपने प्रस्ताव ले लिया।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें। मैंने सबके नाम इसलिये पढ़ कर सुना दिये कि यह मालूम हो जाय कि किन-किन के प्रस्ताव हैं। वे सब प्रस्ताव माननीय मंत्रीजी के पास भेज दिये गये हैं। उनमें जितनी बातें कही गयी हैं उन सबके विषय में माननीय मंत्री जी जानकारी प्राप्त करके, वक्तव्य देंगे। अब उसमें ४० गांव हों या ५० गांव हों। वे सबके बारे में जानकारी प्राप्त करके वक्तव्य देंगे।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, इस घटना की सूचना हमें माननीय रूमसिंह जी ने शाहजहांपुर से लौट कर आज सुबह साढ़े सात बजे दी। इसके बारे में माल मंत्री जी को हमने बता दिया था और हमने यह भी बता दिया था कि इसके बारे में या तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आयेगा या नियम ५२ के तहत प्रश्न उठाया जायगा। फिर क्या कारण है कि शाहजहांपुर से अभी तक जानकारी हासिल नहीं कर सके हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर देने के लिये मैं उनको तकलीफ नहीं दूंगा। इस नियम में ही दिया हुआ है कि अगर किसी प्रस्ताव को मैं स्वीकार करूं तो मैं उनसे पूछूंगा कि यदि उनके पास जानकारी हो तो अभी दे दें अथवा वह दिन बता दें जब वह सूचना देंगे। क्योंकि इसके बाद भी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार रहता है जिसके लिये मंत्री जी को पूरी जानकारी हासिल करके आना पड़ता है। अगर अधूरी जानकारी होती है तो मैं उनको कभी इजाजत भी नहीं देता क्योंकि बाद को जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका वे उत्तर नहीं दे सकते। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि १२ तारीख को वे इसका उत्तर देंगे। इस बीच वे सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

श्री राजनारायण---हमारी सूचना है कि जिलाधीश ने सरकार को यह लिखकर भेजा है कि सरकार उसको कुछ रुपया दे जिससे वह लोगों को सहायता पहुंचा सकें । इसलिये मंत्री जी वह रुपया तो भेज दें ।

विधेयकों के पारण हेतु कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय-निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी ६ अप्रैल, १९६० की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विचार तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय---

१---उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० (विधान परिषद् द्वारा पारित) ।	१२ अप्रैल, १९६० का पूरा दिन ।
२---यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० (विधान परिषद् द्वारा पारित) ।	

विधेयकों के पारण हेतु कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय-निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन---

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० (विधान परिषद् द्वारा पारित) तथा यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० (विधान परिषद् द्वारा पारित) पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जो उसमें एक सदस्य थे । उनकी जगह कोई दूसरा सदस्य नहीं हुआ है और उनको भी नहीं बुलाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---११-१२ तारीख को जो कमेटी का निर्माण होगा तब उसके संबंध में मैं घोषणा कर दूंगा ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६० (विधान परिषद् द्वारा पारित) तथा यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० (विधान परिषद् द्वारा पारित) पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं कार्य सूची की क्रम-संख्या ७ के अनुसार यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर यहां पर तृतीय

पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में क्या-क्या तैयारी व व्यवस्था की गयी है उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें । हमें मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सारे देशभर के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह यह है कि उसके लिये करीब ६,६०० करोड़ रुपये की योजना बनायी है । उस हिसाब से हमारे प्रदेश में ५०० करोड़ रुपये की योजना होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—इस तरह का वक्तव्य देने के लिये अगर वे आज तैयार हों, तब तो मैं इजाजत दे दूंगा ; लेकिन यह वक्तव्य आज नहीं हो सकेगा क्योंकि आज असरकारी दिन है । और सरकारी काम करने से मैं समझता हूं कि थोड़ा-सा समय उसमें चला जायगा। तो माननीय मुख्य मंत्री जी अगर कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो कोई दूसरा दिन बतला दें । मंत्रियों का वक्तव्य तो होता ही रहता है, उस रोज उनका वक्तव्य हो जायगा ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आज तो मैं ऐसा वक्तव्य दे भी नहीं सकता था क्योंकि मैं तैयार नहीं था, लेकिन यदि आपकी आज्ञा होगी तो यद्यपि अभी काम उस सम्बन्ध में थोड़ा ही हुआ है, निश्चित रूप से ज्यादा कहा नहीं जा सकता फिर भी जो कुछ काम हुआ है, मैं समझता हूं कि १४ तारीख को मैं बतला दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है तो आप १४ तारीख को वक्तव्य देंगे । अब श्री मोतीलाल अवस्थी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

उत्तर प्रदेश का शासन ग्राम व जिला-स्तर पर विकेन्द्रित करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—श्रीमन्, मुझे इस संकल्प के ऊपर समय निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष—तो अभी संकल्प पेश हो जाने दीजिये ।

श्री जगवीरसिंह—समय निर्धारण के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि श्री मोतीलाल अवस्थी के संकल्प पर आज साढ़े ४ बजे तक बहस खत्म हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—अभी आप उनको संकल्प पेश करने दें, फिर आप कह सकते हैं । अभी तो संकल्प पेश ही नहीं हुआ है ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश का शासन ग्राम व जिला-स्तर पर शीघ्र विकेन्द्रित करना अत्यन्त वांछनीय है । अतः यह सदन आवश्यक समझता है कि जिलाधीश का पद तोड़ कर उसका कार्य शीघ्र एक निर्वाचित अन्तः कालीन समिति को दे दिया जाय और एक विशिष्ट कमीशन संगठित किया जाय जो विकेन्द्रीकरण की एक सर्वांगीण योजना शीघ्र उपस्थित करे । "

श्रीमन्, यह संकल्प जो उपस्थित है वह विशेषतः विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में है । आज हमारे सामने विकेन्द्रीकरण की ध्वनि चारों ओर से सुनाई पड़ती है । सरकारी स्तर पर या गैर-सरकारी स्तर पर सभी लोग उस आवाज को बुलन्द करते हैं और इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं । यह विकेन्द्रीकरण क्या हो, किस रूप में हो, इसके बारे में मैं अपनी राय के साथ-साथ अन्य उन विद्वानों की राय भी आपके सामने रखूंगा । लेकिन इस विकेन्द्रीकरण के साथ एक आवश्यक मांग भी रखी गई है कि इसको प्रारम्भ करने के लिये एक बड़ा कदम भी उठाया जाय जो यह है कि जिलाधीश का पद शीघ्र तोड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोती लाल अग्रवाल]

जाय और उस के स्थान पर एक अन्तःकालीन समिति मुकर्रर हो जो उसके कार्य को करे और उसके बाद एक कमीशन संगठित हो जो इस योजना को पूर्णरूप से बनाकर उपस्थित करे जिससे कि पूर्ण विकेन्द्रीकरण सम्भव हो।

इस तरह से हमारे मूल प्रस्ताव के ३ भाग हैं---एक तो विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता को रखना, दूसरे उस आवश्यकता को प्रारम्भ करने के लिये एक पहला बड़ा कदम उठाना और तीसरे अन्तःकालीन समिति के लिये व्यवस्था करना। मुझे विश्वास है कि उसके बाद पूर्ण रूप से उस सारी समस्या का हल निकालने के लिये एक कमीशन की स्थापना की जायगी।

इस विकेन्द्रीकरण के विषय में अन्य विद्वानों की राय देने से पहले हमारे जो प्रधान मंत्री जी हैं उनके १-२ शब्द मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि उन्होंने भी विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता किस तरह से महसूस करके बताया है कि :---

"One of the worst features of centralization is that it glorifies the importance of pieces of paper. This dims the sense of reality."

आगे उन्होंने कहा है कि---

"We were not only slumped but sorry to learn from a new member of the Planning Commission, a great bleiever in decentralization, that the 'Grow More Food Campaign,' in many cases, was moving only in files. Excessive centralization is thus serious enough in itself when, because of remotiness and ignorance of local conditions or the slowness of their operation, programmes fail of their purpose."

इस तरह से डिसेन्ट्रलाइजेशन के विषय में उन्होंने चर्चा की है और उसकी इन शब्दों में प्रशंसा की है और ये भी शब्द कहे हैं कि . . .

"We are threatened with an even more disastrous sequence, the loss of the people's confidence in administration, the very foundation of democratic government."

ये शब्द उन्होंने उस समय कहे थे जब वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सेंट्रल कौंसिल के अर्द्धवार्षिकोत्सव का उद्घाटन करते हुये नई दिल्ली में बोल रहे थे। मैं इस डिसेन्ट्रेलाइजेशन के विषय में अधिक समय न लूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि शायद ही कोई आदमी आज के युग में होगा कि जो विकेन्द्रीकरण की उपयोगिता का हामी न हो।

अब इस के हामी होते हुये आवश्यकता इस बात की है कि इस का प्रारम्भ कब हो, किस रूप में हो और कैसे किया जाय। यह कहना कि हम प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण चाहते हैं जैसा कि हमारी अनेक कमेटियों ने या मेहता कमेटी ने कहा है। एक खास प्रश्न आज सब के सामने यह है कि यदि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक और सुन्दर है तो इसका प्रारम्भ किस रूप में, कहां, कब और कैसे हो। इसी प्रश्न को हल करने के लिये मैंने यह प्रश्न रखा है और उसका रूप यह हो सकता है कि सब से पहले हम इस जिलाधीश के पद को तोड़ें क्योंकि यह कलेक्टर का पद ही बीच में एक अड़चन है।

इन कलेक्टरों की ऐतिहासिक उत्पत्ति की बात अगर हम देखें तो यह कहना अनुचित न होगा कि सब से पहले कलेक्टर शब्द के माने यह थे कि "One whoCollects" यह राजस्व इकट्ठा करने वाले का नाम था, यह नाम उस समय रखा गया था जब कि सन् १७८५ में पिट्स इंडिया बिल पास हुआ और लार्ड वारेन हेस्टिंग्ज ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि हर जिले में इस काम के लिये एक अंग्रेज पदाधिकारी रहना चाहिये और जिसका मूल काम राजस्व इकट्ठा करना हो। इस आवश्यकता को देखते हुए चूंकि उस समय जो विदेशी सरकार थी उसको अपने राजस्व की बड़ी चिन्ता थी, उसको इकट्ठा करने के लिये उन्होंने एक

सर्वाधिकारी जिलाधीश का पद मुकर्रर किया और उसका नाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं रखा बल्कि कलक्टर रखा, जिसका अर्थ यह था कि उनकी मुख्य चिन्ता अपने राजस्व को इकट्ठा करने की थी । दुर्भाग्य से आज भी हमारे जिलाधीश का पद उसी रूप में कलेक्टर के नाम से विख्यात है । यद्यपि अब उनका कार्य पहले से कई गुना बढ़ चुका है तो भी उस नाम से छटकारा नहीं मिला । मैं कलेक्टर की उत्पत्ति से आज तक के उसके इतिहास को नहीं रखना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि अब आजाद होते हुए भी उत्तरोत्तर उसकी शक्ति में वृद्धि होती जा रही है । यदि हम विकेन्द्रीकरण की बात करें तो पहले उसी बिन्दु को लें जहां निरन्तर शक्ति बढ़ती जा रही है ।

मैं ब्रिटेन के प्रधान मंत्री लायड जार्ज के एक कथन का हवाला देना चाहता हूं । उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हमारा जिलाधीश एक स्टील फ्रेम है जिसके आधार पर हम सारे देश में बड़े सुन्दर ढंग से शासन कर पाते हैं, और उनकी प्रशंसा भी की थी । इन जिलाधीशों की शक्तियों में वृद्धि विदेशी शासन में तो हम देखते ही रहे, लेकिन आश्चर्य है कि स्वतंत्रता के बाद भी निरन्तर इनकी शक्तियों में वृद्धि देख रहे हैं । विशेष तौर से हमारे प्रधान मंत्री के द्वारा जब यह कहा जाता है कि संसार के बदलते हुए तरीके में हमें भी बदलना चाहिए और जब उन्हीं के शब्दों में हम विकेन्द्रीकरण की प्रशंसा सुनते हैं तो हम कह सकते हैं कि विकेन्द्रीकरण की ओर किसी तरकीब से बढ़ा जाय और उसके लिये यह संकल्प उपस्थित है ।

इस पद पर ही पहले हमने क्यों जोर दिया, इसको भी बताने की आवश्यकता है । वैसे तो इस पार्टी से, जिसका कि मैं अनुगामी या सदस्य हूं, उसकी तरफ से यह मांग प्रारम्भ से ही रखी गई कि विकेन्द्रीकरण .....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम इस वक्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--यह बात सही है, घंटी बजा दी जाय ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही जारी हुई ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, इस गैर-सरकारी संकल्प के प्रति हम इस तरह से उदासीन रहेंगे तो अशोभनीय चीज होगी । मैं यह कह रहा था कि इन जिलाधीशों के पदों को तोड़े जाने की आवश्यकता इस सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सबसे पहले महसूस की गई । और उन्होंने न केवल अपने घोषणा-पत्र में रखा है बल्कि समय-समय पर जब अवसर मिला प्रदर्शनों, व्याख्यानों और जितने सम्भव उपाय हो सकते थे उसको प्रदर्शित भी किया है कि यह कदम आवश्यक है । इसका कारण भी हमने बताया है जिसमें मुख्य यह है कि दो बातें एक साथ नहीं चल सकतीं, विकेन्द्रीकरण करें और जिलाधीश को भी रखें । इन दोनों बातों में विरोधाभास है । इनमें से एक ही बात सम्भव हो सकती है । जब तक एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति निहित रखेगी तब तक वह गवारा नहीं कर सकता कि जनतांत्रिक रूप में, विकेन्द्रित रूप में कोई संस्था बन पावे । अंतरिम जिला परिषदों की मिसाल हमारे सामने मौजूद है । शायद ही कोई सदन का मेम्बर एक, या दो बार से अधिक दो साल की अवधि में गया हो क्योंकि जिस निरंकुशता से वहां शासन होता है और निरंकुश शासक सभापति के पद पर बैठता है, उससे जन प्रतिनिधियों की पटरी नहीं खा सकती । अतः यदि विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो कलेक्टर के पद को शीघ्र समाप्त करना चाहिये । वैसे तो मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं लेकिन मैं हाल

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

के ही उदाहरण दूंगा । बम्बई में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक उच्च अधिकारी, श्री एम० जी० पिम्पलकर, आई० सी० एस०, को इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये कार्य दिया गया जिसके बारे में उनके कुछ शब्द ये हैं :-

"Mere vesting the District Magistrates and Collectors with more powers, and providing them with greater amenities, as recommended by Mr. Pimputkar, would not make them a better instrument of public service for which all administration is intended. On the other hand, if precautions are not taken, the D. M.s and Collectors, as envisaged in the Pimputkar Report might become a source of greater annoyance to the people."

यह कहते हैं कि अगर इनकी शक्ति इस प्रकार निरंतर बढ़ती रही तो यह जनता के सेवक न रह कर जनता में भय पैदा करने वाले बन जायेंगे ।

इसी के साथ-साथ इन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के सम्बन्ध में हमारे चिन्तामणि देशमुख जी ने भी ये शब्द कहे हैं कि मिनिस्टर्स की सफलता और असफलता इन जिलाधीशों की बहुत-सी रायों पर आधारित होती हैं और उनकी योग्यता और सहयोग से सन्निहित रहते हैं । उन्होंने अन्त में कहा है :--

"Every official failure can be traced to a Minister's incompetence or worse, Ministers obtain the quality of official assistance that they deserve."

एक और अन्य उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जो श्री अनन्तशयनम आयंगर, अध्यक्ष, लोक सभा ने, प्रिसाईडिंग अफसरों की २५ वीं कान्फ्रेंस में कहे हैं । सम्भव है, श्रीमन्, आप भी उस समय मौजूद रहे हों, जिसमें उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि अब धीरे-धीरे विकेन्द्रीकरण को बढ़ाया जाय । मैं उनके सभी अंशों को न कह कर केवल एक अंश पढ़ना चाहता हूं ।

"He expressed the hope that in future greater powers would be vested in the Village Panchayats."

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी ।)

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि दोनों तरफ दिलचस्पी कम है और दो पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी और जन संघ, तो बिलकुल गायब हैं ।

(गणपूर्ति होने पर कार्यवाही जारी हुयी ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं श्री अनन्तशयनम आयंगर साहब का उदाहरण दे रहा था । उन्होंने ये शब्द कहे हैं । मैं थोड़ा सा फिर दोहरा दूं---

"He expressed the hope that in future greater powers would be vested in the Village Panchayats and that the Zilla Parishads and Village Panchayats would act as district and local legislatures dealing with their local affair and the State would be concerned with only such administration as was necessary for the purpose of co-ordinating the efforts of the various districts and for other common purposes."

उन्होंने इस प्रकार की उम्मीद की कि भविष्य में अधिकाधिक शक्ति गांव पंचायतों में निहित की जायगी और जिला परिषदों को की जायगी और वे स्थानीय व्यवस्थापिका सभाओं की तरह से कार्य करेंगे और स्थानीय मामलों में वे व्यवस्था देंगे और जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है वह जिलों के शासन तथा जिलों में सभी प्रकार के आम कामों में समन्वय करेगी। मैंने दो उद्धरण इसीलिये पेश किये जिनसे यह साबित हो सके कि विकेन्द्रीकरण की किस लिये आवश्यकता है ।

अन्त में मैं बलवन्त राय मेहता कमेटी के दो-तीन उद्धरण पेश करना चाहता हूं। उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने जिला शासन आदि के सम्बन्ध में नयी व्यवस्था स्थापित करने की राय दी है। उनके सामने यह अहम मसला था कि विकेन्द्रीकरण किस रूप में किया जाय और ग्राम पंचायतों को या उच्च स्तर की संस्थाओं को किस प्रकार अधिकाधिक शक्ति दी जाय। इस सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा है :—

"This fact, inherent in the developments taking place around us, was responsible for the Planning Commission's view, endorsed by the Balwantrai Mehta Committee, that within the district a well-organized democratic structure of administration would be created."

बलवन्त राय मेहता कमेटी की राय थी कि जिले में एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जो और कामों का ध्यान तो रखे ही, साथ ही उसमें शासनाधिकार भी निहित हो।

तो अब इस विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर मैं अधिक उद्धरण नहीं दूंगा, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर मैं थोड़ी-सी बातें रखूंगा। जिस किसी भी बात की हमें आवश्यकता होती है जिले में उसके लिये हम एक व्यक्ति के पास दौड़ते हैं और वह होता है जिलाधीश और इस जिलाधीश के सम्बन्ध में मैं बिना कहे नहीं रह सकता कि आज उसके पास कार्य की अधिकता है और इसके कारण वह किसी भी कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाता है। कार्याधिक्य होने का कारण भी यही है कि उसको सर्वाधिक शक्तियां दे दी गयी हैं। जिस किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता हुई वह उसी के पास दौड़ पड़ता है क्योंकि अन्ततोगत्वा, न्याय को छोड़ कर, जिले की सभी अन्तिम शक्तियां उसको दे दी गयी हैं। ऐसी हालत में हम देखते हैं कि यदि जिलाधीश कोई सामाजिक वृत्ति का हुआ या जिम्मेदार वृत्ति का हुआ तो वह उस रूप में कार्य करता है और यदि निरंकुश वृत्ति का हुआ या उसमें तुनुकमिजाजी हुई तो उस ढंग से काम करता है। या यों कहिये कि कलेक्टर को देख कर हमें मुगल इतिहास की कहानी याद आ जाती है। जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य में अकबर जैसा बादशाह हुआ, वहां औरंगजेब जैसा बादशाह भी हुआ, शाहजहां जैसा हुआ, तो जहांगीर जैसा भी हुआ; उसी प्रकार जिलाधीशों में भी कोई अकबर जैसा है तो औरंगजेब जैसे भी हैं, कोई शाहजहां जैसा है तो जहांगीर जैसे भी हैं। यह हम कभी भी आशा नहीं कर सकते कि उनमें आदर्शवादिता ही हो, मनुष्य की कमजोरियां सब में निहित हैं। इसलिये एक व्यक्ति के हाथ में यदि सारा शासन चला जायगा तो वह कितने दिन चलेगा? लिहाजा आवश्यकता इस बात की है कि जिले का शासन जिले के ही कुछ प्रमुख निर्वाचित योग्य व्यक्तियों के हाथ में दे कर उसे हम विकेन्द्रित कर दें। इसके बिना हम व्यक्तिवाद से छुटकारा नहीं पा सकते।

व्यक्तिवाद से छुटकारा पाना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सभी दृष्टियों से उचित है। आज सरकार के लिये जरूरी होता है कि एक व्यक्ति से बात कर ले और अपना निर्णय कर ले, लेकिन इस सरकार को भी कभी-कभी जब इस सदन में जवाब देना पड़ता है तो यह देखा गया है कि जिलाधीश की गलतियों को अपने ऊपर से तो टालती है और कहती है कि यह उनका उत्तर है और वह उत्तर कभी कभी अनर्गल हुआ करता है, गलत हुआ करता है और सरकार उसमें सुधार नहीं कर पाती है। इससे हम कह सकते हैं कि वे एक मुगल किंग के समान हैं बीच में बैठे हैं। यदि किसी को हम सभी शक्तियां दे दें तो वह आवश्यक तो हो ही जाता है और इसीलिये जो सारी शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो गयी है उसका विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है, इसी को जनतांत्रिक प्रणाली कहते हैं और इसको न करने के लिये कोई अचूक कारण हमारे सामने नहीं है। इस पद को न तोड़ने के लिये एक भी ऐसा अकाट्य कारण उस पक्ष की तरफ से नहीं दिया गया कि इसको रखने की क्यों आवश्यकता है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

यदि आज भी देखा जाय तो जिलाधीश, जिसके पास सम्पूर्ण शक्ति है, केवलमात्र कुछ फार्मल काम ही करता है और वास्तविक व्यवहारिक कार्य उसके अधीन जो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं वे करते हैं, जैसे विकास का काम ए० डी० एम० (प्लानिंग) करता है, न्याय का काम ए० डी० एम० (सिटी) करता है । इसके अलावा ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेटस और सिटी मैजिस्ट्रेट वगैरह तमाम काम करते हैं। हमारे जिलाधीश का प्रमुख कार्य फारमैलिटीज का है, मंत्रियों, उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का स्वागत करना है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में प्रिसाइड करने का है या लोगों से मुलाकात करने का है या कहीं-कहीं उन खामियों की पूर्ति करने का होता है जो उसके स्थान के लिये आवश्यक हैं। लेकिन जिले का मूल शासन उसके बिना भी बड़े अच्छे ढंग से चला करता है। जब किसी स्थान पर गोली चलानी पड़ती है तो हमने देखा कि स्थानीय अधिकारी के निर्णय पर ही वह चलायी जाती है, जिलाधीश का वहां पर कहीं नाम भी नहीं होता। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, क्या मेरा समय निश्चित कर रखा है ?

श्री अध्यक्ष—२५ मिनट निश्चित हैं। आपके २ मिनट और रह गये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—व्यवधान का भी तो ध्यान रखिये।

श्री अध्यक्ष—तो २ मिनट और दे दूंगा। आप ४ मिनट और बोल सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह कहने जा रहा था कि जिलाधीश के पद को तोड़ें और इसके तोड़ने के मैंने बहुत से कारण बताये हैं और मैंने व्यवस्था भी रख दी है कि इन पदों के तोड़ने के बाद ही एक अन्तर्कालीन समिति आ जाय। इससे मेरे कहने का मतलब यह है कि बीच में वैकुअम न रह जाय। इसलिये इन पदों को हम जल्दी से जल्दी तोड़ना चाहते हैं कि ईविल से जितनी जल्दी छटकारा पा लिया जाय उतना ही अच्छा है। अन्तर्कालीन समिति जो हो वह निर्वाचित हो। हम हमेशा निर्वाचन के ही पक्ष में ही रहते हैं और नामिनेशन के पक्ष में हम कभी नहीं रहते। सरकार हमारे सामने नई-नई चीजें ला रही हैं लेकिन इन सब संस्थाओं में सरकार नामजदगी की ही बात करती है। कल ही हमने एक बोर्ड बनाया है और उसमें भी नामजद लोग ही होंगे। अब निर्वाचन किस रूप में हो, इसको आगे देखा जा सकता है।

श्रीमन्, अन्त में आवश्यकता इस बात की है कि जिला शासन को नये ढंग से चलाये जाने के लिये एक विशिष्ट कमीशन बैठे और वह बतला सके कि जिला शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिये हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिये। इस कमीशन को जिलाधीश के पद को स्थापित करने के लिये राय देने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि उसका काम तो अन्तर्कालीन समिति द्वारा चलता रहेगा। इसका काम तो यह होगा कि जिला के कार्य का बंटवारा किस तरह से केन्द्रित शक्तियों में बांटा जाय। इसके बताने की आवश्यकता होगी। आज हमारी जो व्यवस्था है कि जिला परिषद् हैं, नगरपालिकायें हैं तो यह संस्थायें अपनी जगह पर कार्य करेंगी। इनमें कार्य का बंटवारा किया जा सकता है। इनमें कार्य बढ़ाया जा सकता है।

एक शंका लोग कर सकते हैं कि शासन व्यवस्था का कार्य जिलाधीश ही सुन्दर ढंग से करेगा। मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं। हमें इसका विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। मेरा प्रस्ताव भी इसी पर आधारित था कि अमन चैन को कायम करने के लिये सरकार कामयाब नहीं होगी जब तक कि वह इस जिम्मेदारी को गांव के लोगों को नहीं देगी। इस काम को गांव पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय। अतः अमन चैन का काम नीचे से लगाकर जिला स्तर तक लोगों को दिया जा सकता है। ठीक इसी तरह की व्यवस्था इंगलैन्ड आदि देशों में भी है और वहां से हम सहायता ले सकते हैं। इसलिये कोई कार्य ऐसा नहीं रह जाता है जो केवल एक ही आदमी के हाथ में दिया जाकर किया जाय और जनतांत्रिक लोगों के हाथ में न दिया जा सके। इस लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ें और हमारा पहला

कदम यही हो सकता है कि पहले हम इस सेंट्रल फिगर को एबालिश कर दें। बीच में वैकुअम नहीं रहेगा क्योंकि अन्तर्कालीन समिति कार्य करेगी। हमें इस चीज को हटा देना है और डिसेंट्रेलाइजेशन को लाना है। १७५ वर्षों से हम कलेक्टर को अपनी छाती पर रखने के आदी हो गये हैं और बिना उनकी सलामी लिये हमें खुशी नहीं होती। अब अपनी आदत आपको बदलनी होगी। मैं मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस स्थान को दूर करके विकेन्द्रीकरण की ओर अपना कदम बढ़ावें।

श्री अध्यक्ष—(श्री जगवीर सिंह के खड़े होने पर) पहले आपका प्रस्ताव है। उसके बारे में नियम यह है कि सदन जब चाहे प्रस्ताव को खत्म कर सकता है प्रश्न उपस्थित करके यानी क्लोजर मूव करके। इसलिये उसके लिये कोई समय साधारण तौर से निश्चित नहीं होता है। लेकिन मैं इजाजत दे सकता हूं इस शर्त पर कि अगर उसके ऊपर एकमत हो, किसी को आपत्ति न हो, तो आपके प्रस्ताव को मैं ले सकता हूं कि साढ़े चार बजे इस प्रस्ताव के ऊपर बहस खत्म हो जाय और उस पर राय ले ली जाय। लेकिन अगर इसमें एक मत नहीं होता है तो आपको एक अधिकार तो है ही, क्लोजर आप मूव कर दीजियेगा और क्लोजर मंजूर हो गया तो बहस खत्म हो जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक स्पष्टीकरण मैं चाहता था। जहां तक इनका मतलब है, मैं यह समझ पाया हूं कि दूसरे नम्बर वाला प्रस्ताव जो है वह आज आ जाय।

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री राजनारायण—तो उसमें हमको भी कोई एतराज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि दूसरे नम्बर का जो प्रस्ताव है वह काफी महत्वपूर्ण है, वह आ जाय। लेकिन उसके लिये अगर दस मिनट भी बाकी रहें तब भी ठीक है।

श्री अध्यक्ष—हां, ठीक है। तो पौने पांच बजे बहस खतम कर इस पर राय ली जायगी। मैं अब इस प्रस्ताव पर राय लिये लेता हूं। यह प्रस्ताव जो है अगर सर्वसम्मति हो तो पौने पांच बजे खत्म कर दिया जाय। यानी साढ़े चार बजे क्लोजर मान लिया जायगा और अवस्थी जी उत्तर देने लग जायेंगे। इसमें किसी को आपत्ति है? (कोई आपत्ति नहीं की गई।) नहीं है, तो साढ़े चार बजे अवस्थी जी उत्तर देंगे और पौने पांच बजे यह खत्म हो जायगा।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव ऐसे ढंग से लिखा गया है कि जिसका पूर्ण रूप से विरोध करना या पूर्ण रूप से समर्थन करना एक काफी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं इस बात से इसका स्वागत करता हूं कि इसके जरिये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सदन के लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। शासन कैसा हो, उसे कैसे नयी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाय, उसका आधार क्या हो, यह एक ऐसा प्रश्न है कि जो आज प्लानर्स, पालिटिशियन्स, सबके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला बन गया है क्योंकि अनुभव यह बताता है कि शासन एक सबसे बड़ा यंत्र होता है जिसके जरिये किसी सरकार की योजनाओं को चालू किया जाता है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि शासन का विकास जो हुआ है वह उस समय में जिन लोगों की हुकूमत होती थी उन लोगों के जो ध्येय होते थे, मनसूबे होते थे, उन्हें पूरा करने के लिये शासन का विकास हुआ है। दुनिया में जब मानर्की थी, राजतंत्र था, तब एक ढंग का शासन था। राजतंत्र के बाद साम्राज्यशाही आयी। साम्राज्यशाही ने अपने ढंग की शासन-व्यवस्था चलायी और वह शासन व्यवस्था हमारे देश में भी चालू हुई। अब साम्राज्यशाही के बाद अपने देश में अपना राज्य आया है।

(इस समय १२ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसहाय]

इसलिये हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने भी यह प्रश्न है कि किस तरीके से हम अपने यहां की शासन व्यवस्था को चलायें, किस ढंग से उसका संगठन करें, जिससे वह हमारी नयी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस खयाल से जब मैं देखता हूं तो मेरा खयाल है कि इस विषय पर काफी गोष्ठी होनी चाहिये, विचार-विनिमय होना चाहिये और हमें अपना दिमाग उधर लगाना चाहिये कि कैसे हम अपने शासन को अधिक उपयोगी बना सकते हैं, कैसे हम उसे जनता के नजदीक ला सकते हैं, नयी आवश्यकताओं और नयी आकांक्षाओं की पूर्ति इसके जरिये करा सकते हैं।

जो प्रस्ताव में कहा गया है, उन बातों से मैं सहमत नहीं हूं। जहां तक इसका ताल्लुक है कि शासन का विकास होना चाहिये, नयी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके जरिये होनी चाहिये, उसका गठन नये ढंग से होना चाहिये, उसके पीछे जो धारणा है, नयी धारणा के अनुकूल नयी आत्मा उसमें आनी चाहिये, इन बातों का तो मैं समर्थन करता हूं। लेकिन क्या इस काम को इस जरिये से किया जा सकता है? जो इस प्रस्ताव में लिखा गया है वह एक गैरजरूरी एम्फैसिस इस बात पर दी गई है कि सारे शासन की समस्या कोई समस्या नहीं है, केवल केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की समस्या है। केन्द्रीकरण से विकेन्द्रीकरण कर दें तो हमारा शासन उपयोगी बन जायगा, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं और मैं जानता हूं, जब मैं यह बात कहता हूं, आज एक बहाव हो गया है, विचारों का प्रवाह यह हो गया है, कि जो आदमी विकेन्द्रीकरण की बात नहीं करता है वह कोई ज्यादा माकूल आदमी नहीं समझा जाता है। काफी विचारकों ने हमारे विकेन्द्रीकरण की चर्चा की है और मैं जानता हूं कि विकेन्द्रीकरण का काफी बहाव है। मैं उसका विरोध करता हूं उस माने में कि जीवन का ध्येय सारे जीवन का गठन है। मैं सिर्फ विकेन्द्रीकरण या केन्द्रीकरण को नहीं मानता हूं। समूचे जीवन का गठन केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण दोनों से होता है। जैसे कि मनुष्य का शरीर है, शरीर में दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं.....

श्री अब्दुलरउफ ज़ारी (जिला गोरखपुर)—इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसहाय—मैं यह कह रहा था कि मानव शरीर के गठन से भी इस बात का पता चलता है कि जीवन जो है उसमें दोनों विकेन्द्रीकरण और केन्द्रीकरण, दोनों कार्य एक साथ जुड़कर काम करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मनुष्य का शरीर है इसलिये कि हमारे शरीर का जो नर्वस मैकेनिज्म है उसका संचालन केन्द्रीय व्यवस्था और विकेन्द्रीय व्यवस्था दोनों से होता है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में भी वे दोनों कार्य जुड़े रहते हैं। केवल केन्द्रीकरण या केवल विकेन्द्रीकरण से यह व्यवहार हो यह स्वयं व्यवहारिक नहीं है। मेरा खयाल कुछ ऐसा है कि आज न केन्द्रीकरण है और न विकेन्द्रीकरण है। केन्द्रीकरण भी थोड़ा ढीला हुआ है और विकेन्द्रीकरण में भी कुछ ढिलाई आई है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि एक नये तरीके से जहां पर केन्द्रीकरण की जरूरत है वहां केन्द्रीकरण करें और जहां पर विकेन्द्रीकरण की जरूरत है वहां पर विकेन्द्रीकरण फैलावें। इस कारण इस प्रस्ताव के जरिये से जो यह सुझाव दिया गया है कि विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय, मैं नहीं समझता कि इससे शासन के पुनर्निर्माण में या शासन के नये काम के पूरा होने में मदद मिलेगी।

इसके बाद दो बातें इसमें कही गई हैं कि पुराने मैजिस्ट्रेट का पद तोड़ दिया जाय। इसको भी मैं व्यावहारिक नहीं समझता हूं। मेरा यह खयाल है कि इसके तोड़ने से कोई मसला हल नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ मसले और ज्यादा पेचीदा हो जायं। मुझे आश्चर्य है कि अपोजीशन की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। वाकयात का साया अभी हमारे सामने है। पिछले दिनों अन्तरिम जिला परिषद् जो बनी हैं उनके बनाने का कारण यही था कि यह कहा गया कि नान-आफिशियल चेयरमैन जो होता है वह अच्छा नहीं है। उनके खिलाफ

शिकायत थी तो कहा गया कि उनके मुकाबिले में चाहे कलेक्टर को चेयरमैन बना दिया जाय तो उसको पसन्द करेंगे। इस चीज पर कभी एक राय और कभी दो राय रही हैं। मैं यह समझता हूं कि यह इम्प्रैक्टिकेबिल है। इससे फायदा होनेवाला नहीं है। जो वहां पर वैकुअम पैदा हो जायगा उसको आप आसानी से भर नहीं सकते हैं। मेरी आपके जरिये से गुजारिश है कि जिलाधीश जो नाम है यह अगर हटाया जा सके तो अच्छा होगा। धीश किस्म की चीज देवी देवताओं के नजदीक समझती जाती हैं। आपने जो जिलाधीश नाम दिया है उससे लोग वरशिप की चीज समझते हैं। उस जिलाधीश के लिये मैं "धीश" जैसी कोई चीज नहीं चाहता हूं। बहरहाल, जो यह 'धीश' का नाम चल गया है और उस के प्रति लोगों के मन में जो भय पैदा हो गया है वह डेमोक्रेसी के लिये मुजिर है और इसलिये उसका नाम कुछ सरल और ऐसा होना चाहिये कि जो लोगों के नजदीक हो। वह ऐसा दुरूह नहीं होना चाहिये कि जो समझ में न आये। इस खयाल से अगर आप इसमें कुछ तब्दीली करा सकें तो अच्छा है। लेखपाल का नाम भी मुझे पसन्द नहीं था, ऐसा मालूम पड़ता है कि वह भी राज्यपाल के लोअर केडर का कोई पद है। लेकिन हुआ। उसमें मेरा दखल नहीं था। हां, जब लोग मुझ से पूछेंगे कि क्या नाम हो तो मैं उन्हें सलाह दे सकूंगा। बहरहाल, इस समय अगर इस पर गौर कर लें तो अच्छा है। यह 'धीश' वाला नाम ऐन्टी डेमोक्रेटिक ट्रैडीशन्स पैदा करता है।

अब सवाल यह आता है कि शासक का काम कैसे बदला जाय, उसका विकास कैसे हो। बजट के वक्त बहुत कुछ कहने का मौका नहीं होता, लोगों को फुरसत नहीं मिलती। लेकिन यह प्रेक्टिकल सवाल है। हमें जो मौजूदा अपरेट्स मिला हुआ है, उनका जो रिक्रूटमेंट का तरीका है, उसके जो कायदे कानून हैं, जो संचालन और गठन है वह सारा का सारा हमारी नयी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। ब्यूरोक्रेसी के तीन दुर्गुण होते हैं और उन के खिलाफ कोई संगठित जद्दोजहद नहीं की गयी। ये तीन दुर्गुण हैं—रेड टेप, डिले और तीसरे वेस्ट। एक तो फाइलों के चलते रहने में देर बहुत होती है, किसी को उस काम में दिलचस्पी नहीं होती और वह भावना जो शुरू में होती है, कागज पर शब्दों में खत्म हो जाती है। दूसरे इस सब में देर बहुत लगती है और तीसरे डुप्लीकेशन बहुत होता है। एक महकमे को दूसरे का पता नहीं रहता, सबको अपने महकमे का और काम का पता होता है और समूची व्यवस्था का किसी को ज्ञान नहीं रहता। इसीलिये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को दुनिया भर के लोगों ने, प्रशासकों ने, विचारकों ने सोललेसवुडेन और हार्टलेस कहा है। उसमें आत्मा नहीं होती, वह लकड़ी की तरह से सख्त होता है और उसमें भावना नहीं होती। मुझे पंडित नेहरू का वाक्य भी याद है जिसमें उन्होंने इसको गिरता-पड़ता और टूटता सिस्टम कहा था। महात्मा गाँधी इसको मर्डरस सिस्टम कहा करते थे और इसमें भी वर्ग हैं।

इस सोललैस मैकेनिज्म में भी ५ वर्ग हैं जिस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटियों में वर्ग हुआ करते हैं और उनमें भी उसी तरह से असमानता है। आर्थिक और सामाजिक असमानता है और वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते, मिल नहीं सकते। यह ब्योरोक्रेसी ५ क्लासेज में बंटी हुई है—बड़ा साहब, छोटा साहब, बड़े बाबू, छोटे बाबू और चपरासी। इनमें आपस में कोई समानता नहीं है और यह आपस में फ्रीली मिल नहीं सकते। तो जो मैकेनिज्म क्लास बेसिस पर बना हो वह क्लासलेस सोसाइटी नहीं बना सकता। हमें इसको बदलना पड़ेगा, इसके कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा और इस के लिये हमें काफी गौर से सोचना पड़ेगा और अगर हमने नहीं सोचा तो काम नहीं चलने का। चर्चा सब करते हैं कि मशीन बदलनी चाहिये, लेकिन कैसे बदलनी चाहिये, उसका कंटेक्ट क्या हो, किस प्रकार कदम उठाया जाय, यह सब हम को देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप निर्माण का विचार जनता में जाग्रत करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, कि एक जिला मैजिस्ट्रेट का जिला कलेक्टर का प्रमोशन का आधार क्या हो। उसके प्रमोशन का आधार ही फिर यह करना पड़ेगा कि उसने अपने जिले के कितने निर्माण-कार्यों को किया है और उनको प्रोत्साहन दिया है, उसने अपनी

[श्री गोविन्दसहाय]

सर्विसेज के अन्दर जाति-पाति को खत्म किया है या नहीं, इन बातों को हमें देखना होगा। तो इसके लिये हमें समूचा ढंग बदलना पड़ेगा, रिक्रूटमेन्ट का ढंग बदलना पड़ेगा, डिसिप्लिन के रूल्स बदलने होंगे और यह सब काम आहिस्ता-आहिस्ता संगठित तरीके से होते हैं।

मुझे खुशी है कि सरकार ने इसके लिये कुछ कोशिशें की हैं। शुरू शुरू में मुझे याद है, जब हम गांव में जाते थे तो तमाम लोग अर्जियां देते थे। हमने उन अर्जियों को लेना शुरू किया। फिर हमको यह बात पसन्द नहीं आयी। इसको फिर बदला गया। ब्यूरोक्रेसी में और पोलिटिकल लीडरशिप में संघर्ष है। यह सही बात है और जो लोग इसे न जानना चाहें वे न जानें। मैं यह जरूर कहूंगा कि जो भी कदम हमने इन १०-१२ सालों के अन्दर उठाये हैं उन्होंने इसको पलटा है। जो अर्जी देने की पहले प्रथा थी वह अब खत्म हो गयी है, हट गयी है।

दूसरी बात यह हमने की कि मैरिट्स के हिसाब से प्रोमोशन हों। इसको हमने किया। मैं बोलना नहीं चाहता था इस प्रस्ताव पर, लेकिन बहुत से प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिनके जरिये अपने विचारों को व्यक्त करने का हमें मौका होता है। इसके मुताल्लिक मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी प्रमोशन्स हों, चाहे वे कमीशन के जरिये हों या जो हमारे आफिसर्स हैं उनके द्वारा हों, उनको यह जरूर सोचना चाहिये कि हम ऐसे तरीके से ऐडमिनिस्ट्रेशन को ढालें जिससे लोगों का काम जल्दी और आसानी के साथ हो सके।

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक किस्सा सुना दूं। अभी तीन चार दिन हुये, अदालत में कैसे करप्शन दूर हो, इस सिलसिले में एक कमेटी आगरे में बैठी। वहां पर एक मजिस्ट्रेट से पूछा कि जब आप अदालत में मुकदमा नहीं करते और आपको मालूम होता है कि देहरादून या सहारनपुर जाने वाले हैं, तो उन दिनों के लिये जो मुकदमे होते हैं उनसे संबंधित वकीलों को आप इत्तिला करा देते हैं कि फलां फलां तारीख को आप बाहर जा रहे हैं और और उस दिन मुकदमे नहीं होंगे। इसका उन्होंने जवाब यह दिया कि इस तरह से उनको सूचना देने का कोई तरीका हमारे यहां नहीं है। तो यह जो सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का है, यह बड़ा गलत है और इसको बदलने की जरूरत है। यह सिस्टम इतना खराब है कि वे कहते हैं कि इस तरह बताने का कोई कायदा ही नहीं है। मैंने उनकी अदालत में जाकर देखा कि ५० मुकदमे लगे हुए हैं और मैजिस्ट्रेट साहब सहारनपुर चले गये हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के मानी हैं कि जहां-जहां भी जो खामियां हों और जिनको दूर करने से आदमी को राहत मिल सकती है, उनको हमें दूर करना चाहिये। इस काम के लिये कोई १०-१२ वर्षों की जरूरत नहीं थी, इसके पहले ही इसको किया जा सकता था। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव आना चाहिये और मैं उसका स्वागत करता हूं कि इसके जरिये हमें महत्वपूर्ण मसलों पर राय जाहिर करने का मौका मिला। किन्तु जहां तक इस प्रस्ताव में जो बातें लिखी हुई हैं उनसे मैं डिसऐग्री करता हूं। उससे जो मर्ज है उसका इलाज नहीं हो सकता, उससे मर्ज को समझा नहीं जा सकता। प्रश्न यह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमको ऐसा चाहिये जो हमारी हर पालिसी को, हर बात को, समझकर उसका अपने मुहकमे के जरिये संचालन कर सके। चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, जिलाधीश हो, कोई हो, इसलिये मैं समझता हूं, मौजूदा हालत में अगर इतनी बहस का इतना भी फायदा हो गया कि इसके जरिये हमें इसपर सोचने का मौका रहता है तो मैं समझता हूं कि जो रुपया इस बहस में ४-५ हजार खर्च होगा उसका एक अच्छा उपयोग हो जायगा।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने लायक दोस्त अवस्थी जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव सदन में रखा कि जिसकी बिना पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखने का मौका मिल रहा है। मैं समझता था कि गोविन्द सहाय कमेटी के अध्यक्ष जब माननीय सहाय जी थे तो कोई ऐसा संदेश या रोशनी हमें दिखाते जिससे आज जो १२ साल से एक जगह हमारे जिले की सत्ता केन्द्रित हो गयी है, किस तरह से उसको विकेन्द्रित किया जाय और इस समय जो विधेयक सिलेक्ट कमेटी को गया है उसका क्या रूप हो, हम समझते थे कि गोविन्द सहाय जी रोशनी डालेंगे, लेकिन उन्होंने अपने को बीच में ही खड़ा रखा, कुछ सुझाव देने की कृपा जरूर की।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य बीच में बैठे भी हैं।

श्री प्रतापसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव की महत्ता इसलिये भी है कि आजादी के आ जाने के बाद जो शासन आज यहां पर हो रहा है उसमें केवल अंग्रेजों की जगह अपने यहां के लोगों को बैठाल दिया गया है और वही शासन व्यवस्था चल रही है। जिस प्रकार अंग्रेजों के जमाने में जिलाधीश होता था और एक जगह बैठ कर सारी मशीनरी को चलाता था, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि आज भी उसी प्रकार से शासन चल रहा है, जो हमारे समयानुकूल, हमारी परिस्थिति के अनुसार या प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुसार नहीं है। इसलिये उसको बदलना परमावश्यक है। मैं समझता हूं कि इसमें इधर के और उधर के सभी लोग सहमत होंगे।

मैं इसको दो हिस्सों में बांटता हूं। एक तो ट्रांसफर आफ पावर्स, दूसरा इनिशिएटिव, यानी एक तो शक्ति का विकेन्द्रीकरण और दूसरा यह कि आजतक जितने काम होते थे उसमें उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जिलाधीश को आर्डर दिया और ऊपर से इनिशिएटिव आता था, तब काम होता था। आज जो शक्ति का विकेन्द्रीकरण है और इनिशिएटिव है वह प्रदेश की गवर्नमेंट से लेकर एक गांव के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिये वहां की जनता के हाथ में देना है—इस प्रस्ताव का मैं यही मंतव्य समझता हूं और आज यह परमावश्यक है।

मान्यवर, जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना बनायी गयी उसमें पं० जवाहरलाल नेहरू, जिनको आज सभी नेता मानते हैं उधर के बैठे हुए लोग, उन्होंने कहा कि जनता के हाथ में राज्य होगा। तो यह अवस्थी जो जो प्रस्ताव लाये हैं इससे वह इसी ओर ले जाना चाहते हैं कि जनता के हाथ में सत्ता दी जाय। यह ठीक है कि नियोजन का जमाना है, ब्लाक भी खुले हैं, लेकिन अन्ततोगत्वा सारा प्रशासन जनता को ही अपने हाथ में लेना है, इसलिये यह आवश्यक है कि मौजूदा परिस्थिति के अनुसार जब हमारा शासन ठीक नहीं चल रहा है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार और जनता के लिये यह सोचना पड़ गया है कि आज हम किस परिस्थिति में हैं उस समय ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता है। १९४८ के बाद हमारी सारी शक्ति को एक जिले में केन्द्रित कर दिया गया है और १९४८ से जो जिला बोर्ड चल रहे थे उनका चुनाव नहीं हुआ।

मुझे ताज्जुब हुआ कि जब गोविन्द सहाय जी ने कहा कि जिला परिषदें इसलिये बनवायी हैं कि आप चुने हुए प्रेसीडेंट को नहीं चाहते थे। ऐसी बात नहीं है, इसको तो स्वयं स्वायत्त शासन मंत्री बतलायेंगे। आर्डिनेंस के जरिये से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खत्म किया गया और आर्डिनेंस के जरिये से जिला परिषदों को स्थापित किया गया और हमको चार्ज किया जाता है कि आपने कहा कि चुने हुए अध्यक्ष खराब हैं, लिहाजा जिलाधीश के हाथ में सत्ता दे दो मैं इससे इत्तफाक़ नहीं करता। मैं चुनौती तो नहीं देता हूं, लेकिन यह जानकारी अवश्य रखता हूं कि ऐसी बात हुई नहीं। जब आर्डिनेंस के द्वारा कोई चीज आये तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि सरकार का कोई इरादा विकेन्द्रीकरण का नहीं है। सवालों के जवाब में जरूर कहा जाता है कि हम सारी चीजें ग्राम समिति को दे रहे हैं और मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह कहें कि बिना कमीशन या कमेटी बने हुए सारी शक्ति दे दीजिये, इसलिये कि हमको यह भी सोचना है कि ग्राम स्तर पर जो लोग काम करते हैं और अदालती पंचायत में जो काम करें

[श्री प्रतापसिंह]

रहे हैं वह कुछ इस काबिल हो सकते हैं या नहीं। आज की हालत में उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई या नहीं ? मान्यवर, मुझे ताज्जुब होता है कि ५०० रुपये तक के मुकदमों का अधिकार पंचायतों को दिया गया, लेकिन सरपन्च की ट्रेनिंग सिर्फ १५ दिन की। इतनी कम दिनों की ट्रेनिंग के बाद आप समझते हैं कि वह एक मुंसिफ का अधिकार अच्छी तरह से चला सकेंगे, यह कहां तक ठीक है ?

विकेन्द्रीकरण बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको मानता हूं। मैं कमीशन की मांग इसलिये कर रहा हूं कि वह यह पता लगा सके कि जिला, ब्लाक और गांव के लेविल पर जो लोग कार्यप्रणाली को चला रहे हैं, वह सारी शक्ति अगर विकेन्द्रित कर दी जायगी तो उसका रूप क्या होगा। हमें यह पता लगाना है कि किस तरह का काडर होना चाहिये, किस तरह की और कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिये। इस बात का पता कमीशन लगायेगा। मान्यवर, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी का हमको तजुर्बा है, उसमें जितने सदस्य नहीं होते उतने अफसर होते हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि अफसरों और गांव वालों के दृष्टिकोण में कितना अन्तर है, एक अफसर और एक ग्राम सभा के सदस्य के लिबास में कितना अन्तर है। इन चीजों से एक काम्प्लेक्स पैदा होता है और एक अफसरशाही और व्योरोक्रैटिक सेटअप हो जाता है। आज जो आप शक्ति देना चाहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि उसका दुरुपयोग होने लगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक कमीशन बने और वह सोचे कि विकेन्द्रीकरण तो होना ही है, लेकिन उसका रूप क्या हो गांव और ब्लाक लेविल पर।

श्री गोविन्द सहाय जी ने एक बात और कही परन्तु उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। उस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं। आप एक पैटर्न बनाना चाहते हैं जिससे सारी जगह विकास हो सके, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस चीज को आप बिना खर्चे के कर सकते हैं उसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने गांव की लेविल पर एक व्यक्ति को ग्राम सेवक के नाम से रखा है। तमाम कमेटियों ने सिफारिश की है, गोविन्द सहाय जी और श्री बलवन्त राय मेहता कमेटी ने भी कहा कि नीचे के स्तर पर मल्टीपर्पज काम हो गये हैं, लेकिन उस तरफ आप ध्यान नहीं देना चाहते।

आज आपने जिला स्तर पर जिलाधीश रखा है। जिलाधीश का मतलब है जिले का ईश्वर। मान्यवर, गुस्ताखी माफ हो, यहां पर सेक्रेटेरियट में सेक्रेटरीज और अन्डर सेक्रेटरीज के सोचने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन वही अफसर जब जिले में जिलाधीश की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका नजरिया बदल जाता है। इसमें उनका कसूर नहीं है बल्कि कसूर है इस यू० पी० की सरकार का, कांग्रेस गवर्नमेंट का। वह इस योग्य नहीं है कि वह शासन को आगे सुधार सके। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिलाधीश के पद की क्या जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि उसको बिलकुल खत्म कर दिया जाय, लेकिन मौजूदा हालत में तो आपने उसको एक खुदा बना कर रख दिया है।

जिलाधीशों का आज यह काम हो गया है कि वे दो राजनीतिक पार्टियों को आपस में लड़ायें। आज बहुमत पार्टी यह समझ रही है कि शासक दल के साथ जो विरोधी दल हैं वह उनके दुश्मन हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि अगर यहां पर पार्लियामेन्टरी सिस्टम को चलाना है तो शक्तिशाली विरोधी दल का होना आवश्यक है ताकि प्रशासन सुधर सके। इस तरफ उनका ध्यान कम जाता है। उनका ध्यान इस ओर जाता है कि कौन बड़े-बड़े अफसर ऐसे हैं जो चापलूसी करते हैं। हमको किसी अफसर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हम और आप एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी विचार रखते हैं, लेकिन जब किसी एक पार्टी का आदमी किसी आफिसर के सामने जाकर दूसरी पार्टी के सदस्य की निन्दा करता है तो अफसर यही समझता है कि यह आदमी उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हो सकता है। आज बड़े आफिसर आपको शासन की बागडोर चलाने में अपने हाथ का

एक खिलौना बनाना चाहते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिलाधीश का पद केवल कलेक्टर का पद रखा जाय और उसके शेष कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जाय और एक कमीशन की नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र की जाय। मान्यवर, नैनीताल का मुझे तजुर्बा है, वहां के डी० एम० और सिटी मैजिस्ट्रेट सिवाय मिनिस्टरों का स्वागत करने के और कोई काम नहीं कर सकते हैं ....

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम स्वागत कराना नहीं चाहते।

श्री प्रतापसिंह---मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते। लेकिन मैं मिनिस्टरों के लिये यह कह रहा हूं। जब तक आप यह पैटर्न रखते हैं कि जिलाधीश मिनिस्टरों का स्वागत करेगा, वह करेगा। इसलिये आप इस पैटर्न को बदलिये और यह जो मिनिस्टरों का स्वागत होता है, लड़कों और लड़कियों की लाइन लगायी जाती है, उसको बन्द कीजिये। क्यों ? क्योंकि मिनिस्टर भी तो एक एम० एल० ए० होता है। जिस प्रकार और एम० एल० एज० जाते हैं उसी प्रकार से आप भी जायें। लेकिन चूंकि स्वागत होता है, इसलिये होड़ लगी रहती है कि मिनिस्टर बना जाय। क्योंकि हरएक एम० एल० ए० देखता है कि जब तक वह एम० एल० ए० रहता है कोई भी उसका स्वागत नहीं करता, लेकिन उसके मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर होते ही सब लोग स्वागत करने लगते हैं।

इसलिये आज हम कैबिनेट से कहना चाहते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिकों का भला चाहते हैं, अगर आप प्रदेश के प्रशासन को संभालना चाहते हैं तो आपको जिलाधीश की ताकत को कम करना होगा, उसके पद को कलेक्टर के पद तक ही सीमित करना होगा। अगर आप स्वागत चाहते हैं तो एक ऐसा मैजिस्ट्रेट बना दीजिये जिसका काम केवल स्वागत करना ही हो। और एक मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर बना दीजिये जिसका काम केवल उद्घाटन करना ही हो। इस प्रकार से जो काम जिलाधीश को करना पड़ता है वह स्वागत मैजिस्ट्रेट कर लेगा और जिलाधीश अपने कार्य की ओर ध्यान दे सकेगा। पहाड़ों की तो मैं जानता हूं, एक-एक गांव हैड क्वार्टर से १००-१०० मील की दूरी पर होता और वहां से गरीब किसान इसलिये आता है कि कहीं उसका मुकदमा खारिज न हो जाय, लेकिन जब यहां आता है तो मालूम होता है कि तारीख बढ़ा दी गयी, क्योंकि जिलाधीश महोदय मिनिस्टर साहब के रहने खाने का इन्तजाम करने में व्यस्त हैं।

कहा तो यह जाता है कि सोवेरेन्टी लाइज इन दि पीपुल (Sovereignty lies in the pepole) लेकिन आज उसको शासन में पूछता कौन है ? चाहे जवाहरलाल कुछ कहें, चाहे राधाकृष्णनन कुछ कहें, लेकिन यह जमाना कहने का नहीं है, करने का है। इसलिये इन सारी बातों को देखते हुए कमीशन की नितान्त आवश्यकता है।

जिला परिषदों के बारे में आप जो तब्दीली करना चाहते हैं वह इसलिये करना चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन ने आपसे कहा है कि अगर दूसरी स्टेट्स की तरह से जिला परिषद् नहीं चलती हैं तो आपको ग्रान्ट नहीं मिल सकती। हमारी सरकार तो सेन्टर से गाइड होती ही है। अब वह बलवन्तराय मेहता कमेटी के अनुसार बिल बनाना चाहती है। उसकी रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी थी। कई दिन से सरकार और विरोधी दल के नेताओं के बीच बात चीत चल रही है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूं कि जो सेलेक्ट कमेटी यह कह रही है कि इस बिल को वापस होना चाहिये, उसी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द यह काम क्यों नहीं कर दिया जाता है कि वह इसको संशोधित करके नया बिल लाये।

[श्री प्रतापसिंह]

जब हम कमीशन की मांग करते हैं तो हमसे यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा कमीशन मुकर्रर भी हुआ है । लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ब्रिटेन की बहुत अच्छी मानी जाती है । वहां पर भी ऐसा हुआ है—

"Reforms in the general structure of local government in England and Wales (outside Greater London), the redistribution of certain functions as between county councils and county district councils, and changes in local government finance in Great Britain as a whole are proposed in a series of White Papers issued in 1956 and 1957. The Government has expressed the view that there is no convincing case for a radical reshaping of the existing form of local government in England and Wales, but that it should be overhauled and improved in such ways as are necessary to bring it up to date. Certain guiding principles, and the machinery that would be appropriate for applying them to the main problems, are outlined in the White Papers. Legislation is to be introduced to implement these proposals ; and a Royal Commission is to be set up to study the position in Greater London."

जब सब मामलों में आप ब्रिटेन का अनुकरण करते हैं तो इसमें भी कीजिये। ब्रिटेन ने इस बात को महसूस किया कि इस बारे में एक कमीशन ऐप्वाइंट करना चाहिये।

अब अन्त में केवल इतना और कहना चाहता हूं कि चाहे तो आप बलवन्तराय मेहता कमेटी को देखें, चाहे गोविन्द सहाय कमेटी की रिपोर्ट को देखें, चाहे ब्रिटेन के रायल कमीशन का उदाहरण अपने सम्मुख रखें और चाहे माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न उठाये गये हैं अथवा प्रश्न पूछे गये हैं, उनको ध्यान में रखें, आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस सम्बन्ध में आपको एक कमीशन को नियुक्त करनी चाहिये। इसलिये जिले का जिलाधीश जिसको आपने वहां का गाड बना रखा है उसे जरा इन्सान बनाइये ताकि वह जनता की तमाम तकलीफों को देख-सुन तो सके। मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि मुकदमों के सिलसिले में जनता को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिये आप मंत्रियों के स्वागत के लिये अलग से मैजिस्ट्रेट ऐप्वाइंट कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय अवस्थी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन में रखा है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संकल्प के ऊपर जिन उच्च विचारों और उच्च भावनाओं को इस सदन में पेश किया गया है उनका मैं आदर करता हूं। परन्तु जब हम किसी मौजूदा व्यवस्था को तबदील करने का कोई विचार करते हैं तो हमें निश्चय तौर से यह तय करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और इस नतीजे पर हमको पहुंचना चाहिये कि उस व्यवस्था को तब्दील करके जो हम अपने समाज और मुल्क में उत्थान लाना चाहते हैं उससे मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले में हमारा फायदा होगा तथा उससे हमारे देश को राहत पहुंचेगी। अगर हम मौजूदा व्यवस्था को तब्दील कर कोई दूसरी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो अगर मौजूदा व्यवस्था से उस व्यवस्था में मुल्क की परिस्थिति बिगड़ने का भय हो और इस बात की आशंका हो कि इससे मुल्क की व्यवस्था बनने के बजाय बिगड़ती चली जायगी तो मैं समझता हूं कि हमारे विचार उच्च होते हुए भी, हमारी प्रेरणा बहुत सुन्दर होते हुए भी, हमको इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाना चाहिये।

श्रीमन्, मैंने दोनों तरफ के भाषणों को यहां पर सुना। श्री गोविन्द सहाय वाली बात तो बहुत अच्छी है, विचार बड़े ऊंचे हैं, आदर्श ऊंचे हैं। कौन ऐसा बुद्धिजीवी इन्सान है जो मुल्क के लिये अच्छे से अच्छे और उच्च से उच्च विचार न रखता हो और उनका समर्थन न करता हो ? परन्तु हमें यह देखना है कि आज की मौजूदा हालत में अगर हम उस व्यवस्था की बात करते हैं जो व्यवस्था वस्तुस्थिति से बहुत दूर है, जिस व्यवस्था के लिये आज पोटेंशियल समाज और कंट्री

में इतना मेच्योर परिपक्व नहीं है जिससे हमारे विकास के कदमों में स्थिरता आ सके, तो इस तरह के विचारों का हम क्यों। समर्थन कर दें जिससे हमारे समाज और मुल्क का फायदा नहीं होता हमें यहां पर यह भी देखना है कि आज जो हालत हमारे मुल्क की है वह किसी से छिपी नहीं है । अगर हम सारे मुल्क के ऊपर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट दिखलायी देता है कि हमारे देश के अन्दर विचारों और भावनाओं की एक ज्वाला प्रज्वलित है, हमारे देश के अन्दर मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से बाजी लेने के लिये, किसी भी तरह से अपनी पावर कैप्चर करना चाहती हैं। हर राजनीतिक पार्टी इस देश में बाजी लेने के लिये तैयार है।

दूसरी बात यह है कि हमको यह पता है कि हमारा भारतवर्ष देश अन्दर और बाहर की किन जटिल समस्याओं में फंसा हुआ है ।

तीसरी बात यह है कि बाहर से चीन का खतरा हमारे देश की शान्ति और उसकी आजादी के लिये जो उपस्थित हो गया है वह खतरा बहुत बड़ा है। इसलिये ऐसी परिस्थितियों में हमको यह अवश्य देखना होगा कि कम से कम ला ऐंड आर्डर मेन्टेन करने के लिये, शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये और मुल्क के अन्दर जो कोई भी गड़बड़ी हो सकती है उसको रोकने के लिये, हमें एक व्यवस्था अवश्य कायम रखनी है। मौजूदा हालत में हमारी सरकार के हाथ में केवल एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही जिले के अन्दर ऐसी मशीनरी है जो सब राजनीतिक पार्टीज के ऊपर है और जैसा कि हमारे लायक दोस्त जिन का यह प्रस्ताव है, कहते हैं उसके अनुसार आखिर जिलाधीश की जगह कोई नान-आफिशियल आदमी होगा, किसी चेयरमैन या शासक की व्यवस्था होगी तो वह भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का एक व्यक्ति होगा और उस दशा में भी कहा जायगा कि प्रदेश में और सेन्टर में तो किसी एक पार्टी की हुकूमत थी ही अब जिले में भी उस पार्टी की हुकूमत हो गई। इसलिये शान्ति के नुक्तेनजर से जरूरी है कि जो भी हमारा कदम किसी तब्दीली के लिये हो वह सोच समझ कर हो। इस प्रकार की बातों को बिना सोचे एक दम से कार्य रूप में परिणत करने की बात इतनी आसान नहीं है, सोचने में बड़ा सुन्दर दिखाई देता है, किताबों में पढ़ने में और आप के भाषण में और इस सदन में जो बहस की जाती है उसमें वह बहुत सुन्दर है, मैं जानता हूं कि विचारों की ऊंची उड़ान वह लेते हैं। लेकिन जब कि हमारे बिरादरी के भाई साहबान जो सरकारी नौकरों से काम कराते हैं तो मुझे बड़ी लज्जा आती है कहने में कि वह किस कदर अपना मतलब हल करने के लिये अपना शरीर ही नहीं झुकाते बल्कि अपनी बिरादरी को भी अपमानित कराते हैं। हमारे विचार और व्यवहार में एकता नहीं है, हम कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं।

मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है यह कतई इल-कन्सीव्ड है। हमने अभी देश की तमाम परिस्थितियों को देखने की कोशिश नहीं की है। मेरे सामने बैठे श्री राजनारायण जी कहते होंगे कि हमने कोई घूस खाई है या हम इस मामले का अनेलेसिस करने में कोई तरफदारी कर रहे हैं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। माननीय राजनारायण जी जानते हैं कि अगर जिलाधीश न हो और अगर वह काम किसी पार्टी के आदमी के हाथ में चला जाय तो जिले में लोगों का रहना मुश्किल हो जायगा। हमारे अन्दर वह सहनशीलता, वह टालरेन्स अभी नहीं है जो किसी स्वतंत्र देश के निवासियों के दिल-दिमाग में होनी चाहिये। जिस सभ्यता और जिस संस्कृति का हम नाम लेते हैं उसके अनुसार कैरेक्टर की हम में कमी है। इसलिये मैं कहता हूं कि आपका वसूल ऊंचा हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि अगर हम इन विचारों को कार्य रूप में परिणित करने लगे तो उससे हमारे देश की शान्ति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आयेगा, उस समय कितने पोटेंशियल्स हमें उस के लिये मिलेंगे जिससे कि हम इस देश को हरा-भरा करना चाहते हैं। हम ला ऐन्ड आर्डर के नाम पर देखते हैं कि हम आज किसी न किसी पार्टी को बिलान्ग करते हैं--चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, सबको ला ऐन्ड आर्डर की जरूरत है और हम सभी को उसे प्रायर्टी भी देना होगा। यदि एक मजबूत ला ऐन्ड आर्डर देश में न होगा तो न कम्युनिस्ट की सरकार या सोशलिस्ट की सरकार या

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

कांग्रेस की सरकार टिक सकती है और जिस लक्ष्य के लिये वह यह सब करना चाहते हैं वह लक्ष्य ही खाक में मिल जायगा। सारे देश में शान्ति बनाये रखने के लिये, सारे देश के जीवन को अच्छी तरह से संवारित करने के लिये और अपने देश के अन्दर एक व्यवस्था कायम रखने के लिये यह बहुत जरूरी है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे स्वायत्त शासन की बात है, कम से कम १५०० वर्ष पहले हमने देखा कि हमारे शासन की अमर कीर्ति की पताका फहराती हुई दिखाई देती है Vox populi Vox dei—The voice of the people is the voice of God. यह हमारे भारतवर्ष का बहुत पुराना विचार है और उस पर हमारे देश में शासन की संस्थाएं सारे मुल्क के अन्दर बिछी हुई थीं। हमारी और आपकी अगर मुसीबतें टल जाती हैं, अगर दुनिया के सामने हमारा देश ताकतवर हो जाता है और हम उसमें शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के लिये बलशाली हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस स्वायत्त शासन की प्रगति का हम हृदय से स्वागत करेंगे, जिसकी संस्थाएं हमारे देश में चारों तरफ बिखर जाएंगी और केवल एक सरकार नहीं बल्कि करोड़ों छोटी-छोटी सरकारें हमारे गांवों और देश को बलशाली बनाने में मदद करेंगी।

यों कहा जा सकता है कि हम उन छोटी संस्थाओं को आज डिस्ट्रस्ट करते हैं और उन लोगों के हाथ में हम सत्ता को सौंपने के लिये डिस्ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को सत्ता को हमारे हाथ में सौंपा है। यह तर्क दिया जा सकता है, लेकिन यह तर्क इन परिस्थितियों में मौजूं नहीं है। उसका कारण यह है कि जबकि मुल्क में गड़बड़ी हो, मुल्क के दिल और दिमाग के अन्दर भावनाओं और विचारों का एक दूसरे से टक्कर लेने के लिये भूचाल-सा आता हो, ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के हाथ में ला ऐन्ड आर्डर को सौंप देना जहां कि घर-घर गांव-गांव और ग्राम-सभाओं के मेम्बर साहबान के अन्दर एक बड़ी खाई मौजूद हो, उचित नहीं है। इसलिये जब हम वस्तु-स्थिति को देखते हैं और आपके विचारों को देखते हैं तो हम समझते हैं कि आप जमीन पर चलते हैं और आसमान के तारों को तोड़ना और चांद को चूमना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह आपका एक स्वप्न है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आपके दिल और दिमाग के अन्दर कतई वह टाल्रेंस नहीं है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जितने भी भाई हैं वे चाहते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत को कब हम खत्म करें, कल ही, रात खुलने के बाद हम बैठ जांय तो कितना अच्छा है। किन्तु महासभा और जनसंघ वाले कहते हैं कि रात खुलना तो बहुत दूर है, १० बजे रात तक ही ले लें तो अच्छा होगा। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है जो एवरेस्ट को भी क्लेम कर रहा है, उधर गोआ की भी हालत आप देख रहे हैं। तो क्या आप इन बातों को इग्नोर कर सकते हैं?

मोतीलाल जी तो बड़े शहर के रहने वाले हैं जहां बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस हैं, जहां कि यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, जिसका सबसे पहले वह समर्थन करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से तो बुद्धि का विकास हुआ करता है, वह तो बुद्धि का रिजरवायर हुआ करती है। क्या वह समझते हैं कि हमारे मुल्क के अन्दर वह पोटेंशियल है? क्या हम उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिये समर्थ हैं, जिस सुन्दर और ऊंची व्यवस्था को हम अपने देश के अन्दर लाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह ड्रीम करना नाकाफी है कि हमारे विचार बहुत सुन्दर हों, हमारे विचार बहुत ऊंचे हों, हम भविष्य को एक सुन्दर तस्वीर खींचे कि अगर हमारा चरित्र, दिमाग, बल और बुद्धि के अन्दर वह पोटेंशियल हों जो तस्वीर को एक सजीव रूप दे सकें तब तो हमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु हमारा अध्ययन इसके बिलकुल विपरीत है। अतः ऐसी हालत में उस सुन्दर कदम को कार्य रूप में परिणत करने की बात खतरे से खाली नहीं है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी जी का बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने इस सदन में एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत करके कुछ

विचार विनियम करने का मौका प्रदान किया है, जिस पर हमें माननीय गोविन्द सहाय जी के विचार मालूम करने का मौका मिला और साथ ही श्री चन्द्र सिंह रावत जी के विचार भी सुने।

मैं गोविन्द सहाय जी के लिये केवल एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इसको स्पिरिट से ऐग्री करता हूं, लेकिन इस प्रस्ताव सें इत्तफाक नहीं करता। खैर, उनके विचार अपनी जगह पर बहुत सुन्दर हैं। लेकिन जहां उन्होंने विरोधियों पर एक इलजाम लगाया था जिसका जवाब साथी प्रताप सिंह जी ने दिया, मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि कभी किसी विरोधी पार्टी के किसी सदस्य ने इसलिये अंतरिम जिला परिषद् की मांग नहीं की कि वहां पर कलेक्टर को देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि वहां पर चुना हुआ अध्यक्ष हो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसे विचार हो सकते हैं तो गोविन्द सहाय जी की पार्टी के हो सकते हैं, विरोधियों के नहीं। आज कांग्रेस पार्टी को बड़ी परेशानी है वह कहते हैं कि जिला परिषद् बिल को वापस ले लें और कोई अंतरिम इंतजाम किया जाय। उसके लिये नेताओं की मीटिंग हो रही हैं कोई तरीका निकालने के लिये।

जहां तक रावत जी की बात है, वह चले गये, उन्होंने सेल्फ कांफीडेंस की कमी अपने अन्दर जाहिर की। उन्होंने कहा कि जमीन पर चल कर आसमान के तारे तोड़ना चाहते हैं। अगर वे मौजूद होते तो मैं पूछता कि आखिर यूटोपियन वर्ल्ड में हम रहते हैं या वह रहते हैं। जिस चीज को हम कहते हैं वह उस को समझने में असमर्थ पाते हैं। मैं अपने विचार नहीं बल्कि कुछ विशेषज्ञों के विचार, अगर रावत जी हों और उनको मान सकें, तो उनके लिये कहता। लोकमान्य तिलक ने आजादी के बहुत पहले क्या कहा था? क्या वह भी यूटोपियन वर्ल्ड में रहते थे? कांग्रेसी कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। लोकमान्य तिलक ने कहा था—

"The next step after independence should be revival of the Sram Sanstha. The village should be a unit of Swarajya, Education, Production, Health, Police Duty, Famine, Relief Management of Forests, in fact, nearly all the problems should be under the jurisdiction of the Sram Sanstha or the Sram Mandal."

मैं जानना चाहता हूं कि लोकमान्य तिलक जिस चीज को स्वतंत्रता के पहले सोचते हों और कहते हों अगर कांग्रेसी कहें कि प्रजा समाजवादी या समाजवादी जो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं वे यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हैं, मैं समझता हूं वह उस बात को समझ नहीं पाये। इतना ही नहीं अगर हम कुछ पढ़ने का कष्ट करें तो १९०७ में एक रूरल कमीशन आन डिसेन्ट्रलाइजेशन (Rural Commission on Decentralization) मुकर्रर किया गया। उस कमीशन ने कहा है "Villages formerly possessed large degree of autonomy." मैं आज कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। जिस जमाने में हम स्वाधीन थे उस जमाने में हमने देहात की आटोनामी को खोया। आज हम विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं कि गांव वालों को सत्ता दी जाय, उनको अवसर दिया जाय कि वे अपना काम कर सकें। बलवन्त राय मेहता कमेटी ने कहा है—

"While we are convinced that devolution of power in a smaller body would be the most effective method of democratic decentralization, we do not refuse to visualize similar devolution to a district body. Instead, such a district body will have to be fully empowered by statute, to carry out all developmental activities in the district in the same manner as we have recommended for the Panchayat Samiti, though on correspondingly a larger scale."

इतना ही नहीं, और बातें भी मैं इस सिलसिले में कहना चाहता था। जब रायल कमीशन आन डिसेंट्रलाइजेशन की रपट १९०७ में आई तो उसमें कुछ जिले को ज्यादा

[श्री जगवीरसिंह]

शक्ति दे दी गयी थी और गांव को ठुकराने की बात कही गयी थी। तो डाक्टर बेसेन ने कहा—"Tie up a baby's arms and legs and then leave it to teach itself to walk. If it does not succeed, blame the baby. The free baby will learn equilibrium through tumbles, the tied up baby will become paralysed and will never learn." गांधी जी ने सन् ३१ के सेशन में ए० आई० सी० सी० में कहा"I regard Village Panchayat as an institution in itself."

अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं हमारे कांग्रेसी भाई नेहरू जी का बड़ा नाम लिया करते हैं। उनको देश का महान नेता माना जाता है। मुझे भी उनके प्रति श्रद्धा है। उनकी बात को मान लिया जाय तो सामने बैठने वाले बहुत सी बातें कहने की हिम्मत न करते। नेहरू जी ने ६ अगस्त, १९४८ को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में कहा—"People had got into the habit of thinking democracy at the top and not so much below. Democracy at the top could not be a success unless it was built on this foundation from below."

श्री अधिष्ठाता—आप अर्थ भी कृपा करके बतलाते जांय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री जगवीरसिंह—जितने लोग यहां बैठे हैं वे इंटरेस्टेड हैं और वे समझ ही रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—संक्षेप में आप कह सकते हैं।

श्री जगवीरसिंह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब मैं विनोबा भावे जी का जिक्र करूंगा। विनोबा जी ने जहां विकेन्द्रीकरण की बात कही है वहां उन्होंने कहा है :

"When the stewardship of the whole country has to suffer the consequences of their one single mistake. But this will not be possible when the power resides in the village itself. If one village commits a certain blunder, another will not repeat it. Hence power should be distributed in every village. There must be decentralization of power."

जब शक्ति थोड़े से आदमियों के हाथ में होती है तो किसी एक गलती के लिये तमाम देश को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जब गलती गांव में होगी तो ऐसी आशा कम है कि एक गलती के लिये सबको तकलीफ उठाना पड़े। अगर एक गांव गलती करता है तो दूसरा ग्राम उस गलती को दोहरायेगा नहीं। इसलिये विनोबा जी का कहना है कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और हर गांव को अधिक शक्ति पहुंचना चाहिये।

जैसा गोविन्दसहाय जी ने कहा मैं भी उससे इत्तिफाक करता हूं कि किस तरह से शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो और आया गांव वाले उसे ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जैसा साथी प्रतापसिंह ने कहा कि ५०० रुपये की नालिश का अधिकार किसी जमाने में एक मुंसिफ को था और अब १५ रोज के ट्रेनिंग के बाद एक सरपंच से आशा करें। उसके लिये एक कमीशन मुकर्रर किया जाय। कमीशन की बड़ी आवश्यकता है। अगर कमीशन होगा तो वह सब पहलुओं पर गौर करेगा, लेकिन हमको एक सिद्धान्त मान लेना चाहिये कि हमको विकेन्द्रीकरण करना है और तमाम शक्ति उस झोपड़ी में रहने वाले किसान और मजदूर तक पहुंचानी है। हमको महात्मा गांधी की वह बात याद आती है जो उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष का प्रधान मंत्री एक किसान का बेटा हो। जब एक किसान के बेटे को प्रधान मंत्री का पद महात्मा गांधी जी सौंप सकते हैं तो क्या कारण है कि हम गांव में रहने वालों पर यह विश्वास न करें कि उनके दिल व दिमाग है और जो शक्ति उनको दी जायगी उसको वह ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। असल में बात यह है कि आज जिन हाथों में शक्ति केन्द्रित है वे उसको देना नहीं चाहते। यहां कहा गया कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, पार्टियां हुकूमत लेना चाहती हैं।

मैं बतला देना चाहता हूं कि किसी भी प्रजातन्त्र के चलने के लिये पार्टियों का होना बहुत आवश्यक है और प्रजातन्त्र वही कामयाब हुआ करता है जहां पर कभी किसी पार्टी की हुकूमत हो और कभी किसी पार्टी की हुकूमत हो। यह जरूर है कि मल्टी पार्टीज में भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम यह चाहते हैं कि कल को हम सरकार में हों और हमको कार्य भार चलाने का मौका मिले तो हम कोई गलती नहीं करते हैं बल्कि यह प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार ही है। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिये।

श्रीमन्, अवस्थी जी के प्रस्ताव के तीन हिस्से हो सकते हैं। उसका एक हिस्सा है विकेन्द्रीकरण। किसी भी प्रजातन्त्र में जिनके द्वारा चुन कर हम आते हैं उनको अधिकार देने में हमें कोई आपत्ति हो, ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती। हमें विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त पूरे तरीके से मान लेना चाहिये और इस बात को भी मान लेना चाहिये कि आज आवश्यकता है, लोगों की पुकार है कि विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को मान कर हमें यह एलान करना चाहिये कि हम एक कमीशन की नियुक्ति करेंगे—उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स जो भी हों—उसको पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह तय कर सके कि किस तरीके से विकेन्द्रीकरण करना है, कितनी शक्ति गांव में, कितनी ब्लाक में, कितनी सूबे में और कितनी केन्द्र में रखने की जरूरत है।

अन्तरिम जिला परिषद् की बात साथी प्रतापसिंह जी ने कही। मैं उस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि अगर हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो जिस जनता ने हमको चुन कर यहां भेजा है उसकी यह पुकार है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को जो आप टालते जा रहे हैं और कोई तरीका तलाश करते हैं कि सन् ६२ तक उन चुनावों को न करायें, तो मैं मांग करता हूं कि मंत्री जीउन चुनावों को हटाने की बात न सोचें। अगर कोई खास तब्दीली उनको उस बिल में करनी हो तो जो प्रवर समिति है वहीं उसमें कोई चेप्टर जोड़ सकती है और जुलाई के सत्र में उसको हमारे सामने यहां लाया जा सकता है और बहुत जल्द हम चुनाव करा सकते हैं।

मैं कह रहा था कि इस संकल्प के तीन हिस्से हैं। दो पर मैं विचार रख चुका हूं। अब जिलाधीश के पद को हटाने की बात कही जाती है तो उधर से कहा जाता है कि यह व्यावहारिक नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो रवैया एक आई० ए० एस० अफसर का लखनऊ में रह कर होता है वही रवैया जिलाधीश के पद पर जाने के बाद उसका रहता है। हरगिज नहीं। जिले में जा कर वह समझता है कि उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं मिनिस्टरों की बात तो नहीं करता लेकिन एम० एल० एज० की जानता हूं कि बाज औकात उनसे भी किस किस्म का व्यवहार कर जाते हैं? कितने ही काम वह करते हैं और मैं बहुत अधिक कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि जिलाधीस की मेज पर ६/६ महीने तक फाइल पड़ी रहती है और उन पर वह दस्तखत करना बड़ा भारी काम समझते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, यह हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता सरकार महसूस करती रहे कि हर जिले में वह जरूरी है, लेकिन इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि आज के जिलाधीश जितने काम करते हैं और जैसे काम करते हैं उसको देखते हुये यह जरूरी है कि उसके पद को खत्म कर दिया जाय। हो सकता है कि हम कलेक्टर को रखें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो कतई न रखें। आज जिलाधीस के पास कामों की भरमार है। जिस समय यह अंतरिम जिला परिषद् की मीटिंग में जाता है तो हम उसको उसी नजर से देखते हैं जैसे कि हम आपको देखते हैं। प्लानिंग का काम उनके मातहत है और जिला परिषद् का काम भी उनके मातहत है। हमारी कांग्रेसी सरकार जो सूबे में पदासीन है उसने जुडीशियरी को ऐक्जीक्यूटिव से कुछ जिलों में अलग कर दिया है और आशा है कि एक दो साल में सब जगह कर दे। हो सकता है उसमें कुछ फर्क पड़े। लेकिन जहां आज

[श्री जगवीरसिंह]

सैपरेशन है वहां भी देखने में आया है कि जिलाधीश के पास मल्टीफेरियस डयूटीज हैं और वह ठीक से उन्हें अंजाम नहीं दे सकता है । आजकल बहुत से ऐसे जिलाधीश मौजूद हैं जो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय टालने में विश्वास रखते हैं । जब काम को टाला जाय और उनका तबादला हो जाय और दूसरे डी० एम० एम० पहुचें जो इसमें विश्वास करते हों कि काम करना चाहिये तो उनकी क्या हालत होगी, इसको मैं स्वयं नहीं जानता हूं ।

मैं माननीय अवस्थी जी के इस संकल्प का पूरे तौर से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस बात का ऐलान करेंगे कि उनकी सरकार का विकेन्द्रीकरण में पूरा विश्वास है और जल्द से जल्दी वह कोई कमीशन मुकर्रर करेंगे ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय अवस्थी जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसका विरोध करने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इसके बहुत से कारण हैं और यह प्रस्ताव जितना अव्यावहारिक हो सकता है उतना दूसरा नहीं हो सकता है । हम तो चाहते हैं कि आज की व्यवस्था हमारे देश और प्रदेश में ऐसी हो जाय कि सरकार की जरूरत ही न पड़े, जैसे सर्वोदय तथा अन्य संस्थाओं में है कि वह चाहते हैं न सभापति हो, न लेखपाल हो और न मंत्री हो और सारे का सारा कार्य अपने आप से लोग करते चले जांय, अपना समय बांटकर और सबका ध्यान रखते हुये । लेकिन जो कुछ चल रहा है उससे देखने में आया है कि ऐसा हो नहीं पाया है और जब ऐसा हो नहीं पाया है तो यह कैसे व्यावहारिक हो सकता है कि जिलाधीश का पद तोड़ दिया जाय और दूसरी व्यवस्था लागू की जाय ।

जहां तक विकेन्द्रीकरण की बात कही गई वह तो बराबर होता चला जा रहा है । आपने देखा है कि जमींदारी समाप्त करने के बाद गांवों में गांव पंचायत और न्याय पंचायत बनाई गई हैं और उनको बहुत से अधिकार दिये गये हैं जिनके द्वारा वह गांव की सम्पत्ति की व्यवस्था करें और बहुत से काम करें। लेकिन देखा जा रहा है कि गांव सभायें अब तक जितने अधिकार उनको दिये गये हैं उनको संभाल नहीं पाई हैं । हमारी सरकार ने गांव सभाओं को मालगुजारी वसूल करने का, न्याय करने तथा भूमि संबंधी व्यवस्था करने का अधिकार दिये और सरकार सोच रही है कि अगर गांव सभायें समर्थ हो जांय और सारा काम चलाने लगें तो एजुकेशन का काम भी उन्हें दिया जाय जिसमें प्राइमरी स्कूल वगैरह आते हैं, उनको कांजी हाउसेज दिये जा सकते हैं, गांव के स्वास्थ्य सम्बन्धी और भी व्यवस्थायें दी जा सकती हैं । लेकिन जब यह देखा जा रहा है कि अभी जितना दिया गया है उतना ही नहीं कर पा रहे हैं तो और आगे अधिकार देने से सिवाय इसके कि अव्यवस्था हो और कोई दूसरी चीज नहीं निकल सकती है । इन सूरतों को देखते हुए अभी यह व्यावहारिक नहीं है ।

दूसरी तरफ और जो विकेन्द्रीकरण की चीजें हैं वह भी की जा रही हैं। प्रत्येक गांव में साधन सहकारी समितियां उद्योग समितियां और बहुत सी इस तरह की सहकारी समितियां कायम की जा रही हैं। यह भी एक विकेन्द्रीकरण का ही लक्षण है। इसके अलावा टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद् वगैरह यह सब क्या है ? ये सब वही विकेन्द्रीकरण के ही यूनिट हैं और जनता जितना वह अपने काम को सम्हालते चले जायेंगे मैं समझता हूं उतने ही अधिकार उनके बढ़ते चले जायेंगे।

इसके साथ ही साथ यह भी तो देखना पड़ेगा कि इन सारी समितियों को सारे अधिकार देने के बाद कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि जब समितियां किसी अवस्था में असफल हो जाती हैं या ऐसा झंझट आ जाता है कि जिसकी वजह से उनको सही तरीके के काम करना दुर्लभ हो जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन समितियों को भंग किया जाय । तो ऐसी अवस्था में भी यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक जिले में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति रहे जिस में

ये सारी शक्तियां मौजूद हैं। उसके पास सब पावर्स हों, अधिकार हो जिसके द्वारा उन सब कामों को वह तुरन्त सम्हाल ले। अगर ऐसा कोई व्यक्ति न हो और वह समितियां किसी वक्त असफल हो जायं तो फिर एक अव्यवस्था फैल जायगी। वह अधिकार किसको सौंपा जायगा ?

जैसा अभी बताया जा चुका है कि किसी चुनी हुई कमेटी के अध्यक्ष को ये सारे अधिकार दे दिये जायं तो जब कभी कोई कमेटी असफल होगी तो उसका चेयरमैन जो है वह भी असफल होगा उसका भी अधिकार उस समय समाप्त हो जायगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हाल होगा और जहां तक यह कहा जाता है कि वह जो चेयरमैन होगा वह बिना किसी पार्टी का होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जनतंत्र में जब अनेक पार्टियां हैं और अनेक पार्टियां अपने-अपने सदस्यों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यभार को चलाती हैं तो जो चेयरमैन होगा वह भी किसी न किसी पार्टी का होगा और उस समय जो आज बातें कही जाती हैं उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जो किसी पार्टी का नहीं होता है, जो किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखता है और एक विशेषज्ञ है अपने काम का, जब उसके कार्य चलाने में इस तरह की बात कही जाती है तो वह व्यक्ति जो एक पार्टी का हो उसके लिये तो फिर अनेक प्रकार की बातें कही जा सकती हैं। तो इस प्रकार से देखने में यह आता है कि चाहे जिस प्रकार से नजर डालकर इसे देखें और फिर विश्लेषण करें तो इसी नतीजे पर पहुंचना होता है कि हमें आज जिलाधीश की आवश्यकता है और इस समय ऐसे किसी कमीशन की किसी आयोग की जरूरत नहीं है जो कि इन चीजों पर विचार करे क्योंकि जिन चीजों पर कमीशन या आयोग में विचार करने की बात है उसके लिये अभी भी अन्तरिम जिला परिषद् बनी हुई हैं। उसमें हम जिले की समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और उसके अन्दर अब तो हम जिले की प्लानिंग, सिंचाई, रोड्स और शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी और मिडिल स्कूल तथा अस्पताल वगैरह सब बातों पर विचार कर सकते हैं। ये सब चीजें जिला परिषदों के अन्तर्गत हैं और उन सब चीजों के ऊपर अपने-अपने जिले में पूरा-पूरा अपना विचार हम प्रकट कर सकते हैं और उसके अनुसार व्यवस्था में अपनी राय देकर उसे सुधार सकते हैं। तो जब यह चीजें चल रही हैं तो ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि कोई ऐसा आयोग बनाया जाय और वह कोई नयी व्यवस्था इसके लिये सामने रखे। इन चीजों को देखते हुये मैं समझता हूं कि यह संकल्प अनावश्यक है। इसलिये मैं अवस्थी जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको वापस लेने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री अवस्थी जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कि इस संकल्प को प्रस्तुत करके इस सदन को एक महत्व पूर्ण विषय पर चर्चा करने का मौका प्रदान किया है। यह केवल हम लोग ही इस बात को नहीं मानते हैं बल्कि देश के सबसे बड़े महापुरुष जो माने जाते हैं, महात्मा गांधी उन्होंने दसियों वर्ष पहले इस बात के लिये बार-बार कहा था और इस देश में प्रचार किया था और देश के जो सेवक थे, जो देश में काम करने वाले राजनीतिक स्टेज पर लोग थे उनको इस बात को समझाया था कि हिन्दुस्तान में जो ब्रिटिश हुकूमत है वह केवल नौकरशाही के बल पर टिकी हुई थी और नौकरशाही के बल पर ही विदेशी सरकार हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष शासन कर गई। महात्मा गांधी ने इन चीजों को गहराई तक समझा था और भली प्रकार से उन्होंने इसको समझते हुये हमारे देश में हम सभी को एक नयी चीज बताई थी कि जब तक यह नौकरशाही की जड़ हिन्दुस्तान में मजबूत है तब तक अंग्रेजी हुकूमत कोकोई हिला नहीं सकता। इस सिलसिले में मैं अपने विचार यहां पर नहीं रखता हूं। यह आजादी के पहले उनकी कही हुई बातें हैं कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण आजाद भारत में करेंगे। उनका ही यह कथन है कि धन का बटवारा होगा, धरती का बटवारा होगा और साथ ही सत्ता का भी विकेन्द्रीकरण होगा। महात्मा गांधी का ही यह कथन था।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरदयाल सिंह]

आज की हुकूमत एक जगह पर केन्द्रित है, एक जगह से ही सारे देश का प्रशासन चलता है उसको जब तक नीचे तक नहीं फैलायेंगे तब तक सही माने में जनतंत्र नहीं कहा जा सकता है और देश की सच्ची सेवा नहीं हो सकती है। उनका कहना था कि भारत में हम शक्ति को फैलायेंगे और हुकूमत को ऊपर से नीचे की तरफ करने के बजाय, नियंत्रण ऊपर से नीचे होने के बजाय नियंत्रण नीचे से ऊपर को करेंगे। गांव के स्तर पर, जिले के स्तर पर, सूबे के स्तर पर और केन्द्र के स्तर पर करेंगे। यह उनके ही कहे हुये शब्द हैं जिनको यह मौजूदा सरकार भूल चुकी है। उनके नक्शेकदम पर चलते हुये उनकी दुहाई देते हुये और उनकी सब बातों को भुलाते हुये आज यह सरकार इस संकल्प का उपहास करना चाहती है और इसे अनावश्यक समझती है।

आज यह वही सरकार है जो अपने आपको महात्मा गांधी का भक्त भी कहती है। तो मैं महात्मा गांधी के कथनानुसार यह बताना चाहता हूं कि इस समय जो यह संकल्प है, यदि इस पर विचार किया जाय और यदि हम इसके ऊपर सही तरीके से विचार करें तो यह जो संकल्प है कि कलेक्टर के पद को खत्म कर दिया जाय और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और इस सिलसिले में एक कमीशन बैठाया जाय जो उसकी पूरी जांच करे जो सारे तथ्यों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, तो इसको उचित ही पायेंगे। आजादी को हासिल किये हुये १२ साल गुजर गये हैं। मैं समझता हूं अभी तक कोई परिवर्तन शासन में दिखाई नहीं दिया। मैं यह भी समझता हूं कि यह संकल्प कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे सरकार के ऊपर या सरकार के शासन में कमी आ जायगी या सरकार के शासन में या देश के अन्दर कोई किसी तरह का खतरा पैदा हो जायगा। इतना ही केवल माना जायगा कि लाभ के अलावा इससे कोई हानि नहीं हो सकती है। वह जनता, जो सैकड़ों वर्षों से नौकरशाही से पिसी चली आ रही है, जिसके अधिकार नौकरशाही द्वारा छीने जाते रहे हैं और जिसके द्वारा हमेशा जनता के अधिकारों का हनन होता रहा है उस नौकरशाही के पद को खत्म कर देना चाहिये। वास्तव में नीचे की जनता को भी यह समझने का मौका मिलेगा कि हम भी राज-काज को कैसे सम्भाल सकते हैं और राज-काज को सम्भालने का अनुभव और सम्भालने का ढंग और तरीका नीचे की जनता को अच्छी तरह से मालूम होगा।

इसलिये मैं इस संकल्प के सिलसिले में संबंधित माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि शायद एक ही पार्टी ऐसी है सोशलिस्ट पार्टी जो चौखम्भे की बात कहती है, दो स्तर पर ही, दो खम्भों पर ही यह सरकार चलती है। एक केन्द्र के स्तर पर खंभा है और दूसरा सूबे के स्तर पर। बाद की दो चीजों की बात केवल सोशलिस्ट पार्टी ही कहती है।

एक सदस्य—क्या पंचायतें नहीं हैं ?

श्री हरदयाल सिंह—पंचायतें तो जरूर हैं, लेकिन आपने न्याय के सम्बन्ध में जो अधिकार उनको दिये हैं उन के साथ उनको शासन के कितने अधिकार हैं यह मैं जानना चाहता हूं। जब आप उनको प्रशासन में अधिकार देंगे तभी जिले और ग्राम के स्तर पर सही मानों में वह समझेंगे कि इस १२ साल की आजादी के बाद इस जनतंत्र में उस जनता को कोई चीज मिली है। हमारी सोशलिस्ट पार्टी की मांग यही है कि यह राज्य दो खंभों पर चल रहा है, बाकी दोनों खंभों को आप क्यों भुलाये हुये हैं। उनको अधिकार देने से तो महात्मा गांधी की इच्छा की पूर्ति होगी, उससे महात्मा गांधी की आत्मा संतुष्ट होगी। उनको गांव और जिले के स्तर पर आपको अधिकार देना चाहिये।

श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं दो-तीन बार से देख रहा हूं कि जब कोई गैर-सरकारी प्रस्ताव यहां पेश होता है तो सरकारी पक्ष के और विरोधी पक्ष के लोग भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेते और वे लोग

उसे जरूरी नहीं समझते। वह समझते हैं कि सरकारी प्रस्ताव जब आयेगा तो उसे पास कराने की जिम्मेदारी सरकार की है और उस समय वे उपस्थित रहेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह निर्णय हो जाय कि इस तरह के गैर-सरकारी प्रस्तावों के लिये कोरम की व्यवस्था न रहे और जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें वह बिना किसी अड़चन के अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री अधिष्ठाता---जो प्रश्न तिवारी जी ने उठाया उस के बारे में मुझे कहना है कि सदन को भी यह अधिकार नहीं है कि वह कोरम के प्रश्न को हटा सके। संविधान में इसकी व्यवस्था है कि १/१० सदस्य होने ही चाहिये। एक से दो बजे तक के लिये जो ढिलाई कर देते हैं वह ठीक है, लेकिन वह एक परम्परा बन गयी है कि उस समय कोई कोरम का प्रश्न नहीं उठाता। वैसे इसकी व्यवस्था कानून के द्वारा ही हो सकती है, किसी दूसरी तरह से नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अगर हाउस चाहे तो रिजोल्यूशन पास कर सकता है इस के लिये।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि रिजोल्यूशन नहीं हो सकता, केवल लॉ में इसका प्राविजन हो सकता है अगर यह विधान सभा स्वयं पास करे। इस मामले में आप संविधान देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---मैं इस विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन वह सदन ने अनेकों बार किया है। एक से दो बजे कोरम का जो सवाल हटाया गया है क्या यह संविधान के मुताबिक है ?

श्री अधिष्ठाता---वह एक कंवेंशन बन गया है।

श्री राजनारायण---आप संविधान की बात न करें। हाउस इज दि मास्टर। अगर यह चाहे तो यह रिजोल्यूशन कर सकता है कि यहां कोरम का सवाल नहीं उठेगा।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि संविधान को यह हाउस भी ओवर रूल नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण---अगर यह है तो एक से दो बजे तक जो कोरम का सवाल न उठने की बात तय हुई क्या वह संवैधानिक है ?

श्री अधिष्ठाता---आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें फैसले की बात हो, उस समय सदन नहीं लेता, केवल कार्यक्रम चालू रहता है। यहां परम्परा यह रही है कि एक से दो बजे तक के बीच कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायगा, लेकिन अगर कोरम का प्रश्न उठाया जाय तो यह विधान सभा उसको छोड़ नहीं सकती, नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। संविधान के प्राविजन के मुताबिक उसे चलना ही पड़ेगा।

(गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरदयालसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह समय जो इस बहस में चला गया है, मेरे समय में जोड़ देने की कृपा करें। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मुझे इस बात का खेद है कि महात्मा गांधी की आज्ञा पर, उनके कदमों पर चलने वाली यह सरकार आज उन्हीं की बात को भूल गयी। मैं चाहूंगा सरकार से कि वह कम से कम उन बातों को याद करे। महात्मा गांधी जी ने जिस नौकरशाही की मुखालिफत की और जिसकी जड़ें हिलाने के लिये उन्होंने कोशिश की, और सुझाव दिये, आज उसके खिलाफ यह सरकार क्यों चल रही है ? उदाहरण के लिये मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे एक माननीय साथी ने कहा कि ग्राम पंचायतें बनी हुयी हैं, वह ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन उनको महात्मा गांधी के कथनानुसार ग्राम सरकार नहीं कहा जा सकता। मैं तो यह चाहता हूं कि सत्ता में गांव जो

[श्री हरदयालसिंह]

हैं वे शासन को इकाई बनें, तभी गांव को यह अधिकार होगा कि गांव से संबंधित जितने कर्मचारी हों वे गांव की सरकार द्वारा ही शासित हों। इसी तरह जिले में जिला स्तर पर चुने हुये जो जनता द्वारा प्रतिनिधि हों उनमें से ही जो प्रतिनिधि हों वह भी ५ साल के लिये हो। इससे वह कम से कम जनता में गलत काम तो नहीं करेगा क्योंकि वह गलत काम करने से डरेगा। वह यह समझेगा कि मुझे फिर चुन कर आना है। इससे जो धांधलेबाजी कलेक्टर वगैरह करते हैं वह भी खत्म हो जायगी। तो जिला स्तर पर जिला काउन्सिल हो, और उनको सारी पावर्स दी जायं। ऐसा होने पर ही मैं समझता हूं कि यह बीमारी दूर हो सकती है।

अगर सरकार इस पर विचार करे तो अवश्य जनता को फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार विचार क्यों करे? सरकार तो उसी परम्परा पर चलती है जो परम्परा पहले अंग्रेजों के जमाने में थी, जिस परम्परा को महात्मा जी ने मुखालिफत की थी, यह सरकार उसी परम्परा पर चलने के लिये मजबूर है। आज वही नौकरशाही है जिसके बल पर अंग्रेज टिके हुये थे। आज सरकार नौकरशाही के बल पर शासन करके अपने को अंग्रेजों से बदतर साबित कर रही है। अगर इस संकल्प को मान लिया जाय तो इससे समाज का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

आज जितनी भी समितियां जिला स्तर पर बनी हुयी हैं उनका प्रेसीडेंट जिलाधीश ही होता है और जनता के चुने हुये नुमाइंदे, जो एम० पी० और एम० एल० ए० होते हैं, वे उसके सदस्य होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में यह कहां तक उचित है कि जनता द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि उसका सदस्य हो और एक नौकर उसको प्रेसाइड करे। क्या यह सब नौकरशाही का प्रतीक नहीं है? लाखों की संख्या में जो जनता गांव में रहती है अगर वह यह मांग करे कि जिलाधीश इस काम को करे तो वह नहीं करेगा और माननीय मुख्य मंत्री या मुख्य सचिव जिस काम को कहेंगे वह उस काम को पूरा करेगा, उनकी इच्छा को वह पूरा करेगा। जनता की मरजी को पूरा करने के लिये वह नहीं है। वह मनमानी कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या जनतंत्र की सही व्यवस्था कहा जा सकता है?

इसके साथ-साथ मैं और आपको बताऊं। जो जिलों में पिस्टल और बंदूकों के लाइसेंस दिये जाते हैं, उनके आधार पर काफी पैसा इकट्ठा किया जाता है। उनसे पैसा जमा करा कर ही उनको लाइसेंस दिया जाता है। क्या इस तरह से पैसा जमा करने का कोई नियम है? क्या यह इसको क्वालीफिकेशंस में आता है? लेकिन आमतौर से होता यही है। विरोधी दलों के आन्दोलन होते हैं उनमें भी जिलाधीश अपनी मनमानी करते हैं। जिलाधीशों के आदेशानुसार ही मैजिस्ट्रेट उनको सजा देते हैं। यही नहीं, जिन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिये, उन्हीं के अन्तर्गत गिरफ्तारी होती हैं। यह सब नौकरशाही नहीं है तो और क्या है? यह सब किस चीज का नमूना है?

मैं यह कह रहा था कि अगर सचमुच सरकार ठिकाने पर आ जाये, अगर वह सही सेवा बापू के अनुसार करना चाहती है तो इस संकल्प को जरूर पास करना चाहिये। सरकार इसको पास करके ही सही माने में करोड़ों पीड़ितों और शोषित लोगों की सेवा कर सकती है, क्योंकि बरसों से यह तजुर्बा रहा है हमारा, आपका और सभी माननीय सदस्यों का। यहां उपहास भले ही करें, लेकिन जिले में जाते होंगे तो दरोगा भी नौकरशाही का नमूना पेश कर देता होगा।

श्रीमन्, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह गोलीकांड, लाठीचार्ज, अश्रुगैस और दूसरे अमानुषिक व्यवहार और अनैतिकता के आधार पर होने वाले गलत व्यवहार, इन सब को अगर रोकना है, खत्म करना है और समाज की सच्ची सेवा करनी है तो इस पद को खत्म करें और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें। कमीशन नियुक्त करें, कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि आने वाले समय में देश और समाज की सच्ची सेवा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अवस्थी जी ने जो संकल्प आज प्रस्तुत किया है वह अपना बहुत महत्व रखता है। बहुत काल से हमारे यहां स्वराज्य की रूप-रेखा की चर्चा होती आयी है और उस चर्चा में ग्राम और जिले के भीतर तक शासन शक्ति पहुंचाने की बातें बराबर कही गयी हैं और हमारा जहां तक विश्वास है और ख्याल है, जो हुकूमत आज चल रही है उसके दिल-दिमाग में भी यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि शासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और उसी भावना के कारण गांव में पंचायतों का निर्माण करना, अदालती पंचायतों का निर्माण करना और जिले में जिला परिषद् का निर्माण करना--- यह सब उसी भावना के प्रतीक स्वरूप चीजें बनायी जा रही हैं और बहुत सी संस्थायें आज काम भी कर रही हैं। इसमें अव्यवहारिकता और व्यवहारिकता की बातें अभी हो जाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें जरूर सबके सामने आती हैं। कभी-कभी विरोधी पक्ष के हमारे भाइयों को कहना पड़ता है कि गांवों में इतनी अधिक शक्ति दे दी गयी है कि उसका गांव के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और पार्टी-बन्दी के नाम पर एक दूसरे को कुचलने में उसका उपयोग कर रहे हैं। जिले में बराबर उनकी ओर से ये बातें कही गयीं कि जो शासन जिला बोर्ड का चलता था उसमें बहुत ज्यादा पार्टीबन्दी हुआ करती थी और उसी के फलस्वरूप हमारा जहां तक विश्वास है, उन्हीं के आन्दोलनों का ऐसा असर पड़ा कि जिला परिषद् का निर्माण करके जनता के चुने हुये लोगों के हाथों से सत्ता जिलाधीशों के हाथ में अन्तरिम काल के लिये दे दी गयी और उस समय जो कुछ दृश्य था और आज जो कुछ दृश्य है दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने का अवसर उनको भी प्राप्त हुआ है और हमारा भी खयाल है कि अवस्थी जी और उनके साथियों का विचार बदल गया है कि इन जिलों में गैर-सरकारी आदमियों के लेने से शासन अच्छा चलता था और आज जैसा चलता है वह बहुत ही खराब स्थिति पर पहुंच गया है।

सिद्धान्त की दृष्टि से गांव में यह शक्ति का विकेन्द्रीकरण गांधी जी की सबसे बड़ी चीज थी, हालांकि जिस विचार और जिस उद्देश्य को हमारे मित्रगण मानते हैं उसमें तो विकेन्द्रीकरण का उतना स्थान नहीं है। जितना कि विकेन्द्रीकरण की योजना में वह लोग विश्वास रखते हैं। प्रजातन्त्रीकरण का वहां पर उतना स्थान हीन है जितना अधिनायकत्व का वहां पर स्थान है।

मार्क्स के सिद्धान्तों के अनुसार, लेनिन के सिद्धान्तों के अनुसार जो लोग चलते हैं वह लोग गांवों को शक्ति देने के पहले कुछ एक ऐसा काल भी अपने सामने रख लेते हैं जिसमें पूर्णतया अधिनायकवाद की बातें करते हैं। तो कम्युनिस्ट विचारधारा से और सोशलिस्ट विचारधारा से उस समय तक डिक्टेटरशिप रहती है जब तक कि स्टेट व्हिदर आउट नहीं कर जाती और जब मैनेजीरियल स्टेट की स्थिति पैदा हो जाती है तब खुद ही विकेन्द्रीकरण हो जाता है और शासन का नामो-निशान भी मिट जाता है। तो वह स्थिति दुनिया में अभी कहीं नहीं आई जितना कि विकेन्द्रीकरण भारतवर्ष में अभी तक हुआ है या उत्तर प्रदेश में अभी-तक हुआ है। अभी शायद दुनिया के किसी मुल्क में उतना नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि शासन को विकेन्द्रीकरण कर देने के बावजूद भी कोई न कोई एक ऐसी सत्ता आपको रखनी पड़ेगी, कोई न कोई व्यक्ति या कोई न कोई संस्था रखना पड़ेगी जोकि तमाम विभागों का एक हेड बन करके जिले की सारी चीजों का उत्तरदायी हो।

आज जो जिलाधीश के स्थान के हटाने की मांग की गई है यह बहुत अच्छी मांग है, लेकिन दुनिया में अभी तक केवल एक ही मुल्क है जहां पर नौकर भी चुनाव के द्वारा प्रतिष्ठित किये जाते हैं और चुनाव के द्वारा रिकाल भी दिये जाते हैं, वापिस भी ले लिये जाते हैं। वैसे ही सदस्यों के भी अधिकार छीने जा सकते हैं, ऐसा अभी तक एक ही मुल्क दुनिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षमण तिवारी]

में हुआ है । रूस में भी ऐसी रिकाल करने की शक्ति नहीं है । वहां पर जिलाधीश के रखने की कोई परम्परा हो या न हो, लेकिन वहां भी कोई न कोई डिस्ट्रिक्ट का एक शासक होता है । उसको अधिकार कुछ भी नहीं होते, अधिकार प्रजातन्त्र में जो कानून बनाने वाले सर्वसत्ता सम्पन्न होते हैं उनको ही होता है और वही शक्ति बांटते हैं । जिले के जो शासक कहे जाते हैं या उनके ऊपर जो निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं उनको कानून बनाने का कोई हक नहीं होता, केवल जो पार्टी शासन संचालित करती है उसकी नीति के अनुसार कार्य करने का हक होता है । उनको किसी भी पार्टी के विचार से मतलब नहीं होता । वह एक प्रकार से मशीन की तरह से होते हैं जिनके द्वारा शासन अपना कार्य संचालन किया करता है । तो जब उनको एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर के शासन को चलाना है तो हमारी नीति से और हमारे प्रजातन्त्र की भावना से कहीं भी उनका विरोध नहीं होता, उनके रहने या न रहने का कोई भी महत्व नहीं रहता ।

आज हमारे ऊपर एक इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स व्याप्त है कि अगर कहीं किसी कमेटी में किसी सरकारी कर्मचारी का नाम रख दिया जाता है तो हम घबड़ा उठते हैं और कहते हैं कि अरे साहब, उसमें तो सरकारी कर्मचारी रख दिया गया, यह तो सरकारीकरण हो रहा है और इस इस मेन्टेलिटी और इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर, जहां भी सरकारी कर्मचारी दिखाई दे उसका विरोध और उपहास करना हमारा कर्त्तव्य-सा हो जाता है ।

मैं नहीं समझता कि जिलाधीश को कौन-सी ऐसी शक्ति है जिससे वह जिले का उत्पीड़न करता है, शोषण और दोहन करता है । अगर वह जिले का उत्पीड़न, शोषण और दोहन करता है तो उसके लिये यहां पर हम लोग जो विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं वह अगर उसको अपनी आंखों से देख और कानों से सुन कर रह जाते हैं और उसके निराकरण की ताकत नहीं रखते तो मैं समझता हूं कि हमको यहां पर विधान सभा में इस पवित्र स्थान में आकर बैठने का हक नहीं रह जाता क्योंकि हम यहां पर एक पवित्र कर्त्तव्य को पालन करने के लिये आये हैं । जब हम यहां पर इस पवित्र कर्त्तव्य का पालम करने के लिये भेजे गये हैं तो हमारा कर्त्तव्य है कि जब हम यहां से अपने क्षेत्रों में जायं तो हम देखें कि हमारी नीति और हमारे शासन के चलाये हुये उद्देश्यों का कहां तक परिपालन वहां किया जा रहा है और शासन के कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं । हमें यहां पर अधिकार है कि हम उनकी भर्त्सना और निन्दा कर सकते हैं मैं तो देखता हूं कि इस कर्तव्य-पालन में हमारे विरोधी पक्ष के लोग जरा भी नहीं चूकते हैं । अगर किसी के ऊपर पुलिस का डंडा जायज तरीके से भी चल गया तो भी यहां कई दिन तक हल्ला होता है और अगर नाजायज चल गया तब तो खैर ठीक ही है ।

मेरी समझ में नहीं आया कि शासन का विकेन्द्रीकरण जनता को सुख-सुविधा कैसे पहुंचावेगा । एक गांव के भीतर एक गांव सभा प्रतिष्ठित है और उसमें अदालती पंचायतें प्रतिष्ठित हैं । क्या गांव सभाओं को जो काम दिया गया है वह ठीक से चल रहा है ? यह भी मैं मानता हूं कि ठीक से काम न चलाने की वजह से किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिये । उनको अच्छी तरह से काम करने का अवसर प्रदान करना चाहिये । जैसे हमको कोई नहीं समझ सकता था कि हम लोग विधान सभा में आकर काम करने योग्य हैं या नहीं, लेकिन जब हम यहां आये और हम अपना काम ठीक कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि गांव के आदमी वहां के शासन को न चला सकें ।

गांव के लोग पुलिस नहीं रखते और न गांव में पुलिस रखी जा सकती है । चाहे राजनारायण जी की सरकार हो या किसी की हो । १०, २० गांव मिलकर ही एक थाना होता है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है । गांव वाले गांव की रक्षा की जिम्मेदारी लेना स्वीकार भी नहीं करेंगे । गांव में चोरी हुई और वह नहीं रोकी जा

सकी तो भी परेशानी, और अगर रोकी तो भी परेशानी क्योंकि लोग एक गोल बनाकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं । गांव की इकाई को मजबूत करने की बात तो अच्छी है । जिन लोगों ने संकल्प उपस्थित किये हैं वैसे तो वे भी समझते हैं कि अभी समय नहीं है कि यह चीज हो सके लेकिन संकल्प उपस्थित करके चर्चा उठाकर अच्छा किया है । गांव के लोगों से कहा तो जा ही सकता है–कि हम असेम्बली में तुम्हारे लिये आवाज उठाते हैं । हमारी हुकूमत आज गांधीजी के या कांग्रेस के सिद्धान्तों में विश्वास करती है और उसके सामने भी गांव से लेकर जिलास्तर का और देश का ढांचा है जिसके लिये वह काम कर रही है । हम समझते हैं कि विकेन्द्रीकरण से वह अलग नहीं है । विकेन्द्रीकरण की नीति में उनका भी विश्वास है, लेकिन जितना सम्भव हो सकता है उतना ही वे अपनावेंगे और उतना ही अपना कर चल रहे हैं ।

जिले के शासन को शक्ति मिलनी चाहिये, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अभी एक बिल में दिया गया था कि सरकार जब कभी उचित समझेगी जिला परिषद् को शक्ति हस्तांतरित कर सकती है । इससे सरकार की भावना का संकेत मिलता है, लेकिन समय और अनुकूल वातावरण ही के अनुसार वह कार्य पूरा किया जा सकता है । असामयिक कार्य देश के लिये खतरा पैदा कर सकता है और लोगों के विचारों में बिना क्रान्ति हुये यदि उनको सत्ता दे दी जायगी तो वे उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इससे जनता का हित न होकर अहित होने की अधिक सम्भावना है । इसलिये मैं समझता हूं कि अवस्थीजी के संकल्प पर बहस तो होने दें, लेकिन बहस कराके लोगों को अपने विचारों से अवगत कराके, उसे वह वापिस लें ले । ऐसी चीज पर वोटिंग कराना कुछ उचित सा नहीं लगता है क्योंकि विकेन्द्रीकरण तो सभी की नीति है । जब जनता इस योग्य हो जायगी कि शासन को ले सके तो मेरा खयाल है कि हुकूमत रोक भी नहीं सकेगी और हम कलेक्टर को हटाकर रहेंगे । आप चुनी हुये बाडी पर सारी जिम्मेदारी डालकर किसी को भी जिम्मेदारी अलग नहीं रख पावेंगे । सबकी जिम्मेदारी का मतलब किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती है। जिलाधीश एक व्यक्ति होता है और सारी चीजों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है । चाहे वह बाडी चुना हुआ हो या उसके कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की जाय या उसके लिये कमीशन की मांग की जाय, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है ।

सभी जानते हैं कि गांव का और जिले का शासन कैसा होना चाहिये । बहुत से विचारक और विद्वान लोग इसके बारे में लिख गये हैं । अभी किसी कमीशन द्वारा जांच की जरूरत नहीं है । यह सब बात व्यर्थ है । हां, बहस के लिये यह बात उठाई जा सकती है । बहस हुई और अवस्थीजी की बातें सुनने का मौका मिला । राजनारायण जी का भाषण भी होगा ही। ये सारी बातें सुनकर हम खुश हैं और सम्भव है कि जनता भी खुश हो, लेकिन इस समय इसका पेश करना असामयिक है और उचित नहीं है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)––मान्यवर, अवस्थीजी के संकल्प के तीन भाग हैं । पहला इस बात को स्पष्ट करता है कि ग्राम और जिला स्तर पर शासन का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये । दूसरा भाग है कि कमीशन की स्थापना हो और तीसरा भाग है कि जिलाधीश का पद अन्तरिम काल के लिये भी तोड़ दिया जाय । इसके पहले और दूसरे भाग से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन तीसरे भाग की व्यावहारिकता में मुझे थोड़ा सन्देह है । लेकिन फिर भी, इस पूरे प्रस्ताव की आत्मा का मैं समर्थन करता हूं । इसलिये इसका आशय मेरी समझ में यह आया है कि शासन का, राजनीति का और अर्थनीति तीनों का डिसेंट्रेलाइजेशन होना चाहिये ।

[श्री झारखंडे राय]

विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त सर्वमान्य है । बहस इस बात पर है---और बहुत सम्भव है कि बहुत दिनों तक होती रहे---कि विकेन्द्रीयकरण किस हद तक किया जाय और किस स्तर की संस्था को कितनी पावर दी जाय। यह सूबों और सेंटर के बीच में पावर के बटवारे पर भी लागू होता है । कितनी पावर जिला स्तर पर दी जाय कितनी खण्ड या बीव की किसी इकाई को दी जाय और कितनी गांव के स्तर पर दी जाय, इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन इस बात में हम सब एक हैं कि आज यों तो सारे संसार की स्थिति ऐसी है, हमारे देश की भी हालत ऐसी है, कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये और जितनी ही अधिक सत्ता नीचे की ओर जायगी उतना ही हमारे देश और हमारे लिये श्रेयस्कर होगा, क्योंकि हमारे देश की और प्रदेश की सभी पार्टियां और सरकार ने भी अपना राष्ट्रीय लक्ष्य यह घोषित कर दिया है कि आजादी के बाद हमारे देश का सामान्य लक्ष्य विकास, निर्माण और पुनर्रचना है, चाहे उनके रास्ते अलग-अलग भले ही हों । विकास हमारे देश में कैसा हो, पुनर्निर्माण किस रास्ते से किया जाय, इसमें जरूर भेद है, लेकिन इस राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में किसी की दो रायें नहीं हैं ।

ऐसी दशा में जब कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और इस बात की शिकायत हमारे प्रधान मंत्री जी से लेकर नीचे तक सभी को रहती है, और असलियत में है भी कि विकास के कार्यों में जनता की दिलचस्पी नहीं है, जनता का उन कार्यों में उत्साह नहीं है, जनता के सहयोग की कमी है, उत्साह की कमी है, यह शिकायत हम सभी सुनते हैं और वास्तव में ऐसी बात है भी । उस हालत में जितना भी सत्ता का विकेन्द्रीकरण नीचे की ओर हो जाय, उतना ही सहयोग राष्ट्रीय विकास के कार्यों में जनता का हमें प्राप्त हो जायगा । यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है, इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकती ।

अब तो कम्युनिस्ट देशों में, जिनके अगुआ रूस और चीन है, उनमें भी इस सिद्धान्त को लागू किया जा रहा है । इसलिये नहीं कि उनके विश्वास में, उनकी नीतियों में परिवर्तन हुआ है बल्कि इसलिये भी कि आज वे इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वे संसार की ताकतों के बीच इतने शक्तिशाली हैं और उनको अब इस बात का कोई खतरा नहीं है कि पूंजीवादी राष्ट्र एक होकर कम्युनिस्ट देशों को हड़प जायेंगे । उनका विश्वास और आत्मबल उस समय से बहुत ज्यादा है, जब कि दुनियां में केवल एक ही कम्युनिस्ट देश था और चारों ओर डाकुओं की तरह पूंजीवादी देश उसको घेरे हुये थे, और हर समय उस पर हमले का खतरा बना रहता था, उस समय उसकी एक नीति थी । लेकिन अब, जब कि सारा संसार दो बाजारों में बंट चुका है और दुनियां में इस बात की होड़ है कि कौन सी व्यवस्था संसार के लिये, मानवता के लिये श्रेयस्कर है और शान्तिपूर्ण अस्तित्व के आधार पर इस बात को मानवजाति के समक्ष किस प्रकार से वे इसको सिद्ध कर सकते हैं, उस हालत में, उनको भी इस बात की आवश्यकता पड़ी उन्होंने भी आर्थिक और राजनीतिक आधार पर विकेन्द्रीयकरण आरंभ कर दिया, और नीचे की कमेटियों, और नीचे की इकाइयों को पावर दी जाने लगी ।

हमारे देश में जनतंत्रवादी पद्धति को स्वीकार किया गया है । मैंने उस दिन, जब पुलिस कमीशन के ऊपर प्रस्ताव पेश हुआ था, कहा था कि हमारे देश में सुधारवाद और समझौतावाद के जरिये से आजादी आयी है । वही पुरानी मशीनरी, वही पुराना राज-यंत्र जो अंग्रेजों के जमाने में था, हमको प्राप्त हुआ है, उसको तोड़ा नहीं गया, वह ज्यों का त्यों है । उस प्रकार से उसको तोड़ा नहीं गया जैसी कि क्रान्ति के द्वारा मिली. आजादी के समय प्रक्रिया होती है । अंग्रेजों के द्वारा बना बनाया यंत्र हमारे हाथ में आया । सरकार की कमजोरी इस बात में रही, उसमें दूरदेशी की कमी रही कि आजादी के

तुरन्त बाद ही उसको ऐसे कमीशनों को नियुक्ति करनी चाहिये थी । इसलिये मैं सोचता हूं कि अवस्थी जी के प्रस्ताव का वह हिस्सा, कि कमीशन की स्थापना की जाय, बहुत ठीक है । आज भी देरी नहीं हुई है क्योंकि यह हम सभी महसूस करते हैं कि जनवादी ढांचे के अनुरूप हमारी सर्विसेज नहीं है । सर्विसेज के दिमाग और मौजूदा हुक्मरा लोगों के दिमाग में कोई ढंग का मेल नहीं है । दोनों में काफी मतभेद और अन्तर है और इस अन्तर का दूर करना जरूरी है । लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार ने देश के विकास के लिये जो एक रास्ता अपनाया है, और जो कदम उसके लिये उठाया है, उसमें कोई अड़चन न हो, इसके लिये भी जरूरी है कि सरकारी ढांचे में परिवर्तन किया जाय । उसके लिये कमीशन वाली बात ही दुरुस्त है । यह बात बहुत पहले ही जानी चाहिये थी ।

मुझे याद है कि केरल में जब कम्युनिस्ट सरकार बनी तो उसने वहां छः महीने के अन्दर ही एक ऐसे कमीशन की स्थापना की थी । उसकी रिपोर्ट का अब क्या होगा, मैं नहीं कह सकता लेकिन उनका ध्यान उधर गया था । इस सरकार का ध्यान भी उधर जाना चाहिये था लेकिन आज १२ वर्ष के बाद भी ऐसा कोई कदम उठाया जाय तो अच्छा होगा । क्योंकि पुलिस के बारे में भी सरकार की ओर से ऐसा ही कहा गया था कि उसके लिये किसी कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, किसी कमेटी की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार ने अब उसकी यहां घोषणा की है । मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये और एक ऐसा हाई पावर कमीशन होना चाहिये जो उसके रिआर्गनाइजेशन के बारे में, जो उसके पुनर्संगठन के बारे में अपने विचारों से उसकी खोज करे और तब अपनी रिपोर्ट पेश करे । इस प्रस्ताव का जो तीसरा पहलू है वह अधिक बुनियादी और महत्व का है, और मैं समझता हूं कि सरकार को उधर ध्यान देना चाहिये । इस पहलू के दूसरे हिस्से से मैं सहमत नहीं हूं कि जिलाधीश का पद तोड़ दिया जाय । मैं समझता हूं कि अगर अवस्थी जी की बात मान कर हाई पावर कमीशन की स्थापना हो जाय तो मैं समझता हूं कि वह कमीशन भी इस बात पर सोचेगा और इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देगा कि जिलाधीश का पद रहे या न रहे या जिलाधीश का पद किसी निर्वाचित कमेटी के हाथ में दे दिया जाय या क्या हो, किस प्रकार हो, उसे कितनी सत्ता दी जाय, इस काम को भी वे समझेंगे ।

एक बात जरूर है कि इसका अहसास सब को है, हमारे पूरे सदन को है, चाहे लोग इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, कि आज सत्ता बेहद बढ़ गयी है । पहले की अपेक्षा जिलाधीश स्वेच्छाचारी हो गये हैं, अगर यह कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । उनके लिये छोटे हिटलर का शब्द भी प्रयोग किया जाय तो अच्छा होगा । पुराने जमाने की अपेक्षा आज जिलाधीशों की सत्ता बेहद बढ़ गयी है उसको जरा लिमिट करने और कर्व करने की जरूरत है कि जितने विकास और निर्माण के कार्य हों वे सब गांव सभाओं के द्वारा हों । कोई विकास खंड कमेटी हो, या जिला स्तर की कोई कमेटी बनायी जाय, चाहे जिला बोर्ड बने या अन्तरिम जिला परिषद् बनें, चाहे जो भी बनें, उनके हाथ में विकास और निर्माण का कार्य हो । केवल जिला प्रशासन का जो काम हो, या जिले की शासन व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी पैदा हो, तो उसी के प्रबन्ध का काम जिलाधीश के हाथ में रहे । बाकी जितने काम हैं विकास व निर्माण के वे सब इन कमेटीज को दिये जाने चाहिये ।

माननीय रामलखन तिवारी जी ने कुछ कम्युनिस्ट देशों के अधिनायकवाद की बात कही । मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन मुल्कों में जहां अधिनायकवाद की स्थापना है, वहां शासन के संचालन में दो बातें होती हैं । जहां डिक्टेटरशिप है, वह शोषक वर्ग के लिये हैं, वहां जनवाद शोषित जनता के लिये है । तो द्वैत आभास देने

[श्री झारखंडेराय]

वाले शब्द डिमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप का यहां समन्वय किया गया है । वहां हैव्ज जो शोषक वर्ग के हैं उनको प्रजातंत्र का अधिकार दिया नहीं गया था, इस रूप में उसको नहीं लिया जाना चाहिये जिस रूप में माननीय रामलखन जी ने इसको लिया है । क्योंकि हम सब इस बात से अवगत हैं कि पैसे वाले वोट खरीदते हैं, हम सब जानते हैं कि लाखों करोड़ों रुपये जिन पूंजीपतियों और जिन थैलीशाहों के पास हैं, वे पार्टी को खरीदते हैं, वे वोट खरीदते हैं, और लोगों को अनैतिक बनाते हैं । ऐसे माननीय मेम्बर भी होते हैं जो ५०० रुपए पर बिकते हैं, ऐसे माननीय मेम्बर भी होते हैं कि जो १०००–५००० रुपए पर बिक जाते हैं । ऐसी हालत में सारा प्रजातंत्र का अधिकार पैसे वालों के हाथ में है और उसका दुरुपयोग होता है ।

इस बात को आसानी से हमें न लेना चाहिये और न हम ले सकते हैं । हम सब जानते हैं कि संविधान या चुनाव के नियमों के अनुसार इतना रुपया एक चुनाव क्षेत्र में व्यय होना चाहिये, लेकिन अधिकांश केसेज में ४२० कर के एकाउन्ट्स पेश किये जाते हैं और वास्तविकता यह है कि रुपया अधिक व्यय किया जाता है । आज खतरा है देश का सारा ढांचा ही पूंजीपतियों के हाथ में हो जाने का और जिस के द्वारा हम अपने यहां चुनावों का बुरजुआ-फिकेशन कर रहे हैं । पूंजी सम्पन्न लोग अधिक साधन-सम्पन्न हैं और वह उस के द्वारा वोटों को खरीद रहे हैं और जब कभी भी साधनहीन से उन की टक्कर होती है तो उस के मुकाबले में वह आगे आते हैं और वह मालदार होने के नाते वोटों को इकट्ठा कर के अपने को विजयी घोषित करा सकते हैं ।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि उन देशों का वह तरीका अच्छा है कि जो वहां के जेन्ज "हेव्ज" थे जो पूंजीवाले थे, जो जन्मजन्मान्तर से वहां के शासन को हाथ में लिये थे उन को कुछ दिन तक किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया जबतक कि वहां वर्गहीन समाज कायम न हो गया, जबतक कि जातिहीन समाज वहां कायम नहीं हुआ और जबतक कि वहां एक मजबूत श्रमजीवी वर्ग नहीं बन गया तबतक वहां वोट को पावर नहीं दी गई । वर्ना आप आज के पूंजीवादी देशों में देखें कि अमरीका में चाहे आइसनहावर हों, ट्रूमेन हों या रूजवेल्ट हों, वह सब १४–१५ बैंक के डायरेक्टर्स हैं जिन के हाथ में वहां की हुकूमत नाचा करती है, वही वहां की सारी एकोनामिक्स कंट्रोल करते हैं । उन्हीं के हाथ में लौट फेर कर सारी शक्ति वहां की रहती है । फ्रान्स को भी आप देखें कि वहां के भी वही १०० खानदान थे जो हुकूमत करते थे, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसीडेंट हो उन्हीं के आदमियों से बनता था । यह वही लोग थे कि जिन के हाथ में वहां की तमाम आर्थिक सत्ता थी । इसी तरह से इंगलैंड की भी हालत है । तो यह एक सिद्धान्त है कि पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी कंट्रोल के हाथ में हुकूमत रहती है । हुकूमत के कंट्रोल का जो वास्तविक स्वरूप है उस में कौन पार्टी रहे कौन नेता रहे कौन झंडा लगे यह तो बाद की बात है, लेकिन कहने की बात दूसरी होती है, असल पावर तो उसी के हाथ में होती है कि जो वहां की आर्थिक सत्ता का मालिक होता है ।

आज इसीलिये हमारे देश में भी प्रजातन्त्र के लिये यह खतरा पैदा हुआ है । जब एक विधानसभा का मेम्बर बिक सकता है तो आम जनता का वोट भी एक बोतल शराब में और दो रुपए में एक नागरिक का वोट भी बिक सकता है, थोड़ी सी सुविधा पर अगर वोटर को खरीदा जा सकता है, जब ४३० के सदन के वोट बिक सकते हैं तो इस खतरे से बचने के लिये हमें देखना चाहिये कि जो हेव्ज हैं जो उस क्लास के लोग हैं, पूंजीवादी हैं, उस वर्ग के लोग हैं उनको हम उन के उन आर्थिक अधिकारों से वंचित करें और तभी यहां सही मानों में प्रजातंत्र बन सकता है वर्ना पूंजीवादी वर्ग के हाथों वोट, नेता, डेमोक्रेसी और यह देश बिक जायगा ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प सदन के सम्मुख माननीय अवस्थी जी ने रखा है उसका विषय काफी गम्भीर है, लेकिन आज के समय, काल और परिस्थिति में मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

जो संकल्प आया है उसमें एक चीज पर जोर दिया गया है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय और जिलाधीश का पद तोड़ दिया जाय।

(इस समय २ बज कर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

जैसा मैंने पढ़ा है और कुछ समझने की भी कोशिश की है, मैं यह महसूस करता हूं कि गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद ये केवल स्लोगन ही बनते जा रहे हैं, हम उनकी वास्तविकता, उनकी गंभीरता और उनसे जो परिणाम होने वाले हैं उनको ध्यानपूर्वक सोच नहीं रहे हैं। मैं जिस वक्त माननीय राय साहब से विकेन्द्रीकरण की बात सुनता हूं तो कुछ मेरी समझ में नहीं आता कि यह साम्यवाद जिसके वह हामी हैं क्या वह विकेन्द्रीकरण का कायल है? मैंने तो जो रूस और चीन की हिस्ट्री पढ़ी है उससे तो मैं यही अब तक समझा हूं कि वहां तो केन्द्रीकरण की जरूरत समझी जाती है और अगर उसके विरुद्ध कोई आदमी जरा सी भी आवाज उठाता है तो गोली का शिकार किया जाता है। वह तो केन्द्रीकरण की बात करें तो ज्यादा अच्छा है और मैं समझता हूं कि उनकी यही नीति भी है।

इसके साथ ही साथ मैं एक चीज यह भी और जो जरूरी समझता हूं वह यह है कि अब हमारी सत्ता किसके हाथ में है इस चीज को देखने की जरूरत है। जिस वक्त कि अंग्रेजों का राज्य हमारे देश में था उस वक्त इस देश की सत्ता, इस देश की हुकूमत की बागडोर और किस तरह से इस देश का शासन किया जाय यह सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में था। उनके प्रतिनिधि यहां पर वाइसराय रहते थे और वह वाइसराय हर जिले में अपना प्रतिनिधि मुकर्रर किया करते थे और उसके जरिये वह जिस तरह से शासन को चलाना चाहते थे, चलाते थे। अब वह सत्ता अंग्रेजों के हाथ में नहीं है। वह इंगलैंड में नहीं है। वह तो अब हमारे देश में हमारी प्रजा के अन्दर है। चाहे विधायक हों, चाहे हमारे चुने हुए मंत्री हों, चाहे प्रधान मंत्री हों, चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे हमारे देश के प्रेसीडेंट हों, वह सत्ता तो अब हमारे हाथ में है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण किस तरह से हम करेंगे, किस तरह से हमको करना चाहिये, यह तो हमारे ऊपर निर्भर है। अंग्रेज तो अब यहां हैं नहीं और न उनको हमारी सत्ता से अब कोई ताल्लुक है। यह कलेक्टर, कमिश्नर, जज, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जितने नौकर इस वक्त हैं वह तो हमारी नीति और हमारी लक्ष्य को चलाने वाले हैं और सत्ता प्रजा के हाथ में है या प्रजा के चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में है और अगर नौकर हमारी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं या हमारे उस लक्ष्य को जो हमने निर्धारित किया है उसको पूरा करने में असमर्थ हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह कमजोरी हमारी है, हमारे नेताओं की है, उन नौकरों की वह कमजोरी नहीं है।

पावर तो हर आदमी चाहता है और जो जहां पर है वह यह चाहता है कि मेरे हाथ में पावर रहे। यह कलेक्टर और कमिश्नर हमारी व्यवस्था को चलाने के साधन हैं, एक ढांचा है और वह केवल एक नौकर के रूप में उसको चलाते हैं। यदि वह ठीक नहीं चलाते हैं तो कमजोरी हमारी है, और हमको उस कमजोरी को अपने अन्दर से दूर करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो शासन पहले से अंग्रेजों के जमाने में था उससे हम ठीक तरह से काम अगर नहीं ले सकते तो हमारी कमजोरी है जिसको देखना चाहिये और सुधारना चाहिये। मैं समझता हूं इस समय बहुत से दोष हमारे शासन में हैं जिसके कारण इस शासन व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और वह दोष हमारे हैं जिनकी वजह से जो चीज हम चाहते हैं वह नहीं हो पाती है।

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

आजकल जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है वह तीन चीजें हैं।१—जिसको मैं व्हाइट ऐलीफेंट कहता हूं, यानी शासन बहुत खर्चीला है। २—लाल फीताशाही, जो काम हम आज करना चाहते हैं उसमें बाधायें पड़ती हैं जिसकी वजह से उस काम में ६, ८ महीने लगते हैं पूरा होने में। यह तकलीफ देह बात है। ३—काला बाजार है। यह क्या चीज है? यह है जिस रूप से जो कार्य होना चाहिये उस रूप से नहीं हो सकता उसके लिये बहुत सी अन्डर ग्राउन्ड ट्रिक्स, सिफारिशें ऐप्रोचेज करनी पड़ती है, चाहे पैसा ले कर की जायं या और किसी तरह से। तो इनसे तकलीफ होती है। यह दोष इस शासन व्यवस्था में आ गये हैं। मैं इस बात के लिये फिर वही बात दोहराता हूं कि यह हमारी ही कमजोरी है।

कारण क्या है? कारण यह है कि प्रजातन्त्रवाद जहां से शुरू होता है वह जगह वह है जहां पर स्वार्थवाद खत्म हो जाता है। प्रजातन्त्रवाद स्वार्थ के बाद शुरू हुआ करता है। वह स्वार्थ हमारे अन्दर केन्द्रित है। मैं अक्सर कहा करता हूं हमने बड़े-बड़े कारखाने खोले हैं, बांध बनाये हैं, लेकिन हमने अब तक वह फैक्ट्री नहीं खोली है जिसमें मनुष्य-मनुष्य बने। और जब तक ऐसी फैक्ट्री अपने देश में नहीं खुलेगी तब तक बांध, टाल टाक्स, सब बेकार हैं। हमको पहले वह इकाई ठीक करनी है जिसको बुनियाद पर हमको महल बनाने हैं। मैं ज्यादा वादों पर विश्वास नहीं करता बल्कि कामों में विश्वास करता हूं। अगर हम अपने आपको ठीक कर लें तो जो मामूली से मामूली तकलीफों से हम पीड़ित हैं वे तकलीफें सदा के लिये विदा हो जायंगी। मैं आशा करता हूं कि यह जो आज का संकल्प सदन के सामने रखा गया है वह बेशक बड़ा विचारणीय है लेकिन वह विचारणीय समय आयेगा जिस समय कि हम अपने आप को ठीक कर लेंगे।

एक-दो चीजें और आपके सामने रखनी हैं। एक तो यह कि जिले का प्रबन्ध कोई न कोई करेगा ही। जिलाधीश जो उसका नाम रखा गया है वह मुझे पसन्द नहीं है। जिलाधीश तो ऐसा शब्द है जो हमारी शान के खिलाफ है और आप दूसरा नाम रखिए। हमने बहुत धीशों को खत्म किया है। राजा महाराजा इत्यादि जो धीश थे उनको खत्म किया तो यह नये प्रकार का धीश हम क्यों अपने ऊपर रखें, यह चीज बड़ी विचारणीय है।

एक चीज यह भी कहनी है कि नौकर हमारी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हमको उनके ऊपर कड़ी दृष्टि रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी से प्रार्थना करूंगा कि अभी टाइम नहीं आया है कि उनके संकल्प पर विचार किया जाय, वह अपने संकल्प को वापस ले लें।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—मैं बड़ा आभारी हूं, श्रीमन्, कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। जो प्रस्ताव श्री मोतीलाल अवस्थी ने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। सरकारी कार्य का करना आवश्यक है परन्तु जिस तरह से आजकल सरकारी कार्य हो रहा है वह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हमारे मित्र ने अभी बतलाया कि नौकर अगर नौकर की तरह से न रहे तो यह हमारी कमजोरी है आज आप देखें कि गांव का लेखपाल तथा चौकीदार क्या अपने को नौकर समझता है। एक भी उदाहरण इस बात का नहीं मिलता है कि कलेक्टर, डिप्टी या कोई अधिकारी गांव में जाते हैं तो वे वहां के जो वयोवृद्ध लोग हैं उनका अभिवादन करते हों, बल्कि वे लोग इस बात की कोशिश में रहते हैं कि चाहे कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे कितना ही वृद्ध हो उसका फर्ज है कि उनके सामने झुक कर सलाम करे। इस तरह की कोई भी मिसाल देखने में नहीं आई कि मालिक नौकर को सलाम करता हो लेकिन मौजूदा शासन व्यवस्था में आज जनता जो मालिक है अपने अधिकार खो बैठे हैं और नौकरों के हाथ में इस तरह से फंसे हुए हैं कि वे अपने को मालिक कह ही नहीं सकते। आज देखा जाय जितने आफिसर्स गांव में जाते हैं वे वहां की पब्लिक को, वहां के प्रधानों को ऐसी नीची निगाह से देखते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि अफसरी के कारण या उनको जो पद मिला हुआ है सरकार द्वारा उनके सामने जनता जिसके वे सेवक

हैं वह कोई चीज नहीं रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वे भी दलबन्दी में शामिल रहते हैं और किसी किस्म का निष्पक्ष कार्य जनता के हित के लिये नहीं करते हैं। मुझे जाती अनुभव है कि मेरे जिले में अक्सर अधिकारीगण जब दौरे पर जाते हैं तो अपोजीशन के मेम्बर को, चाहे वह विधान सभा का ही मेम्बर क्यों न हो, न तो वह बुलायेंगे, न उससे कोई विचार-विमर्श करेंगे, न इस बात को जानने की चेष्टा करेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं और उनको दूर करें। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि जितने अधिकारीगण हैं उनको एक खास तरीके से ट्रेन किया जाय कि वे किस तरीके से जनता के साथ व्यवहार करें। वे वही पुराने अंग्रेजी जमाने की ट्रेनिंग पाये हुए लोग हैं जिसमें जनता का कोई मान सम्मान नहीं था। मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों को इस किस्म के शासकीय आदेश होने चाहिये कि वे अपने व्यवहार में परिवर्तन करें।

आज वह युग नहीं रहा है कि जब अफसर अपने को सिर्फ अफसर समझते थे और एक विदेशी हुकूमत का सहारा पाकर मनमाने तरीके से जनता पर जुल्म करते थे। आज उन्हें यह जानना चाहिये कि वे जन-सेवक हैं और गांव का एक मामूली वोटर भी इस देश और प्रदेश का मालिक है और उसके साथ उन्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा नौकर मालिक के साथ करता है। तरह-तरह के मुकदमें जो जिलों में होते हैं उनमें काफी समय लगाया जाता है। वर्षों लोगों की दरख्वास्तें एक मामूली से लाइसेंस के लिये पड़ी रहती हैं मगर इस की तरफ अधिकारीगण कोई ध्यान नहीं देते। यह अक्सर देखने में आता है कि जहां पर लोगों की पहुंच हुई या जो शासक दल में हैं उनकी तरफ अफसरों का रुझान ज्यादा रहता है। इन सब बातों को देखते हुए आज आवश्यकता इस बात की है कि जिले में एक उच्चस्तरीय जिला कमेटी बनायी जाय, भले ही उसका कोई भी मुख्याधिकारी हो, जैसे सेक्रेटरीज हर डिपार्टमेंट में हैं वैसे ही जिले के इंतजाम के लिये सेक्रेटरी रखा जाय और कलेक्टर के पद के लिये कलेक्टर का नाम न रख कर बल्कि किसी और नाम से रखा जाय, बेहतर होता यदि उनको प्रधान जन-सेवक कहा जावे। चुने हुये लोगों की कमेटी हो जो गाइडेन्स दे और जो प्रस्ताव वह पास करे उनको वह कार्यान्वित करे। उस कमेटी को अधिकारीगणों के आचरण पुस्तिका में उन के कार्यों तथा आचरण के बारे में लिखने का अधिकार हो। आज कलेक्टर के पास इतने अधिक काम हैं कि हर जगह बड़े साहब, बड़े साहब का ही नाम रहता है। इसलिये आज जरूरत है कि उनके कामों को सीमित किया जाय और उनके अधिकारों को गांव में बांटा जाय और जो वहां पंचायतें हैं उनको विशेष अधिकार दिये जायं। आज कलेक्टर के हाथ में एस० पी० और एस० डी० ओज० का कैरेक्टर रोल रहता है। मैं चाहता हूं कि जिला कमेटी तथा कमिश्नर के हाथ में यह रोल्स रहने चाहिये और खासतौर से पुलिस के जब रेन्ज बन गये हैं तो कप्तानों का ताल्लुक डी० आई० जी० से होना चाहिये। इससे जो कलेक्टर की मरजी से ही सारा काम होता है वह नहीं होगा और निष्पक्ष काम हो सकेगा तथा अधिकारीगण अपने कामों में सतर्क रहेंगे।

जहां तक ला ऐंड आर्डर का सवाल है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह किसी कमेटी के सुपुर्द किया जाय तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत अर्जेन्ट मामला हो जिसमें पुलिस को दखल देने की जरूरत हो तो उसमें कमेटी को बुलाने वगैरह में काफी देर हो सकती है। यह भी हो सकता है कि कमेटी में कोई दलबन्दी वगैरह हो जिसके कारण लोग नाजायज काम करने की कोशिश करें। इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक अधिकारी को विशेषाधिकार दे कर रखना ही आवश्यक है जो निष्पक्ष रहे। अतः जो जिला कमेटी का निर्माण किया जाय उसके सेक्रेटरी को कुछ ऐसी एमरजेन्सी पावर्स दे दी जायं जिनको वह विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सके। मगर सर्वेसर्वा एक ही अधिकारी रखना किसी भी माने में उचित नहीं मालूम होता। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख माननीय मोतीलाल जी अवस्थी का जो संकल्प प्रस्तुत है वह जनतंत्र की साधारण परम्परा को कायम रखने के लिये, जनतंत्र को जीवित रखने के लिये नितान्त आवश्यक है। इसी हेतु मैं जनतंत्र के एक साधारण पुर्जे के नाते सभी माननीय सदस्यों से मांग करता हूं कि जिस उच्च भावना से माननीय अवस्थी जी ने यह प्रस्तुत किया है हमें उसका सर्व सम्मति से समर्थन करना चाहिये। लेकिन जनतंत्र में विरोध करने की और समर्थन करने की जो परम्परा पड़ गई है उसके वशीभूत होने के कारण कुछ भाइयों को इसका विरोध करना आवश्यक-सा हो गया है।

आज हमारे इस देश को स्वतंत्र हुए १२ वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। कहा जाता है गांवों में कि १२ वर्ष में घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। लेकिन इन १२ सालों में देश की साधारण जनता की स्थिति सुधरने के बजाय दिन प्रति दिन भयावह होती चली जा रही है।

आज से कुछ वर्ष पूर्व जब कि गवर्नर महोदय के सम्बोधन पर विचार हो रहा था तब इस सदन के माननीय मंत्री मोहनलाल गौतम जी ने यह कहा था कि यह कैसा समाजवाद है कि जिसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। इस तरह का मार्ग अपनाना चाहिये था जिससे गरीबों की गरीबी दूर होती और अमीरों की दौलत कम होती। लेकिन आजकल इसके विपरीत हो रहा है और गरीब दिन प्रति दिन गरीब होता चला जा रहा है और अमीर दिन प्रति दिन अमीर होता चला जा रहा है।

जहां तक देश का आर्थिक प्रश्न है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि अमीरों की अमीरी में वृद्धि हुई है और साधारण जनता गरीब हुई है। आर्थिक प्रश्न के अतिरिक्त यदि हम राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न को दृष्टिगोचर करें तो हमें पता चलेगा कि जनतंत्र के नाम पर शक्ति कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो गई है। आम जनता और साधारण नागरिक जनतंत्र के शासन में अपनी बुद्धि और योग्यता के आधार पर अपना हाथ बढ़ाना चाहता है क्योंकि हर एक व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है वहां विधान सभा और लोक सभा का निर्वाचन इतना खर्चीला हो गया है कि वह जनसाधारण की पहुंच से परे है। आज हमारे ग्रामीण और जिले के अन्य कार्य कर्ता अपनी योग्यता और बुद्धि के आधार पर यदि देश और प्रदेश के शासन में न सही ग्राम और जिला के शासन के संचालन में अपनी योग्यता का प्रयोग करना चाहते हैं वहां होता यह चला जा रहा है कि इस प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अतिरिक्त एक नया मोड़ आगया है कि दिन प्रति दिन सत्ता केन्द्रित होती चली जा रही है।

आज अगर यह कहा जाता है कि सत्ता का केन्द्रीकरण जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में होता जा रहा है तो यह भारी भूल होगी। मैंने पहले कहा था कि यदि हमें जनतंत्र को जीवित रखना है तो हमें तैयार हो जाना चाहिये, संभल जाना चाहिये क्योंकि हमारे जनतंत्र को जकड़ने के लिये खूनी पंजा इसका गला घोटने के लिये बढ़ता चला जा रहा है। आज जनतंत्र की मशाल अगर एशिया के स्वतंत्र देशों में जलती दिखाई दे रही है तो इस भारत में ही नहीं बल्कि भारत के वह पड़ोसी देश जो हमसे कुछ समय पूर्व या हमारे साथ या हमारे बाद में स्वतंत्र हुये थे, जहां जनतंत्र का विकास हो रहा था वहां आज फौजी तानाशाही ने उनके गले को दबोच लिया है। भारत में भी आज आम जनता में यह धारणा पैदा हो गई है कि किस व्यक्ति को हम निर्वाचित करके भेजते हैं या जो आदमी साधारण सी भी सरकारी नौकरी पा जाता है वह सिर्फ गरीब जनता को लूटने-खसोटने और अपनी तिजोरियां भरने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करता। आज किसी भी व्यक्ति को चाहे वह विधान सभा और लोक सभा का सदस्य क्यों न हो साफ और सफेद खद्दर के कपड़े पहने हुये साधारण जनता देख ले तो फौरन गालियां देना शुरू करती है और एक सफेदपोश खद्दरधारी के नाम से हम लोगों को संबंधित किया जाता है। आज जनता की निगाह में जन-प्रतिनिधियों का सम्मान गिर गया है। आज हम मानते हैं कि हम

जनप्रतिनिधियों में भी अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। आज हमारे जन प्रतिनिधियों को भी खरीदना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने ही राज्य सभा के लिये जो कुछ सदस्यों का निर्वाचन किया था.....

श्री उपाध्यक्ष---यह इस विषय से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, आप यह सब न कहिये। विषय पर ही बोलिये।

श्री जगन्नाथ लहरी---तो मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि आज जनतंत्र की रक्षा के लिये यह बात नितान्त आवश्यक है जबकि सारी सत्ता चन्द व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो रही है और इस सत्ता को आज इस प्रदेश की नौकरशाही विभिन्न विधेयकों द्वारा, विभिन्न कानूनों द्वारा अपने हाथ में लेती जा रही है, जो भी कानून पेश होते हैं हम देखते हैं कि उसमें सरकारी अधिकारियों को ही अधिकार देने के लिये हमें बाध्य होना पड़ रहा है। तो आज धीरे-धीरे यह सत्ता जन प्रतिनिधियों के हाथ से हटकर विशुद्ध नौकरशाही के हाथ में चली जा रही है और यदि यही रफ्तार रही तो वह दिन दूर नहीं जबकि जनतंत्र को एक ठोकर मारने के बाद किसी दिन भी कोई नौकरशाह हमारे इस देश का भी तानाशाह बन बैठे। तो आज जनतंत्र को कायम रखने के लिये इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि आज हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये कदम उठायें और कदम-कदम पर जन प्रतिनिधियों के हाथ में इस देश के शासन की बागडोर को सौंप दें जिससे कि आगे आने वाला यदि इस तरह का कोई खतरा हो, यदि भारत में भी कोई ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति एकतंत्र की स्थापना का स्वप्न देखता हो और उसके लिये उसका दुराग्रह हो तो यह विकेन्द्रित सत्ता गांव-गांव और जिले-जिले में फैली हुई जनप्रतिनिधियों की शक्ति, उसकी महत्वाकांक्षा को चकनाचूर कर दे। इसलिये आज गांवों और जिलों के अन्दर सच्चे जन-प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंपना नितान्त आवश्यक है।

जिलाधीशों का पद आप तोड़ें या न तोड़ें लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन जिलाधीशों के लिये देश की स्वतंत्रता से पूर्व क्या कांग्रेस कमेटियों ने यह प्रस्ताव नहीं किये थे, क्या कांग्रेस के नेता जनता में यह नहीं कह रहे थे कि स्वतंत्र भारत में कलेक्टर का कोई भी स्थान नहीं होगा लेकिन आज स्वतंत्र भारत में कलेक्टर का स्थान अंग्रेजों के कलेक्टर के स्थान से बढ़कर और इतना बड़ा स्थान हो गया है कि जिला बोर्डों को समाप्त कर दिया गया, जिला प्लानिंग कमेटियों को समाप्त कर दिया गया और जनप्रतिनिधियों को खिलौना की तरह खेलने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् नाम की एक संस्था सौंप दी गई। आज उसका सर्वेसर्वा, मालिक अगर कोई है तो वह जिलाधीश है। आज हर काम में जिले की सारी सत्ता किसी भी जनप्रतिनिधि के हाथ में नहीं, एक मात्र जिलाधीश के हाथ में केन्द्रित हो गई है। जिलाधीशों की सत्ता के सामने हमारे इन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कि सत्ता सौंपे हुये मिनिस्टरों की सत्ता है वह भी मेरी दृष्टि में हेय नजर आती है। क्योंकि मिनिस्टर को जहां सिर्फ अपने अधीनस्थ विभाग में ही अधिकार होता है वहां जिलाधीश जिले के समस्त सरकारी विभागों का एक मात्र अधिकारी होता है। अन्य जिला विभागीय अधिकारी तो उसके अधीन ही होते हैं। तो जिलाधीशों के पद को तोड़ने के लिये कोई एकाएक आज आवाज बुलन्द नहीं हुई है बल्कि कांग्रेस के आन्दोलन के जमाने से यह मांग थी। जब जनता ने देखा कि इस स्वतंत्र भारत में सारी सत्ता जिलाधीश में केन्द्रित होती चली जा रही है तो विवश होकर जनप्रतिनिधियों को जनतंत्र की रक्षा के लिये मांग करनी पड़ी कि जिस व्यक्ति ने सारी सत्ता को अपने हाथों में केन्द्रित कर लिया है उस पद को ही समाप्त कर दिया जाय और वास्तविक तौर से जनता के हाथ में जनशक्ति सौंपने के लिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ इस पर बोलने का मौका दिया। यह अवस्थी जी ने जो संकल्प पेश किया है उसके, जैसा उन्होंने खुद कहा, तीन भाग किये जा सकते हैं। उन तीन बातों में पहली बात विकेन्द्रीकरण की है। मैं समझता हूं, आपके दाहिनी ओर बैठने वाले सदस्य और आपके बाईं ओर बैठने वाले सदस्य दोनों ही इस प्रश्न पर एक मत होंगे। मैं समझता हूं इस वक्त जो जनरल ओपीनियन पब्लिक की है उसमें कोई भी विकेन्द्रीकरण के खिलाफ बोलने वाला नहीं होगा और मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य यहां पर बोले हैं, इस पक्ष से भी, उन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन के खिलाफ राय जाहिर नहीं की है। मैं समझता हूं कि इस बात पर सभी मुत्तफिक हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। इस चीज पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो तो किस तरीके से हो? उसकी मात्रा क्या हो? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। इस प्रश्न पर यह भी सोचने की बात है कि हर एक चीज का विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकता।

कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि सारे देश से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनका हल सारा देश इकट्ठा कर सकता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो राज्य से संबंधित हैं। उनका हल सिर्फ राज्य कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिले के स्तर पर या उससे नीचे की यूनिट पर गांवों में हल हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनको हम लोकलाइज्ड कहते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के रूप में कहते हैं वह प्रश्न वहीं पर उठें और वहीं पर सुलझ सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसी नेचर के होते हैं जो गांव या जिले में उठें तो उनका हल वहा पर नहीं हो सकता है। इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन को एक्जोक्यूशन करने के सम्बन्ध में जितने माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने इस बात को कुछ कन्फ्यूज कर दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन में दोनों चीजें मिली रहती हैं। एक्जिक्यूशन और इनिसियेशन दोनों रहते हैं। मैं समझता हूं अगर आप इस पर गौर करें और देखें कि इनिसियेशन कहां से होगा। वहां पर तो एक्जिक्यूशन होता है। जब विकेन्द्रीकरण होगा तो उसके लिये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका इनिसियेशन कहीं से होना जरूरी है क्योंकि जहां पर इनिसियेशन रहता है वहां पर एक्जिक्यूशन भी रहता है। उसको अलग नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां जो स्टेट है वह एक यूनिटरी स्टेट है। तो वह यूनिटरी स्टेट इनिशियेशन सारी स्टेट के लिये करेगी। वह इनिशियेशन यहां की सरकार से होगा तो उसको आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिये की व्यवस्था का प्रश्न है। उसके एक्जीक्यूशन के लिये यह जरूरी है कि यहां से निर्देश हो। अब हर जिले में, हर गांव में, उसका इन्तजाम अलग अलग किया जाय, मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से मुमकिन नहीं है। सारी स्टेट की जिम्मेदारी यहां की गवर्नमेन्ट की है कि सारे राज्य में व्यवस्था रखे और वह व्यवस्था ऐसी है जिसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इनिशियेशन और एक्जिक्यूशन साथ-साथ चलेंगे। उनको अलग नहीं किया जा सकता है।

यहां पर आप कानून बनाते हैं, उसका एक्जिक्यूशन एक्जिक्यूटिव करती है। उसका इनिशियेशन यहां से होता है। उसको आप किस तरह से डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं? एक्जिक्यूटिव अथारिटी तो जरूर है, लेकिन जहां से इनिशियेशन होता है वहीं से उसका एक्जिक्यूशन भी होता है, जैसे जिले के स्तर पर काम होते हैं, अगर यहां से आदेश न हों तो वे क्या करें? मैं समझता हूं उनको कोई उसमें स्वतंत्रता नहीं है। जो यहां के आदेश होते हैं उनके बारे में उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है और न उनको स्वतंत्रता होनी चाहिये, क्योंकि अगर अलग-अलग जिलों में अधिकार दे दिया तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। हर जगह पर हर जिले में अगर अलग-अलग हाईकोर्ट बैठ जाय हर कानून का अर्थ लगाने के लिये तो कितनी गड़बड़ होगी! माननीय सदस्य खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां तक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गयी उसमें मात्रा कितनी हो। तो जैसा मैंने कहा कि वह मकसद अगर हो तो कितनी मात्रा हो। उन प्रश्नों को, जो सार्वजनिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हित के हैं, जो सारे देश से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम उनका विकेन्द्रीकरण कर दें यह मानकर कि जनता स्वयं अपने यहां कानून बना लेगी और उसको एक्जिक्यूट भी कर लेगी तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी गड़बड़ी होगी। हर जगह पर एक अलग इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हो जायगी और एक दूसरे का कंट्रोल नहीं रहेगा

हमने सारे देश के लिये एक फेडरल गवर्नमेंट बनायी है। सारे देश में हमने राज्यों की शक्ति को केन्द्र को दिया है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में जो सिद्धांत होता है उसमें राज्यों का विकेन्द्रीकरण नहीं होता, लेकिन कार्यों का वितरण होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इन सारी परिस्थितियों को सोच कर हमें तय करना चाहिये कि हम अगर डिसेन्ट्रलाइजेशन करें तो किन चीजों में करें, कहां करना चाहिये और कहां नहीं। मैं समझता हूं कि पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो लोकल बाडीज हैं वे वहां के स्थानीय प्रश्नों को सोचने और तय करने के लिये ठीक हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के मुताल्लिक जो चीजें हों उनको लें और पंचायतें अपने हल्के में जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान करें और मैं समझता हूं कि इस बात से वह माननीय सदस्य जो आपके बायीं ओर बैठे हैं इन्कार नहीं कर सकते कि गांव को शक्ति दी गयी है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। यह ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टूट गये हैं, लेकिन अन्तरिम जिला परिषदें बनी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिल विधान सभा के सामने आने वाला है। यह ठीक है कि वह खटाई में है, लेकिन वह कितने दिन खटाई में पड़ा रह सकता है? देर जरूर है, लेकिन अन्धेर नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक मुमकिन है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है।

अब दूसरा प्रश्न जो अवस्थी जी ने उठाया वह जिलाधीश के पद को खत्म किये जाने का है। मैं समझता हूं कि यह एक अजीब बात है। आपको काम के एक्जीक्यूशन के लिये तो कोई न कोई आदमी रखना ही पड़ेगा। उसके बिना आपके कितने ही काम हैं, प्लानिंग का काम है, एनीमल हस्बेंडरी का काम है, दूसरे और विभागों का काम है, वह नहीं हो सकेंगे। उनमें कोई कोआर्डिनेटिंग एजेंसी जरूर होनी चाहिये कि जो सब को देख सके। नहीं तो सब अलग-अलग अपना-अपना काम करते रहेंगे और किसी को एक दूसरे के काम का पता नहीं चलेगा। जब मैं फिलासफी पढ़ा करता था तो एक सवाल आया करता था कि "whether you philosophise or you not you must philosophise" आपका कोई दर्शन हो या न हो, लेकिन आपको कोई न कोई दर्शन तो मानना ही पड़ेगा। आप कोई भी अथारिटी रखें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रखें या किसी और दूसरे को, लेकिन कोई न कोई अथारिटी तो आपको रखनी ही होगी जो केन्द्र से जो आदेश जायं उन पर अमल करा सके।

जिलाधीश नाम के बारे में काफी एतराज हुआ। मैं भी समझता हूं कि यह नाम ठीक नहीं है। हिन्दी में इसका जो तरजुमा हुआ है वह गड़बड़ है और इसको बदला जाना चाहिये। उसका नाम जिला अधिकारी रखें अथवा जिला सेवक रखें, हालांकि मैं समझता हूं कि जिला सेवक का नाम उसके पद को पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पाता। जो कुछ भी हो, उसे बदला जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि नाम बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो ठीक है, लेकिन हिन्दी में जिलाधीश ठीक नहीं है। 'मैजिस्ट्रेट' को हिन्दी 'नैय्यायिक' की जा सकती है, लेकिन वह भी ठीक नहीं बैठेगा क्योंकि वह कलेक्शन और मैजिस्ट्रेसी के अतिरिक्त एक्जिक्यूशन का भी काम करता है। तो यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर पूरे विचार की आवश्यकता है।

यह भी कहा गया कि कोई एलेक्टेड बाडी हर जिले में होनी चाहिये। यह हो सकता है कि आप कोई एलेक्टेड बाडी हर जिले में बना दें और वह वहां की चीजों को देखा करे, लेकिन यह काम तो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल्स कर सकती हैं और इस के लिये अलग से कोई बाडी बनाने की जरूरत नहीं है और उस के बाद आपको काम के एक्जिक्यूशन के लिये कोई न कोई अधिकारी तो रखना ही पड़ेगा। म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आप एक अफसर रखते हैं, ऐसा ही आपको यहां भी करना पड़ेगा।

[श्री वीरसेन]

इस के अतिरिक्त एक बात कन्पयूजन की है जो प्रस्ताव में लिखी हुई है। प्रस्ताव में लिखा है कि–"सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश का शासन ग्राम व जिला स्तर पर शीघ्र विकेन्द्रित करना अत्यन्त वांछनीय है। अतः यह सदन आवश्यक समझता है कि जिलाधीश का पद तोड़ कर उसका कार्य शीघ्र एक निर्वाचित अन्तःकालीन समिति को दे दिया जाय और एक विशिष्ट कमीशन संगठित किया जाय"। तो यह दोनों चीजें एक दूसरे से इस तरह से जोड़ दी गयी हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि वे एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। यानी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से यह होना चाहिये। मैं समझता हूं यह कोई ज्यादा अच्छा मेल नहीं खाता और इससे जाहिर होता है कि अथारिटी जो खुद कितने कन्फ्यूज्ड हैं डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में कि वह जिन चीजों को डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं तो कौन अथारिटी हो जायगी अगर जिलाधीश का पद तोड़ दिया जाय, जो यहां के आदेशों को कार्यान्वित करे। इसलिये मेरा ख्याल है कि इन सब चीजों के देखते हुये अगर मैं यह कहूं कि रेजोल्यूशन इल कंसीव्ड है तो कोई बहुत ज्यादा अनुचित बात न होगी। यह बात हो सकती है कि कमीशन इस तरह का बने, हालांकि इस बात को सब मानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो। इनिशियेटिव के डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब है, तो कहां पर इनिशिएटिव दिया जाय उसको तय करना है। अगर उसके लिये कमीशन नियुक्त किया जाय तो दूसरी बात है और वह हो सकता है और इसलिये मैं समझता हूं कि दोनों प्रश्न गलत हैं और मैं उनका विरोध करता हूं।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में शुरू शुरू में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह वादा किया था कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जिलाधीश के ओहदे को हटा दिया जाय और सदन में यह भी फरमाया था कि कलेक्टर साहब को अभी तक यह भी पता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। गालिबन डेढ़ साल हो चुके हैं, मैंने रोजाना देखा, सोचा कि सब लोग कुछ न कुछ करते हैं, सब लोगों की कोई न कोई ड्यूटी है, छोटे से छोटा चौकीदार और बड़े से बड़े इंजीनियर सब लोग किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन यह डी० एम० इस तरह का प्राणी है कि यह कोई काम नहीं करता। जो आतंक २०० साल तक अंग्रेजों ने यहां फैलाया था और नौकरशाही की वजह से जो जनता खायफ थी, उस खौफ और आंतक को कायम रखने के अलावा उसका कोई काम नहीं है। जनतंत्र को पनपे हुए १२ साल से ज्यादा हो गये हैं, लेकिन आजतक यह हाल है उत्तर प्रदेश का कि एक सच्चरित्र नागरिक दरख्वास्त देता है फायर आर्म्स के लिए। वह अपनी रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए दरख्वास्त देता है बन्दूक, रिवाल्वर के लिए। वह सच्चरित्र है और १० महीने बाद दरख्वास्त पर कलेक्टर साहब लिखते हैं कि इसको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। यह डेमोक्रेसी का मजाक नहीं है तो क्या है? एक सच्चरित्र, अपराइट सिटीजन कहता है कि मैं आवश्यकता समझता हूं और सरकार का एक नौकर यह लिखता है कि इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पूछता हूं, कौन होते हैं कलेक्टर साहब एक सिटीजन की आवश्यकता को महसूस करने वाले? उन्हें क्या अधिकार है कि सेल्फ डिफेंस का जो हक दिया गया है उसको वह छीनें?

हमारे वजीर लोग बड़े नांजा होते हैं, बड़े प्रफुल्लित और गर्वित होते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं जब डी० एम० उनको लेने के लिये आता है। यह गुलामी की भावना है और जब तक यह नहीं मिटेगी जनतंत्र नहीं पनप सकता मेरा आग्रह यह है कि जब तक यह ओहदा रहेगा, जनतंत्र को फैलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह से वह रहते हैं, न उनके पास कोई काम है, सिनेमा, ऐक्ट्रेसेज की तरह से श्रंगार करते हैं, दर्शन देने की थोड़ी-सी घड़ियां होती हैं, उनके अलावा दर्शन नहीं हो सकता। इस जमाने में भी कोठियों पर लिखा है "बि वेयर आफ डाग्स", 'कुत्तों से सावधान रहो'। इसका मतलब मैं यह समझता हूं कि इस कोठी में रहने वाले कुत्ते हैं। मैं समझता हूं कि इस कोठी में रहने वालों के अन्दर कल्चर पैदा नहीं हुई है। एक कुत्ते के पालने की वजह से हजारों जनता को आतंकित करने के लिये लिखना कि "कुत्ते से होशियार रहो"

यह अशिष्टता है, अभद्रता है, बद-इख्लाकी है, बर्बरता है। यह शिष्टाचार नहीं कहा जा सकता। सदन में मेरा आग्रह है कि इस बात को नोट करलें, यह चीजें आपको महंगी पड़ेंगी। हम अपोजीजन में हैं, यह चीजें हमको महंगी नहीं पड़तीं। हम यहां पर कोई सौदा करने के लिये नहीं आये हैं। हम सिर्फ इसी लिये आये हैं कि प्रदेश और देश में जनतंत्र को पनपायें।

आज दो ही काम हैं कि जनता का चरित्र जगे और जनतंत्र की भावना पैदा हो। विदेशों में ऐसा होता है कि अगर मिस्टर एटली और मिस्टर चर्चिल भी टिकट खरीदते हैं और उनका अगर लाईन में आठवां नम्बर है तो कोई ऐसा कायदा नहीं है कि उनको बाहर से बुलाकर कोई टिकट देदे, उनको उस लाइन में ही खड़े होकर टिकट खरीदना पड़ता है। लेकिन यहां अगर एक कलेक्टर या कमिश्नर साहब आवें तो आतंक के साथ आते हैं। अभी ३५-३६ दिन पहले की बात है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं भी एक कमिश्नर साहब का शिकार देखने के लिये चला गया। कमिश्नर साहब बहरे हैं, सुनते भी नहीं है, हाथ पैर भी कांपते हैं, लेकिन फिर भी वह कमिश्नर हैं। तो वह शिकार के लिये गये। जितने भी लाइसेंस होल्डर्स थे सब बुलाये गये। उस समय सारा काम बन्द था, फसल बोने का, गन्ने की बुवाई, गन्ने का ले जाना यह सब बन्द था, रास्ते रुके थे। जितने भी बन्दूक और रिवाल्वर वाले थे सब पहुंच गये। एक एस० डी० ओ० से लेकर पुलिस दीवान तक सब वहां थे। मैंने अन्दाजा लगाया कि उनकी शिकार के ऊपर करीब ३५ हजार रुपया खर्च हुआ, तीन दिन काम चला। कमिश्नर साहब बन्दूक नहीं उठा सकते थे, उनके चपरासी ने बराबर में आकर बन्दूक उठवाई और ३६ हजार रुपया खर्च होने के बाद कमिश्नर साहब की बन्दूक से एक तीतर मरा और वह भी एक सिपाही और एक चपरासी की इमदाद से। मैं पूछता हूं कि अगर यह नौकरशाही नहीं है तो और क्या है ?

जनतंत्र अगर आप पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में डेमाक्रेसी पनपे तो जरूरी होगा कि जनता में यह भावना पैदा हो कि कलेक्टर साहब हमारे नौकर हैं और यह भावना पैदा हो कि हम जो टैक्स देते हैं उससे कलेक्टर साहब अपनी तनख्वाह लेते हैं। मैंने किसी भी अफसर को एक मजदूर के दरवाजे जाते नहीं देखा। तो मैं पूछता हूं कि जब अभी यह भावना नहीं पैदा हुई है तो देश कैसे जग सकता है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है और मैं नहीं समझता कि एक ऐसे विद्वान ने गलत लिखा होगा कि जब रशा में वह रास्ता भूल गये उनकी कार फंस गई तो एक साहब ने फावड़ा लेकर उनकी कार का रास्ता ठीक किया। फिर पता लगा कि वह एक बहुत बड़े मिलिटरी आफिसर थे। लेकिन यहां पर एक मामूली सा पुलिस का सिपाही भी पब्लिक को आंतक में दबाना चाहता है। इसलिये मेरी आपको सलाह है कि अगर आज यह ढांचा नहीं बदला गया तो यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा।

हम लोग यहां पर इसलिये नहीं आ गये, मैं खास तौर से अपने मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि मेरे अन्दर कोई खूबी नहीं है और न कोई गुण है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी को हरा कर आ जाता। मुझ में कोई क्वालीफिकेशन या वर्चू नही है, मैं एक मामूली सा किसान हूं, तीन बैलों का छोटा सा काश्तकार हूं और मेरे पास कोई खास विद्या और बुद्धि जैसी भी कोई चीज नहीं है कि मैं इतनी बड़ी शक्ति को हरा देता। मैं तो केवल इसलिये आ गया कि आपका आमालनामा खराब था। और अगर आप इसी तरह से खराब काम करते रहे तो मैं फिर आ जाऊंगा। अगर आपका आमाल नामा ठीक हो जाय तो फिर मेरे आने की क्या जरूरत है ? डाक्टर की तो तब तक जरूरत होती है जब तक कि बीमारी रहे और जब बीमार अच्छा हो गया तब डाक्टर की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिये मेरी यह दरख्वास्त है कि अगर इस देश के अन्दर जनतंत्र को चमकाना है, पनपाना है तो एक कलम से कलेक्टर का ओहदा खत्म कर दिया जाय, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नियोजन अधिकारी या जिले के सेक्रेटरी को ही काम सौपा जाय।

साथ ही साथ में यह भी अर्ज कर दूं कि यहां इस सदन में ४३० सदस्यों की जरूरत नहीं है सिर्फ ५२ की जरूरत है। एक जिले से एक नुमायन्दा आना चाहिये। आज पब्लिक जो टैक्स

[श्री यशपाल सिंह]

दे रही है उसका लाखों रुपया यहां से उड़ जाता है। इसलिये सिर्फ एक नुमायन्दा जो पढ़ा लिखा हो, बोल सकता हो, जनता की बात को रख सकता हो वह आये और उसके साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह बैलों को जोड़ी से या किसी दूसरे सिम्बल से आये। इस तरह से अगर आप निजाम चलायें तो जनता जग सकेगी, वरना जनता के अन्दर विद्रोह पैदा होगा। आज जो जनता दबी हुई है वह हमेशा दबी हुई नहीं रह सकती है। यह सोकाल्ड डेमाक्रेसी खत्म होनी चाहिये। आज एक दर्जन देशों में यह डिमाक्रेसी खत्म हो चुकी है।

अगर इस जनतंत्र की रक्षा करना है तो मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर यह अर्ज करूंगा कि कलेक्टर के ओहदे को खत्म करके पब्लिक को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अब श्री सीताराम शुक्ल अपना संशोधन पेश करें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष---कृपया आप अपना स्थान गृहण करें। श्री सीताराम शुक्ल अपना संशोधन पेश करेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं जानता हूं, श्रीमन्, कि आप मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। कहेंगे कि सदन से निकल जाइये। यह चीज आपको रवां हो गयी है। यह जनतंत्र के विरुद्ध है। मेरे साथ सौतेला व्यौहार हो रहा है। इस तरह की चीज सदन के लिये नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---आप अपना स्थान गृहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं बहुत देर से खड़ा हो रहा हूं, मेरा निवेदन स्वीकार न होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---कृपया आप बैठ जांय।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिये, बात तो अवश्य ही सुनना चाहिये।

***श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि संकल्प की लाइन तीन और चार के बीच में "जिलाधीश का पद तोड़ कर उसका कार्य शीघ्र एक निर्वाचित अन्तःकालीन समिति को दे दिया जाय और," वाक्य हटा दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्रों के व्याख्यानों को ध्यान से सुना। शिकायत जो की गयी, वह ठीक है। दिक्कत बड़ी है। केन्द्रीय सरकार के हाथ में, प्रान्तीय सरकार के साथ में ताकत रहे और जिले में कम हो तो बड़ी दिक्कत होती है। अब प्रश्न यह है कि कैसे उसको ठीक किया जाय, इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे अवस्थी जी ने जब इस प्रस्ताव को पेश किया तो बहुत समझ बूझकर उसको पेश किया। लेकिन सोचना यह भी चाहिये कि काम किस तरह से जल्दी हो। उन्होंने जो दवाई बतायी उससे फायदे के बजाय नुकसान होने वाला है। अगर एक कमेटी बिठा दी जाय। तो कोई मसला होने पर कमेटी बैठे तभी उस पर बिचार हो सकेगा और तब वह कोई फैसला दे सकेगी, इस में तो और भी ज्यादा देर लग जाने की संभावना है। इस प्रकार से विकेन्द्रीकरण करने के बजाय फायदे के नुकसान हो जायगा। अब १० आदमियों की कमेटी बनती है। कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का, लोग सिफारिशें भी लायेंगे। इस प्रकार से जिस चीज को आप चाहते है बजाय उसके नुकसान हो जायगा और टाइम लग जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अर्ज करता हूं कि रूस में साम्यवादी शासन हो, वहां तो केन्द्रियकरण रह सकता है, जायज है, लेकिन वह जनतंत्र में नाजायज है, इस पर भी स्पीच होने लगी। प्वाइन्ट तो केवल इतना ही है कि किस प्रकार से काम जल्दी हो और अच्छा हो। इस पर आप गौर फरमायें। मेरे लायक दोस्त ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शान में रहते हैं, कुत्ते भौकते हैं। यह ठीक है उनको ऐसा नहीं करना चाहिये, शान में नहीं रहना चाहिये, उनको विनम्र रहना चाहिये।

मैं एक मिसाल पेश कर दूं। हमारे एक्स-गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य जी यहां आये थे। मैंने केअरटेकर को एक चिट्ठी लिखी कि वे मेरे यहां खाने के लिये आयेंगे। उन्होंने स्टेट आफीसर से पूछा, उन्होंने चक साहब से कह दिया, उन्होंने मुख्य मंत्री जी से पूछा कि इस प्रकार से क्यों डिनर दिया जा रहा है, इजाजत दी जाय या न दी जाय ? अब मैं बड़ी परेशानी में पड़ा कि १२ बज गये, १ बज गया परन्तु मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। मैं उनको दावत दे चुका था, दोस्तों को कह चुका था और उनको बुला चुका था, मामूली बात थी, लेकिन फिर भी जवाब हमारे पास देर में पहुंचा। यह कहिये कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो उदार तथा भले हैं वे यहां मौजूद थे और जब उनके पास यह चीज पहुंची तो उन्होंने तुरन्तु इजाजत दे दी कि दावत वहां हो सकती है। मैंने कह दिया था कि वहां पोलिटिकल कोई बात नहीं होगी, कोई पोलिटिलक अखाड़ा नहीं होगा, फिर भी एम० एल० ए० होते हुए भी हमें जवाब मिलने में देरी हुई। मेरी गुजारिश है कि शासन अच्छा होने के लिये जिले में किसी न किसी को रखना ही होगा, इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रहना जरूर है। हुजूरवाला आपकी शिकायत तो उस कर्मचारी से है कि वह अच्छा नहीं है और उसके जरिये से काम में दिक्कत पड़ती है। लेकिन जिले में ला ऐंड आर्डर अच्छा होने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर कोई कमेटी बना दी जायगी तो उससे और देर लगेगी तथा और दिक्कतें सामने आ जायेंगी।

एक बात मैं माननीय यशपाल सिंह जी से कहना चाहता हूं कि अगर आफिसर बुरे हैं, खराब हैं तो उनको मत रखिये। आज कल तो सिफारिश चलती है कि फलां हमारे रिश्तेदार हैं लिहाजा इनको जरूर जगह दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप थोड़ा अपने संशोधन पर तो बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल—उसी पर तो बोल रहा हूं कि कमेटी बनाना गलत है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अवश्य रखना पड़ेगा, उसकी शान को रखना पड़ेगा और उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। मेरा तो इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह है कि १२ बजे रात में उसको जगाना नहीं चाहिये, बल्कि उसे आराम देना चाहिये। अगर वह घंटों रात में जग कर काम करता रहे तो उसकी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी और ठीक से काम नहीं कर सकेगा, इसलिये आवश्यक है कि रात के १०-१२ बजे से सबेरे ६ बजे तक के लिये उसकी जगह पर कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होना चाहिये ताकि रात में कोई किसान या कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आवे तो उसके ऊपर कुत्ते न भूकें बल्कि उसकी बात सुनी जाय। हमारे आनरेबिल मिनिस्टर लोग जो हैं अगर आप इनसे बराबर काम ही लेते रहे और इनको आराम का मौका न दें तो वे अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। अगर आपको इनसे ब्रेन का काम लेना है तो इनको आराम देना पड़ेगा।

रूस की हर बात की यहां तारीफ करने से फायदे के बजाय नुकसान पहुंच सकता है। रूस का शासन वहां के लिये अच्छा हो सकता है, लेकिन वहां भी तो जिले के स्तर पर कोई न कोई होगा ही। इंगलैन्ड में भी प्रजातंत्र है, वहां भी डिस्ट्रिट मैजिस्ट्रेट होता है। इंगलैन्ड में भी पुलिस है, लेकिन वहां की पुलिस की तारीफ सारी दुनिया में होती है....

श्री उपाध्यक्ष—शुक्ल जी, बिजली फेल हो गयी है इसलिये मैं लाल बत्ती नहीं जला पा रहा हूं। आपके अब केवल २ मिनट ही बाकी हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—धन्यवाद, जो आपने बतला दिया। अमेरिका में भी प्रजातंत्र ह, लेकिन वहां पक्षपात की कितनी शिकायत है ? रूस में बेरिया को गोली से उड़ा दिया गया, जिसे जनता ने चुन कर भेजा था। बुलगेनिन साहब जिनकी यहां बड़ी तारीफ हुई, आज कहां से कहां-कहां दिखलई पड़ते हैं। तो कहने के लिये भले ही कुछ कह दिया जाय, लेकिन प्रोपेगेंडा से असलियत नहीं छिप सकती है। इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को पेश करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री रामसुन्दर पांडेय का नाम पुकारने पर)

श्री टीकाराम पुजारी—चूंकि आप पक्षपात करते हैं, इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का परित्याग करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—श्रीमन्, मैं एक बात मालूम करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—पहले माननीय सदस्य भाषण कर लें, उसके बाद आप मालूम कीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। श्रीमन्, यह बात सही है कि विदेशी सत्ता को जो देन थी नौकरशाही, उसके द्वारा जो शासन चलाने की पद्धति थी अपने देश में उसी रास्ते पर यह सरकार भी चलती जा रही है। सरकार के सामने कोई इस तरह का ढाचा शासन चलाने का अभीतक मेरे खयाल से नहीं है कि जिससे शासन गांव से लेकर केन्द्र तक चलाया जा सके। जो व्यवस्था पहले की थी उसी तरह से सरकार चलती चली जा रही है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि जो पहले का फटा पुराना कपड़ा था उसी में पेवन्द लगाकर सरकार उसको नया करना चाहती है जो बिलकुल गलत है और उससे अपने देश में लोकतन्त्र के विकास का जो ध्येय है वह धीरे-धीरे क्षीण होता चला जा रहा है। अभी उधर से माननीय सदस्यों ने और श्री हरिश्चन्द्र जी ने कहा है, शक्ति के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में, कि जो इधर के माननीय सदस्यों की राय है वही उधर के लोगों की भी राय है, उसमें मत भेद नहीं है।

न्याय पंचयतों को शक्ति देने के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं केवल एक ही बात पर इशारा करके इस बात को खत्म करूंगा कि पंचायतों को क्या अख्तियार मिले हुये हैं। आज न्याय पंचायतों के पंत्रों का चुनाव किस तरह से होता है ? कौन न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव करता है ? सदस्यों को मालूम होगा कि वह भी कलक्टर करता है और आप देखें कि क्या कभी ऐसे व्यक्ति कलक्टर की निकाहों में अच्छे हों सकते हैं कि जो आये दिन उस के किसी न किसी काम का विरोध करते रहते हैं ? वह कितने ही अच्छे से अच्छे क्यों न हों, कितने हीं पढ़े लिखे क्यों न हों, कितने ही चरित्रवान क्यों न हों, लेकिन अगर उन का कलक्टर से मतभेद है तो वह कभी भी न्याय पंचायतों के पंच नहीं बन सकते हैं। इसी से साबित है कि पंचायतों को क्या अधिकार मिले हैं।

अंग्रेजी राज्य में कलक्टर को जितने अधिकार थे उससे अधिक अधिकार आज उसे कांग्रेस राज्य में हैं। महात्मा गांधी की दोहाई बार बार दी जाती है, लेकिन महात्मा गांधी ने कलेक्टर के सम्बन्ध में क्या कहा था ? उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वह अपने जिले का एक वाइसराय है जिसके हाथ में सारी शक्ति अंग्रेजी राज्य की तरफ से निहित है। आज सारे जिले में कौन ऐसा विभाग है, कौन ऐसा काम है जिस की सारी जिम्मेदारी कलेक्टर के अधीन नहीं है ? विकास डेस्ट वर्कस का, भ्राष्टाचार निवारण का या खाद्य कमेटी का कोई भी काम हो सब जिले

का काम उन्हीं के अधीन है, वह हर चीज के प्रेसीडेंट रहते हैं। उसकी बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसी परिस्थिति में वह विकेन्द्रीकरण कैसे हो, किस प्रकार हो, यह चीज सरकार के दिमाग में शायद अभीतक नहीं आई है।

मैं तो यह कहूंगा सरकार से कि जो कानून-कायदे आप बना रहे हैं उसकी पांबंदी करने के लिये जनता को छोड़िये। यह कहा गया है कि जनता के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना अनुभव नहीं है कि कानून की पाबंदी करले। गांधी जी ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कहा था कि ऐसा दिन आये कि राज्य की शक्तियां अपने आप मुरझा जांय। क्या सरकार इस देश की जनता को और अपने आप को इस दिशा की ओर ले जा रही है कि राज्य के प्रति लोगों का मोह खत्म हो जाय? मैं समझता हूं कि आज राज्य सत्ता के प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसको हटाने का एक ही तरीका हो सकता है कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाय।

आज जनता में होड़ है, आज सरकार में होड़ है, विधायकों में होड़ है कि सत्ता किसके हाथ में आये। मैं कहूंगा कि जब सत्ता के लिये होड़ होती है तो इसके माने हो जाते हैं कि सत्ता के प्रति लोगों में खिचाव है, अनासक्ति नहीं है। सारी पार्टियों की बात कहता हूं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसका सत्ता की तरफ खिचांव न हो। उसको दूर करने का एक ही तरीका है और वह है विकेन्द्रीकरण। लेकिन शक्ति का विकेन्द्रीकरण सरकार नहीं करना चाहती है। उधर से एक माननीय सदस्य ने कहा था कि गांवों को जो शक्ति दी गई वह सरकार की विकेन्द्रीकरण की नीति की परिचायक है और यहां तक कहा गया, श्री रामलक्षण तिवारी जी ने कहा—कि अहिंसात्मक ढंग से स्वराज्य जो अपने देश में मिला हुआ है वह इस तरह का है कि हम उसमें कोई क्रान्तिकारी ढंग का विकास कर ही नहीं सकते। सरकार इस मनोयोग से काम करना नहीं चाहती है। अगर करती तो मेरा विश्वास है कि सरकार अच्छे कामों का समर्थन करती और विकेन्द्रीकरण करन म कभी हिचकती नहीं, संकोच नहीं करती।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

***श्री खूबसिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, जो रिजोलूशन इस सदन के सामने है वह रिजोल्युशन मुझे एक माकूल रिजोलूशन प्रतीत नहीं होता। इस रिजोलूशन में दो बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है। एक बात तो यह कि कार्य का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और उसकी तफसीलात तय करने के लिये एक हाई पावर कमीशन मुकर्रर करना चाहिये और दूसरी बात यह कि जिले में जो जिलाधीश है उसके पद को तोड़ दिया जाय और उसके कार्यों को कोई चुना हुआ आदमी करे।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि विकेन्द्रीकरण हो, इस रिजोलूशन में अवस्थी जी ने यह बिलकुल नहीं बताया कि विकेन्द्रीकरण अगर हो तो किन किन-बातों का हो। अगर वह इसको भी स्पष्ट कर देते तो समझने में काफी सहूलियत होती और मेरा खयाल है कि अवस्थी जी के प्रस्ताव को कुछ स्पोर्ट मिल भी सकती थी। जहां तक विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है, गवर्नमेन्ट की पालिसी विकेन्द्रीकरण की तो है ही। जहां तक गांव सभा का ताल्लुक है गवर्नमेन्ट की पालिसी पहले से है कि ज्यों ज्यों गांव-सभा में लोग काम करें और उनमें कान करने की शक्ति इम्प्रूव होती जाय त्यों-त्यों अधिक अधिकार दिया जाय और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिल जो इस हाउस के सामने पेश है उसको पेश करने का तात्पर्य केवल यही है कि जिले के स्तर पर लोगों को स्वयं अपना काम सम्हालने में ज्यादा सहूलियत दी जाय और काम का विकेन्द्रीकरण किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूबसिंह]

जाय। किस काम को विकेन्द्रीकरण किया जाय? इसमें उसमें स्पष्ट कर दिया है कि फलां फलां काम होगा जिसका विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, जिन कामों को फिलहाल सौपना चाहते हैं। तो जब तक यह बात स्पष्ट न हो कि किन किन कार्यों का विकेन्द्रीकरण हाई पावर कमीशन की तकर्ररी से चाहते हैं उस वक्त तक उनका यह कहना असलियत के खिलाफ होगा? क्योंकि विकेन्द्रीकरण तो हम कर ही रहे हैं, वह तो हमारा सोचा समझा हुआ लक्ष्य है। कुछ खास कामों की तरफ विकेन्द्रीकरण की पालिसी अपनायेंगे, सबकी तरफ नहीं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अवस्थी जी ने कहा कि कलेक्टर के पद को तोड़ दिया जाय और उसके स्थान पर एक चुना हुआ आदमी काम करे। मैं अवस्थी जी को बताना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक पद्धति की सरकार जिन देशों में हैं और जो उसके उसूल हैं और जो कार्यान्वित किये जाते हैं वह पार्टी बेसिस पर कार्यान्वित किये जाते हैं। पार्टी बनती है, जो पार्टी पावर में आती है उसी के हाथ में सत्ता होती है। वह पालिसी बनाती है, उस पर अमल दरामद होने लगता है और उस अमलदरामद को करने का एक ही तरीका है और दूसरा कोई नहीं है। वह यह है कि पालीसी को पार्टी इन पावर बनाती है? लेकिन उसको ऐग्जीक्यूट करने वाली एक मुस्तकिल एजेन्सी होती है। पार्टी तो सिर्फ देखती रहती है कि उसकी पालिसी ठीक तरह से ऐग्जीक्यूट हो रही है या नही। यही उसूल है जिसके अनुसार शासन चल रहा है। काश यह उसूल न होता और जो अवस्थी जी चाहते हैं उस पर अमल दरामद किया जाय तो मैं बिना संकोच कह सकता हूं कि जो कुछ इंतजाम आज कायम है वह खत्म हो जायगा और सुव्यवस्था खत्म हो जायगी। इस तरह से जिस पार्टी के हाथ में ताकत होगी, क्योंकि अवस्थी जी के अनुसार चुना हुआ आदमी कलेक्टर के काम करेगा, तो जिस पार्टी का वह होगा वह खूब सिंह की पार्टी को खत्म कर देगा और अगर खूब सिंह की पार्टी का आदमी होगा तो अवस्थी जी की पार्टी का गला घोट देगा।

श्री उपाध्यक्ष---दो मिनट आपके और हैं।

श्री खूबसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं केरल में जो भी अभी तजुर्बा हुआ उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हालांकि विधान के नुकते निगाह से कम्युनिस्ट सरकार को उस किस्म के अधिकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अधिकारों पर ऐनक्रोचमेंट किया और बहुत से अधिकार चुने हुए आदमियों ने अपने हाथ में ले लिये और कम्युनिस्ट सरकार के जो मंत्री थे वह जिले के अधिकारियों के बहुत से काम खुद करने लगे, नतीजा यह हुआ कि जनता ने क्रान्ति कर दी और उस सरकार को उलट दिया। फिर अवस्थी जी उस तजुर्बे को यहां क्यों करना चाहते हैं? इसलिये जो प्रस्ताव है यह न ज्यादा सोचा समझा है और न सीरियस है और हुकूमत का जो काम चल रहा है उसको सोचने समझने के बाद नहीं लाया गया, एटरेंडम लाया गया इसलिये इस पर ऐसा ही विचार भी हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय अवस्थी जी, मेरे पास सूचना आयी थी कि आप अपना समय माननीय राजनारायण जी को देना चाहते हैं। तो १५ मिनट का आपका समय है, उसमें राजनारायण जी बोलना चाहें तो बोलें।

श्री राजनारायण---मैं १० मिनट बोलूंगा और शेष समय माननीय अवस्थी जी ही बोलेंगे? क्योंकि फाइनल रिप्लाई का अधिकार उन्हीं को है।

श्री उपाध्यक्ष---तो आप पहले बोलें। १५ मिनट का आप दोनों का समय है, उसमें से जितना समय आप लेना चाहें ले लें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो संकल्प प्रस्तुत है इसके विरोध में जो बातें रखी गई हैं उन्हीं को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक पूर्व वक्ता ने कहा कि सरकार की ओर से एक मजबूत प्रशासक का होना जरूरी है इसलिये जिलाधीश रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूं

कि चाहे प्रशासक हो या प्रशासन अंग्रेज हुकूमत यहां पर कायम रही ? वह बहुत मजबूत प्रशासन रहा मगर उसको हमने तोड़ दिया। इसलिये मजबूत प्रशासन कौन माना जायगा, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष के लोग अपने दिमाग को साफ कर लें। मजबूत प्रशासन वह नहीं हो सकता जिसमें जनता अपना सर्वांगीण विकास न कर पाती हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो यहां पर संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको तीन खंडों में बांटा जा सकता है। पहला यह कि ग्राम व जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण हो। कोई बतलाये, क्या राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण ग्राम व जिलास्तर पर है ? नहीं है। आज जो पंचायतें हैं या जिला परिषदें हैं उनको संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है। यह जो प्रस्ताव यहां पेश किया गया है उसका मकसद यह है कि इनको संवैधानिक तौर पर अधिकार प्राप्त हों। उनके विधानतः जो कुछ अधिकार व कर्तव्य हों, उनका पालन करने में वे स्वतंत्र हों।

दूसरी बात कही जाती है कि इस समय का प्रशासन मजबूत है। आज कलेक्टर मजबूत है तो प्रशासन बहुत मजबूत है। लेकिन अगर यही प्रशासन की मजबूती का द्योतक है तो चीन का हमला कैसे हो गया ? दोनों तर्क हमारे सामने हैं। अंग्रेज मजबूत रहे इसी ढांचे को रख कर, उसको हमने तोड़ा। उसी ढांचे को रख कर कांग्रेसी सरकार चल रही है और उस ढांचे के रहते हुए चीन ने यहां हमला करके २० हजार वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया। मौजूदा जमाने में और आज से १५, २० वर्ष पहले के जमाने की स्थिति में क्या कोई फर्क नहीं होगा। जो फर्क होगा, उस फर्क को मैं आगे बतलाऊंगा।

कहा गया कि पार्टी नेताओं की मीटिंग हो रही है। मुझे नहीं मालूम, किस पार्टी नेता की मीटिंग हो रही है। यह वाक्य कहा गया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं की मीटिंग हुई है जिसमें उनके नेता का जाना वांछनीय नहीं था तो उनको अपने नेता की गतिविधि पर अंकुश लगाना चाहिये था।

श्री प्रतापसिंह---मैं स्पष्टीकरण कर दूं। मैंने यह नहीं कहा था।

श्री उपाध्यक्ष---बाद में कर दीजियेगा।

श्री राजनारायण---अब मैं खुद ही सफाई कर दूं। अगर वांछनीय समझते हैं तो उनको कोई शिकायत नहीं होना चाहिये। अगर किसी पार्टी के नेताओं की कोई मीटिंग हुई तो मैं उसमें शामिल नहीं हुआ था। मैंने एक पत्र लिख कर स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री, विचित्र नारायण जी को भेज दिया था और विचित्र नारायण जी का उत्तर एक पत्र द्वारा आया था। उसका जवाब ६ बजे तक तैयार हो जायगा जो शाम को उनको मिल जायगा।

बहुत से लोगों ने यह बात कही कि नेहरू जी पर हमारी श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा होने ही मात्र से उनकी नीति भी सही है यह बात न सही है, न सही होगी और न सही होने वाली है। श्रद्धा दूसरी चीज है और नीति का सही होना दूसरी चीज है। आज यह सही नारा लगाया जाता है कि "किसने की मुल्क बरबादी, कम्युनिस्ट और नेहरूवादी"।

यह भी कहा गया कि विनोबा जी भी विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि अगर वे इस प्रस्ताव के साथ हैं तो उनको न विनोबा जी, न जवाहरलाल जी और न किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता है। वे अपने प्रदेश के शासन को देखें और देख लें कि आज हमारे प्रदेश के प्रशासन की हालत कितनी दयनीय हो गयी है। चारों तरफ से एक आवाज आ रही है। मैंने यहां दो माननीय सदस्यों को सुना, रामलक्षण तिवारी और झारखंडे राय जी को भी। हमको बुद्धि के साथ बलात्कार नहीं करना चाहिये। जो विषय जैसा है, ईमानदार विद्यार्थी, अध्यापक तथा इतिहासकार का कर्तव्य होता है कि उसे ज्यों का त्यों रख दे। मैं कहना चाहता हूं कि डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलिटेरियट के क्या मानी ? मार्क्स के पहले 'अधिनायकवाद' शब्द नहीं लिखा गया। १९४८ की "कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो" नामक पुस्तिका जो है

[श्री राजनारायण]

उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें 'डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलिटेरियट' शब्द कहीं नहीं आया। तो जब पेरिस कम्यून का मामला फेल हुआ। उसके बाद मार्क्स को अनुभव हुआ और तब उन्होंने कहा कि हमको ट्रांजीशनल काल के (संक्रमण काल) लिये मजदूरों की अधिनायकशाही रखनी होगी। इसलिये अगर झारखंडे राय जी यह समझें कि मजदूरों की अधिनायकशाही मार्क्स का कोई निश्चित सिद्धांत है, ऐसी बात नहीं है। वह तो एक निश्चित निष्कर्ष पर आकर एक वाक्य केवल थोड़े से काल के लिये कह दिया।

रामलक्षण तिवारी जी न जाने कौन-सा समाजवाद पढ़े हैं। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि हमने जो जेल में उनके लिये मेहनत की वह सब बेकार हो गयी। उनको मालूम होना चाहिये कि आज जो कम्युनिस्ट पार्टी है ? अगर तार्किक ढंग पर, बौद्धिक ढंग पर उसको धराशायी करने वाली कोई पार्टी है तो वह सोशलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी ने बिलकुल निश्चित ढंग पर कहा है कि आज के युग में कहां-कहां मार्क्स को मान्यतायें मान्य हो गयी हैं और कितनी-कितनी दूर तक गांधी जी को हम लेते हैं और कितनी दूर तक नहीं लेते हैं। इसलिये मार्क्स और गांधी जी को यहां पर ला कर रख देने से उसका कोई मतलब नहीं हो जाता। मजदूरों की अधिनायकशाही ने रूस में एक बड़ा हैवक, वितंडावाद क्रिएट किया। जब १९१२ में सोशल डेमोक्रेसी दो भागों में बंट गयी, बोल्शेविक और मेन्शेविक, बहुमत को बोल्शेविक कहते हैं और अल्पमत को मेन्शेविक कहते हैं, उसके बाद जब जारशाही का नाश हुआ तो पार्टी वहां पर कहने लगी कि अब तो बुर्जुआ क्रान्ति हुई है, अब पूंजीपति का जमाना आयेगा और पूंजीपति विकसित हो जायगा। अक्सर कम्युनिस्ट या कांग्रेसी लोग जो राजनीति के दुधमुंहे बच्चे हैं वे कहते हैं कि बुर्जुआ का आना अवश्यम्भावी है। मैं कहना चाहता हूं कि बुर्जुआ का आना अवश्यम्भावी नहीं है। रूसी क्रान्ति के समय वहां के लोगों ने कहा कि अभी पूंजीपतियों की क्रान्ति हुई है, जब मजदूरों की शक्ति संगठित होगी तो मजदूर प्रोलिटेरियट पूंजीपतियों की कब्र खोदने वाला हथियार होगा। लेनिन ने कहा था कि यह बात नहीं चल सकती और चौथी अप्रैल की थीसिस उसने दी, और वह अकेला था, सारी बोल्शेविक पार्टी उसके विरुद्ध थी, लेकिन उसने कहा कि हम जनता का साथ नहीं छोड़ते हैं। लेनिन ने कहा कि आज रूस का सिपाही बन्दूक के कुन्दों को लेकर पैरों से भाग रहा है। आज हम हाथ से वोट नहीं लेते हैं, समाजवादी क्रान्ति हो सकती है इसके लिये आज पैर हमारा साथ दे रहे हैं। 'कम्युनिस्ट' पार्टी, नाम बाद में आता है और जब १९२३ में लेनिन मर जाता है तब जो कम्युनिस्ट पार्टी चली वह मार्क्सवाद पर बिल्कुल पल्थी मार कर बैठ गयी जैसे आज गांधीवाद पर कांग्रेस पार्टी बैठ गयी है। इसी तरह से मार्क्सवाद पर कम्युनिस्ट पार्टी बैठ गयी। उसने उसकी धज्जी धज्जी उड़ा दी। 'डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलिटेरियट' मार्क्स ने कहा था जरूर मगर इसके माने क्या यह हैं कि श्री झारखंडेराय की डिक्टेटरशिप हो, या स्टैलिन की डिक्टेटरशिप हो या बुल्गानिन की डिक्टेटरशिप हो ? उसका मतलब है "Democratic dictatorship of the proletariat plus poor peasantry." डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है तो इसके माने हैं कि सत्ता गरीब जनता में निहित है। अगर रूस में श्रमिक लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां का वर्तमान शासन उखाड़ कर फेंक दिया जायगा, मगर ऐसा नहीं है। तो झारखंडे राय जी को यह साफ हो जाना चाहिये कि उनके यहां डेमोक्रेसी नहीं है। मजदूरों का मजदूरों पर आधिपत्य, मजदूरों की मजदूरों पर तानाशाही, यह अर्थ डिक्टेटर शिप आफ दि प्रोलेतारियत का कदापि नहीं है। आज रूस में गरीब किसान मजदूरों की अधिनायकशाही नहीं है क्योंकि उनके नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी की अधिनायकशाही है और कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर व्यक्ति विशेष चाहे स्टैलिन रहा हो, बुल्गानिन हो या ख्रुश्चेव हो उसकी अधिनायकशाही है। श्रीमन्, झारखंडे राय जी ने कहा कि सदस्यों ने भी पये लिये हैं। उनका कहना यदि सही है तो इसकी भर्त्सना होनी चाहिये, इसकी निन्दा होनी चाहिये और खुलकर निन्दा होनी चाहिये। अगर किसी का नाम मालूम हो तो बताया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि जब तक नाम और तथ्य न मालूम हों तब तक चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री राजनारायण——ठीक है, श्रीमन्, चर्चा नहीं होनी चाहिये। मैं कहूंगा कि पैसे वाले भी बिके हैं और बिना पैसे वाले भी बिके हैं। इसीलिये कुछ हैव्ज नाट को मार्क्स ने 'लुम्पिन' कहा था, जिसका अर्थ है ऐसा गरीब पथभ्रष्ट मजदूर जो अपना चरित्र न पहिचाने, जैसे भिखमंगा कह सकते हैं, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन हो, मगर ईमान के साथ खाना पसन्द करता हो। हमारे यहां तो एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि "ओरन को धन चाहिये बावरि, बांभन को धन केवल भिक्षा।" यहां पर एक जाति ऐसी बन गई है जो केवल मांग कर ही खाना पसन्द करती है।

मैं कह रहा था कि इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि माननीय अवस्थी जी का जो प्रस्ताव है उसी को देखिये। प्रतापसिंह जी ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी भ्रम में है। मैं कहना चाहता हूं कि वह भ्रम में नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि जिला परिषद् विधेयक आज ही आये, अभी आये और हमारे जो संशोधन होंगे उनको हम प्रेस करेंगे। माने जायंगे तो ठीक है वरना हम संसदीय परम्परा के अनुसार कार्य करेंगे। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि ब्लाक स्तर और जिला स्तर के झगड़े को खड़ा करके एक वितंडावाद खड़ा कर दें। इस में सोशलिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो कहा था कि जिला बोर्ड यह एक सड़ी हुई लाश है। हम आज भी चाहते हैं कि गांव पंचायतें बनाई जायं। इसमें लिखा हुआ है कि गांव और जिला-स्तर पर विकेन्द्रीकरण करना वांछनीय है। वह बन जायं, इसके बाद जिला पंचायत राज होगा। ब्लाक की बात हम नहीं लाना चाहते हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत हमारी मूल इकाई होगी। कई गांव मिलकर अपनी शक्ति को ब्लाक के रूप में देना चाहें तो वह दूसरी बात है .....

श्री उपाध्यक्ष——अब केवल दो मिनट बाकी हैं।

श्री राजनारायण——हमारे १० मिनट हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष——आपके १३ मिनट हो गये हैं।

श्री राजनारायण——हमारा कहना यह है कि हम गांव पंचायतों में सत्ता को विकेन्द्रित करना चाहते हैं। जो बातें हमसे छूट गई हों वह अवस्थी जी कहेंगे, क्योंकि उत्तर देने का उन्हीं को अधिकार है।

श्री प्रतापसिंह——मान्यवर, राजनारायण जी वह हस्ती हैं कि जब जिसके लिये जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन जो मैं आज बोला हूं उसकी प्रतिलिपि मेरे पास आ गई है। मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है——"हमारी सरकार तो सेंटर से गाइड होती ही है। अब वह बलवन्त राय मेहता कमेटी के अनुसार बिल बनाना चाहती है। उसकी रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी। इसी कारण कई दिनों से सरकार और विरोधी दलों के नेताओं के बीच बात-चीत चल रही है। लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है" यह मैंने कहा था। मैं आपके द्वारा उनसे कहूंगा कि वह चाहे किसी को कुछ भी कहें, लेकिन जिस पार्टी में वह पहले रह चुके हैं उसके मेम्बरों को बुरा कहने की कृपा न करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन——मैंने इस प्रस्ताव को गौर से पढ़ा और अपने इस तरफ के बैठे हुए मित्रों और जो उस तरफ बैठे हुए हैं, उन सबके भाषणों को भी सुना। जहां तक हमारे भाई राजनारायण जी का ताल्लुक है जो बातें उन्होंने माननीय झारखंडे राय के सम्बन्ध में कहीं, उससे तो मेरा कोई ताल्लुक न है न हो सकता है। वह तो उनके और उनके दरमियान की बात है। वह उनको समझ सकते हैं, वह उनको समझ सकते हैं और वह जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वह मेरी समझ में भी बहुत कम आईं। मैं तो केवल इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, इस प्रस्ताव के तीन टुकड़े हो सकते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट और ग्राम लेवेल पर विकेन्द्रीकरण हो, दूसरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट को एबालिश कर दिया जाय और तीसरी बात यह कि उसकी जगह पर एक अन्तरिम समिति निर्वाचित करके तैयार कर दी जाय जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम करे और एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय, वह जांच-पड़ताल करके अपना मशविरा दे कि किस तरह से विकेन्द्रीकरण किया जाय।

इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक की वह यह कि "पुटिंग दी कार्ट बिफोर दि हार्स" (Putting the cart before the horse) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट एबाशिल कर दी जाय उसके बाद कमीशन मुकर्रर किया जाय। तो इससे यह हमको जरूर अन्दाजा हुआ कि हमारे मित्र प्रस्तावक महोदय के दिल में यह ख्याल है कि कमीशन जो मुकर्रर होगा वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट के एबाशिल के फेवर में रिपोर्ट देगा। ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता है। अगर यह बात कर दी जाय कि पहले डिस्ट्रिक्ट मैजस्ट्रेट की पोस्ट एबालिश कर दी जाय और फिर समिति भी बना कर निर्वाचित की जाय और कमीशन भी मुकर्रर हो जाय, लेकिन खुदा न खवास्ता कमीशन ने अपनी यह रिपोर्ट दी कि जिलाधीश की जगह रहना जरूरी है तब तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। इस तरह से कयास कर लेना कोई बात--यह कयास सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है--जिसमें इतनी दुविधा हो उस कयास की बिना पर हम एक स्टेप ले लें, एक पोस्ट इतनी बड़ी इम्पार्टेंट पोस्ट---उसे एबालिश कर दें तो बड़ी दिक्कत होगी (व्यवधान) जरा सुनिये। जब आप बोलते रहे मैं खामोश बैठा रहा। आप में खुद इतनी क्षमता होनी चाहिये कि जब दूसरा कोई कहे तो सुनें और जब आप कहें तो हम खुद सुनें। हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि हम बैठे रहे जब आप बोलते रहे। अब आप बीच-बीच में उचक रहे हैं। (व्यवधान) अगर "उचकना" शब्द असंसदीय है तो मैं वापस भी ले सकता हूं।

श्री राजनारायण---आपके कहने का हम बुरा नहीं मानते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बड़ी सतर्कता से बोलता हूं और खूब सुनता हूं, बड़ी शान्ति के साथ।

तो जहां तक कि इस उसूल का सम्बन्ध है कि विकेन्द्रीकरण किया जाय, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। हमारे भाई जगवीर सिंह जी, जो बुलन्दशहर जिले के आनरेबिल मेम्बर हैं, उन्होंने कहा कि मंत्री जी को आज एलान करना चाहिए, तो यह तो पहले ही एलान हो चुका है और मैं आज भी एलान करता हूं कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। मैं यह भी कह सकता हूं कि जितना हमारे मित्र विकेन्द्रीकरण के माफिक हैं सरकार उसमें उनसे पीछे किसी तरह से नहीं है। हम भी चाहते हैं, विकेन्द्रीकरण हो। आज इत्तफाक से गैलरीज में बहुत कम लोग हैं, यह भी कहा जाता है कि जनता को पावर दी जाय। हम तैयार हैं, यही हमारा ध्येय है, यही सरकार की पालिसी है, लेकिन हमारे आपके दरमियान में इख्तलाफ किस तरीके से, किस ढंग से विकेन्द्रीकरण हो, यहां है। आप एकबारगी कर देना चाहते हैं कि जिला मैजिस्ट्रेट की पोस्ट एबालिश कर दी जाय और समिति भी बना दी जाय और उसके जरिये से सारे काम होते रहें। सरकार और इस तरफ के लोग इस विचार से सहमत नहीं हैं। इसमें खतरात हैं और उन खतरात को रोजमर्रा हम सुनते हैं। हमारे सामने कहा जाता है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी और गांव सभायें ठीक तरह से काम नहीं करतीं। जो कि गांव सभाओं की प्रापर्टी है, वह बरबाद हो रही है। एक तरफ यह कहा जाता है और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि उनको और ज्यादा पावर दी जाय। दोनों बातों के होते हुये यह बड़ा मुश्किल है कि हम इस राय से मुत्तफिक हों कि विकेन्द्रीकरण की तरफ सरकार कदम उठाये।

हम लोगों ने पंचायत राज ऐक्ट बनाया। यह बहुत बड़ा कदम था जिससे गांवों के अन्दर रहने वाले भाई पंचायत बनाते हैं। अगर उस ऐक्ट को पढ़ लिया जाय तो मालूम होगा कि उनको तमाम पावर दी गई है। हमारे एक मित्र ने कहा कि उनको कानूनी ढंग की कोई पावर नहीं है और यहां से जो आदेश जाया करते हैं उनके जरिये वह काम करते हैं। मैं क्या बताऊं? मैं यह नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने उस ऐक्ट को पढ़ा नहीं है। अन्तरिम जिला परिषद् और पंचायतराज ऐक्ट बने हैं। उनमें मुख्तलिफ प्राविजन्स हैं जिनके आधार पर पंचायतों को और अन्तरिम जिला परिषद् को तमाम अधिकार दिये गये हैं और सब कानूनी तरीके से अधिकार दिये गये हैं। अन्तरिम जिला परिषद् आज उसी आधार पर काम कर रही है। रोजमर्रा वह अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। लिहाजा यह मेरी समझ में नहीं आया जो उन्होंने कहा। जो अधिकार उनको दिये जा रहे हैं वह सब कानून के जरिये से ही दिये जा रहे हैं। कोई एक्जिक्यूटिव आर्डर यहां से नहीं जाता है।

एक बात यह कही गई कि वह समिति का मामला है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अकेले काम करता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि जिस वक्त पालिसी निर्धारित की जाय तो एक से ज्यादा आदमी बैठकर उसमें विचार करें और सब लोग पहले खुद उस पर विचार कर लें, लेकिन जिस वक्त पालिसी निर्धारित हो जाय उस वक्त एक्जिक्यूशन के लिये हम एक आदमी के हाथ में अख्तियार देना चाहते हैं। उसके एक्जिक्यूशन के लिये पंचायत नहीं बैठ सकती है, क्योंकि पंचायत में भिन्न-भिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे और वहां पर बैठ कर अगर वे सहमत आपस में न हों और जो पालिसी सरकार की तरफ से लेडाउन की जाय उसमें झगड़ा पैदा किया जाय तो फिर उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो सकता है। उससे लेडाउन की हुई पालिसी के लिये मुझे काफी खतरा उस हालत में दिखाई पड़ता है। ऐसी हालत में इस समिति के बनाने की बात सरकार कतई नहीं मान सकती है, क्योंकि इसमें खतरा दिखाई पड़ता है। इसलिये हम इसको कबूल नहीं कर सकते हैं।

हमारे भाई प्रतापसिंह जी को इस बात की तकलीफ है कि जिलों में जब मिनिस्टर जाते हैं तो उनका स्वागत आफिसर लोग करते हैं। अगर उनको इसकी तकलीफ है तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उनकी यह तकलीफ दूर हो। उन्होंने कहा कि स्वागत के लिये दूसरा कलेक्टर मुकर्रर किया जाय। कलेक्टर के भी प्राबलम हुआ करते हैं। हमारे एम० एल० एज० के भी कुछ प्राबलम हुआ करते हैं। जब कोई मिनिस्टर जाता है तो हमारे बहुत से एम० एल० ए०, ख्वाह वह इधर के हों या उधर के, सबका स्वागत मिनिस्टर करता है। उनसे मिलने की चेष्टा करता है। अगर उनके प्राबलम होते हैं, उनकी जरूरत होती है तो वह उनको हल करने की कोशिश करता है। इसी तरह से जिले के अधिकारियों के भी कुछ प्राबलेम पैदा हो जाते हैं। हमारी और आपकी वजह से और डेमोक्रेटिक कन्ट्री होने की वजह से उनके भी कुछ मामले होते हैं और हमसे मिलना उनके लिये अनिवार्य हो जाता है। वे हमसे बात करते हैं और हम उनकी बात सुनते हैं। उनकी कठिनाइयों को हल करने की चेष्टा करते हैं। अगर मिनिस्टर से जिलाधीश या नीचे के अन्य अधिकारियों की मुलाकात हो जाती है तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं होनी चाहिये। हम इस बात का प्रयास कर सकते हैं कि जब हमारे भाई नैनीताल जायं तो जिस तरह से हमारा स्वागत होता है उनका भी स्वागत हो सकता है। हम तो एक परिपाटी कायम कर रहे हैं कि जब कभी वह इधर आयें तो उनका भी वही स्वागत हो। इसमें कोई शुबहा की बात नहीं है। मैंने कहा था कि हम ने कदम उठाये हैं विकेन्द्रीकरण की तरफ। पंचायत राज ऐक्ट बनाया, अंतरिम जिला परिषदें बनायीं और मैनेजमेंट कमेटी बनायी। उनका लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनको अधिकार दिये हैं। सारी जमीन का इंतजाम उन्हीं के सुपुर्द हमने किया है। इसे अगर विकेन्द्रीकरण नहीं तो केन्द्रीकरण तो नहीं कहा जा सकता। हम ने यह भी किया है कि कंसालिडेशन ऐक्ट के मातहत जिस गांव में कंसालिडेशन आपरेशन शुरू हों वहां गांव की एक समिति दी है और उसके मशविरे से ही

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

उसके कर्मचारी काम करते हैं। तमाम दुनिया भर के डिटेल में उनका कंसल्टेशन होता है और जो प्राविजन है उसके होते हुए हमारे अफसरान उनकी राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह बात पहले के कंसालिडेशन ऐक्ट में नहीं थी, अभी हमने उनको यह अधिकार दिया है। तो गांव समिति होती है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी होती है और दुनिया भर में हम कदम ब कदम बढ़ते जा रहे हैं और जैसे-जैसे गांव के लोग अपने काम में निपुण होते जायेंगे, हमको दरेग नहीं होगी उनको पावर देने में। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल में उनको पावर देने की जरूरत थी। जैसा प्रताप सिंह जी ने कहा, विचार किया जा रहा है कि हम उसको कितना विस्तृत करें, उनको कितनी पावर दें। तो इन सब बातों से यह साबित है कि आपकी सरकार ने जरूर इस तरफ तवज्जह की है।।

अभी हमारे भाई रामसुन्दर जी ने कहा कि होड़ लगी हुई है गवर्नमेंट में, जनता में, और इसमें और उसमें, कि पावर हम अपने अपने हाथ में रखें। यह बातें जो मैंने अभी बतायी हैं वे ही इस बात को दिखाती हैं कि ऐसी कोई होड़ नहीं है। जनता की सरकार है और जनता की सरकार चाहती है कि हम धीरे-धीरे पावर जनता के हाथ में दें। हमारी यह इच्छा कभी नहीं होती कि सारी ताकत हम अपने हाथ में रख कर शासन चलायें और जनता की उपेक्षा करें। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव कब्ल-अज वक्त है। मैं मानता हूं और समझता हूं कि एक स्टेज ऐसा आ सकता है कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोई जरूरत न हो, लेकिन वह स्टेज आया नहीं है। हम भी कामना इस बात की करते हैं, जैसी कि आपकी कामना है, कि एक समाज ऐसा यहां बन जाय कि जिसमें न पुलिस हो, न कलेक्टर हो, न डिप्टी हो, न तहसीलदार हो और न मिनिस्टर की जरूरत पड़े और न अपोजीशन की। सब लोग खत्म हो जायं और वह सम ज ऐसा बन जाय कि जिसमें सब काम ईमानदारी के साथ, सच्चाई और सफाई के साथ होता रहे। लेकिन यह कल्पना है। कब ऐसी स्टेज आयेगी, यह हम नहीं जानते। कम से कम हमारे और आपके जीवन में जो तरीका है हमारा और आपका, इसमें वह स्टेज नहीं आ सकती। बड़े-बड़े खतरात हैं, जैसा कि मैंने बताया।

इस समय इस प्रस्ताव के खिाफ बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं। भावना चाहे अच्छी हो, लेकिन यह इनअपार्चून है। हमारे कुछ मित्रों ने विनोबा भावे को कोट किया, कुछ ने महात्मा गांधी की बात कही और कुछ ने ब्रिटेन की बात कही। बातें सब ठीक हैं, लेकिन जो यहां के हालात हैं उनको देखते हुए वह सब बातें इस वक्त सम्भव नहीं हैं। स्ट्रिक्चर्स कोट कर देने से ही काम नहीं चलता। जहां तक इन स्ट्रिक्चर्स का ताल्लुक है और इस बात का ताल्लुक है कि विकेन्द्रीकरण होना चाहियें, उसमें कोई दो रायें नहीं हैं। उस बात को साबित करने के लिये ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को रेफरेंस देना ठीक नहीं था। इस बात की जरूरत तभी होती जब हमारी और आपकी राय में इख्तिलाफ होता। हम सब इस बात से सहमत हैं कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और इस मामले में हमारी और आपकी राय एक है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यह प्रस्ताव कब्ल अज वक्त है और हमें ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिये कि जिससे हमारे समाज की जो स्थिति है, उसको कुछ नुकसान पहुंच जाय।

बहुत सी बातें कही गयी हैं। कलेक्टर के बारे में भी कहा गया हमारे भाई राम सुन्दर जी ने कहा या किसी और मित्र ने कहा, अगर मैं नाम लेने में गलती कर जाऊं तो माफी चाहूंगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कलेक्टर को वाइसराय आफ दि डिस्ट्रिक्ट कहा था। ब्रिटिश सरकार के जमाने में वह सही में वाइसराय आफ दि डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन आज के कलेक्टर में और उस जमाने के कलेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। हम आप भले ही इसे महसूस न करें, नजरअंदाज करें, लेकिन हमारा कलेक्टर

बेल-बिट्वेड्ड है, सब के साथ ठीक से बर्ताव करता है । पहले का कलेक्टर ऐसा था जो हमारी आपकी तरफ नजर उठाना भी पसन्द नहीं करता था । इस अन्तर को हम नजर-अन्दाज नहीं कर सकते हैं ।

हमारे भाई यशपाल जी ने चेतावनी दी है और धमकी दी है कि जनता उमड़ उठेगी और पावर छीन लेगी, वह मौका नहीं आयेगा । जनता को जब हम पहले ही पावर दे देंगे प्रेजुअली, तरतीब से तो ऐसी नौबत नहीं आयेगी । जनता समझती है, अनाड़ी नहीं है । जनता का विश्वास अगर सरकार में न होता तो यह सरकार यहां पर न होती । लिहाजा मैं अर्ज करता हूं कि ऐसी धमकियों में यह सरकार आने वाली नहीं है और अपनी पोजीशन को खूब समझती है, अपनी जनता को खूब समझती है ।

श्री यशपालसिंह---४२ फीसदी वोट आपको मिले हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसे ही गिना कीजिये और हारते जाइये ।

श्री उपाध्यक्ष---पहले माननीय सीताराम शुक्ल के संशोधन पर राय लिये लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि संकल्प की लाइन तीन और चार के बीच से---"जिलाधीश का पद तोड़ कर उसका कार्य शीघ्र एक निर्वाचित अन्तःकालीन समिति को दे दिया जाय और" वाक्य हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश का शासन ग्राम व जिला स्तर पर शीघ्र विकेन्द्रित करना अत्यन्त वांछनीय है । अतः यह सदन आवश्यक समझता है कि जिलाधीश का पद तोड़ कर उसका कार्य शीघ्र एक निर्वाचित अन्तःकालीन समिति को दे दिया जाय और एक विशिष्ट कमीशन संगठित किया जाय जो विकेन्द्रीकरण की एक सर्वांगीण योजना शीघ्र उपस्थित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ–

पक्ष में-----३१,
विपक्ष में-----९९ ।)

राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में अनूसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व रखने के संबंध में संकल्प

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प पेश करना चाहता हूं :

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा समितियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व रखा जाय ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो मैं पेश कर रहा हूं बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पेज नं० २०६ पर कहा है :---

"While in the selection of members for Public Service Commission, appointments from amongst the members of Backward Classes should continue on as liberal a scale as possible."

[श्री रामवचन यादव]

इसी तरह से इस रिपोर्ट के पेज नं० १४२ पर आर्टिकिल २९७ में भी बहुत-सी बातें कही गई हैं और केन्द्रीय रेलवे सर्विस कमीशन में इस तरह से प्रतिनिधित्व रखा भी गया है। तो यह आवश्यक है कि हमारे देश के पिछड़े हुये वर्ग तथा अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों का जब सेलेक्शन होता है तो इस तरह की व्वस्था हो जाने पर उनको बड़ा संतोष होगा और वे समझेंगे कि हमारे साथ पक्षपात की बात नहीं होगी। मैं यह नहीं कहता कि पक्षपात होता है, लेकिन उनके दिल में बड़ा संतोष होगा और जहां तक चुनाव समितियों का सम्बन्ध है उसमें भी रहने से उनको बड़ा संतोष रहेगा और जो उनके अन्दर भावना है कि हमारे साथ ठीक तरह से न्याय नहीं किया जाता वह उनके दिल से निकल जायगा और हमारे देश में एक ऐसा वातावरण होगा कि सभी लोग महसूस करेंगे कि बहुत ही न्याय हो रहा है।

कभी-कभी चुनाव समितियों में ऐसा होता है कि बहुत से पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के जो स्कूलों में बहुत अच्छे नम्बरों से पास हुये रहते हैं, वह नहीं लिये जाते, बल्कि दूसरे कम नम्बर से पास हुये ले लिये जाते हैं। मैंने इसी सदन में एक बार इस तरह का एक उदाहरण रखा था और आप को शायद वह याद भी होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि इसको रखा जाय। जहां तक संविधान की मंशा है उसमें भी ऐसी व्यवस्था है और उसी के अनुसार हमारे राष्ट्रपति महोदय ने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बनाया था। कमीशन की भी यह राय है और रोजमर्रा के कामों में हम देखते हैं और महसूस करते हैं कि अगर ऐसा हो जाय तो इसमें नुकसान भी नहीं है और कोई खर्चा भी नहीं है तथा उस तबके के लोगों को बढ़ने का मौका मिलेगा। जब उनके बीच के लोग चुनाव समितियों में होंगे तो उनकी वहां जाने की हिम्मत होगी और उनको विश्वास होगा कि उनके साथ न्याय होगा और वे लिये जावेंगे। रोज यहां प्रश्न होते हैं और छोटी नौकरियों में भी अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा नहीं होता है। मैं अपने पड़ोस में ही देखता हूं कि हमारे मैट्रिक पास और बी० ए० पास लोग बेकार हैं। समाजवादी समाज के लिये भी जरूरी है कि शासन में हर वर्ग के लोग हों। मैं यह नहीं कहता कि आप अयोग्य या ऐसे लोगों को लें जिनका चरित्र न हो। ऐसे भी २, ४, १० आदमी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ भावना लाने की जरूरत है। देश के नेताओं की भी राय है और हमारी सरकार का उद्देश्य भी है कि इनको प्राथमिकता दी जाय और मौका दिया जाय।

मैं यह संकल्प पेश करता हूं और सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे स्वीकार करे और सरकार से भी कि वह स्वीकार करे। हमारे माननीय सदस्य अपने विचार इस पर रखेंगे और उसके बाद मैं फिर अपनी बात कहूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---माननीय उपाध्यक्ष, मैं आप की आज्ञा से, इस संकल्प में यह संशोधन पेश करता हूं कि उसके आगे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"तथा सरकारी सभी सेवाओं में पुलिस विभाग की भांति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को ३ वर्ष आयु की छूट दी जाय।"

मान्यवर, रामवचनजी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन और चुनाव समितियों में पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जातियों के लोग लिये जावें। उन्होंने कहा है कि बैकवर्ड क्लासेज ने भी इस तरह की रिपोर्ट दी है। यह बात बिलकुल निर्विवाद है। मैं ज्यादा समय न लेकर सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

जैसे सरकार ने पुलिस विभाग में पिछड़ी जातियों के लोगों की उम्र में ३ साल ज्यादा होने की छूट दे रखी है, मैं चाहता हूं कि जो सरकारी सेवायें हैं उनमें उसी तरह से उनको छूट मिलनी चाहिये, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में वे एक बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी आबादी है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिये और सरकारी सेवाओं में प्रतिनधित्व मिलना चाहिये।

जब हमारी सरकार यह चाहती है कि यह असमानता दूर हो और समानता आये तब यह दृष्टि कोण और भी आवश्यक हो गया है। उनके साथ भी न्याय होना चाहिये। इन्हीं बातों को देखते हुये हमने यह संशोधन रखा है। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावक महोदय इसको स्वीकार करेंगे और यह सदन भी इसको स्वीकार करेगा।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुये इस सदन से आग्रह करूंगा और मुझे भी ऐसा विश्वास था कि स्वराज के बाद जो अपनी हुकूमत होगी उसका कुछ नया नक्शा और ढांचा होगा। यह संकल्प जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, वह साधारण-सा प्रस्ताव है और उन जातियों के बारे में है जो इस देश में काम करने वाली हैं और सदियों से पिछड़ी रही हैं—शिक्षा में, शासन में अर्थ में, यह प्रस्ताव उन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिये है। इससे इस शासन के हितों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता था कि जिन हरिजनों के नाम पर गांधी जी ने एक दल बनाया था, उनको कुछ सुविधायें स्वराज्य के बाद दी जायंगी। लेकिन सरकार ने जब सर्विस कमीशन बनाया तो सरकार ने कहा कि उसमें वही लोग रखे जायंगे जिन्हें दस वर्ष पुराना अनुभव हो। मैं इसको सुनकर हैरान हो गया। १० वर्ष पुराने तो वही लोग होंगे जो पुराने अड़ियल और रूढ़िवाद में विश्वास करने वाले, और जिन्होंने अंग्रेजी राज्य का समर्थन किया था। उनके द्वारा स्वराज्य की बुनियाद, उसका ढांचा और नये समाज का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। उसका मेल तो न पुराने जमाने में रहा और न अब है। आज १३ वर्ष हो गये और सरकार उसी ढर्रे पर चल रही है। सरकार की नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ।

यह बहुत साधारण संकल्प है। मैं समझता हूं, इसको तो सरकार को मान ही लेना चाहिये, क्योंकि उन्होंने कोई अनुपात भी नहीं मांगा है, जिस प्रकार की नौकरियों में १८ प्रतिशत है। वे तो केवल यही कहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। यह बहुत ही सीधा और शुद्ध प्रस्ताव है। वे तो केवल यह कहते हैं कि जिन लोगों की सब से बड़ी संख्या इस प्रदेश में है, उनका कोई प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिये।

मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है प्रदेश की और देश के कुछ लोग जो गांधीवादी विचारधारा के हैं या समाजवादी विचारधारा के हैं, वे तो इस जाति-पांति को बराबर उखाड़ देना चाहते हैं, लेकिन यहां ऐसी भी पार्टियां हैं जो बिरादरीवाद को कायम रखना चाहती हैं। मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हूं जिसका दृष्टिकोण समाजवादी है। उसके बावजूद भी मैं यह मानता हूं कि अगर देश का उत्थान करना है तो जाति के नाम पर नहीं, लेकिन पिछड़े वर्ग के नाम पर जो आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, और हर दृष्टि से पिछड़े हुये हैं, उनको संरक्षण दिया जाय ताकि उस वर्ग के लोग भी इस सरकार में आ सकें और वे इस स्वतन्त्रता के बाद यह सोच सकें कि समाज में हमारा कोई स्थान है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप ११ तारीख को अपना भाषण करेंगे। अब हम उठते हैं, ११ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ११ अप्रैल, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
८ अप्रैल, १९६०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ३९८ पर)

दिनांक २८--२९ मार्च, १९६० की रात में इटावा और सराय भोपत स्टेशनों के बीच मालगाड़ी पर हुई घटना का विवरण

दिनांक २८/२९ मार्च, १९६० की रात में नं० ४४१ अप मालगाड़ी जिसमें 'लखनऊ से आगरा' के लिये मोटर टायरों का एक वैगन भी था, इटावा स्टेशन से ००.३५ बजे (१२.३५ मि० रात) रवाना हुई परन्तु वैकुअम न होने के कारण सराय भोपत के आउटर सिगनल पर यकायक रुक गयी। जब गार्ड इसका पता लगाने के लिये इंजन की ओर जाने लगे तो उन्होंने मोटर टायरों वाले वैगन का दरवाजा खुला पाया। इसके सील मुहर भी टूटे थे और वैकुअम भी कटा था। उन्होंने तुरन्त इस चोरी की घटना की रिपोर्ट जी० आर० पी० व रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इटावा को दी। जी० आर० पी० ने धारा ३७९ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। प्रातःकाल शिकोहाबाद में टायरों की चेकिंग करने पर केवल १४ टायर कम पाये गये। पुलिस ने १२ टायर लाइन के किनारे पड़े हुये बरामद किये। इस तरह केवल २ टायर अभी तक प्राप्त नहीं किये जा सके हैं और मामले की जांच की जा रही है।

———

मत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४–१६ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४०४ पर।)

आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित पुलिस चौकियों को स्थापित हुए ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं किन्तु वे अभी तक मुस्तकिल नहीं हैं

क्रमांक	नाम पुलिस चौकी	थाने का नाम जिसके अधीन है
१	दुबारी	मधुवन
२	रामपुर	मधुवन
३	फूलपुर	अहिरौला
४	सूरजपुर	दोहरीघाट
५	पलिया	पवई
६	अमिला	घोसी

१५––आजमगढ़ जिले में नीचे लिखी पुलिस चौकियों का किराया उनके सामने दिये गये दर से सरकार द्वारा दिया जाता है :––

क्रमांक	नाम पुलिस चौकी	थाने का नाम जिसके अधीन है	किराया
			रु०
१	रामपुर	मधुवन ..	१५
२	दुबारी	मधुवन ..	१५
३	खोरीबाग	मऊ ..	४०
४	दक्षिन टीला	मऊ ..	३९
५	सूरजपुर	दोहरीघाट ..	१२
६	फूलपुर	अहिरोला ..	१०
७	पलिया	पवई ..	१०
८	अमिला	घोसी ..	१५
९	मुबारकपुर	मुबारकपुर ..	२५

१६–क आजमगढ़ जिले में नीचे लिखी पुलिस चौकियों के पास सरकारी भवन हैं :––

क्रमांक	पुलिस चौकी का नाम	थाने का नाम जिसके अधीन है
१	कोपा गंज	मऊ
२	दीदार गंज	सरायमीर
३	बदरका	कोतवाली
४	एलबल	कोतवाली
५	सराय लखन्सी	मऊ

१६(ब) उपरोक्त चौकियों में से पुलिस चौकी कोपागंज को थाने में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्रधान पुलिस निरीक्षक ने सरकार के पास भेजा था जिसके सम्बन्ध में कुछ अन्य आवश्यक सामग्री मंगाई गई है। सूचना एकत्रित हो जाने पर ही कुछ निर्णय ले सकना सम्भव होगा।

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४०६ पर)

झांसी जिले में दिसम्बर, १९५९ तक स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों (राजनीतिक पीड़ितों) अथवा उनके सम्बन्धियों को स्वीकृत पेंशन की सूची

क्रम-संख्या	नाम	रकम रु० न० पै०	विशेष विवरण
१	२	३	४
१	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	४५	रकम का भुगतान हो रहा है।
२	श्री नन्द किशोर किसेदार	४५	,,
३	श्रीमती बेनी बाई पत्नी श्री हर गोविन्द दीक्षित	३०	,,
४	राधा रानी पत्नी श्री बासी राम ..	३०–५०	,,
५	श्री भगवान दास तनय श्री बन्देमातरम ..	२२–५०	,,
६	श्रीमती कशतूरी देवी पत्नी राम नाथ त्रिवेदी ..	२२–५०	,,
७	श्रीमती सुशीला देवी श्रीवास्तव पत्नी नाथूराम ..	२२–५०	,,
८	श्री हीरालाल स्वर्णकार	२१–००	,,
९	श्री अशरफी लाल सक्सेना तनय लक्ष्मी प्रसाद सक्सेना।	३०	,,
१०	श्री बाबू लाल निगम तनय चुन्नीलाल निगम ..	३०	,,
११	श्री खुदाद खान तनय अकबर खां ..	२५	,,
१२	मुहम्मद शेर खां तनय अख्तार शेर खां ..	३०	,,
१३	श्री राम सुभरिन मिश्रा तनय कामता प्रसाद ..	२५	,,
१४	श्री किशोरी सिंह तनय इंदरजीत ..	४०	,,
१५	श्री ठाकुर दास मिश्रा तनय ज्वाला प्रसाद ..	२०	,,
१६	श्री हरदास वर्मा	३०	,,
१७	श्री नन्द किशोर	४०	,,
१८	श्री राजधर जैन तनय जगत राम ..	४०	,,
१९	श्री रनधीर सिंह तनय सुजान सिंह ..	३०	,,
२०	श्री अजुध्या प्रसाद	२०	,,
२१	श्री गया प्रसाद गौहनियार	३०	,,
२२	श्री अजनन्दन किलेदार तनय नन्द किशोर किलेदार	२५	,,
२३	श्री भैरो प्रसाद तनय मूल चन्द	३०	,,
२४	श्रीमती श्याम कुंवर पत्नी बेचन्द्र गुप्ता ..	२५	,,
२५	श्री हल्के सिंह परिहार तनय कमल सिंह ..	३०	,,
२६	श्रीमती रूपा बाई उर्फ प्यारी दुलेया पत्नी घन श्याम दास पाण्डे।	२०	,,
२७	श्रीमती लच्छो या इन्द्रानी पत्नी डाल चन्द ..	२०	,,
२८	श्री रनपत सिंह परिहार तनय सूचा सिंह परिहार	२०	,,
२९	श्री लालमन तिवारी तनय भगवान दीन तिवारी ..	२०	,,
३०	श्री कुन्दन लाल तनय मोहन लाल ..	२०	,,
३१	श्री ग्यासी राम तनय खरू	३०	,,

क्रम-संख्या	नाम	रकम रु० न० पै०	विशेष विवरण
१	२	३	४
३२	श्री गनेशप्रसाद तनय हर प्रसाद सुनार	२०	रकम का भुगतान हो रहा है
३३	,, रामसेवक रिछरिया	५०	,, ,,
३४	,, रामनरायन निगम	२०	,, ,,
३५	,, औतार सिंह	२०	,, ,,
३६	,, कृष्णराव गुप्ता	३५	,, ,,
३७	,, रामलाल तनय अयोध्या प्रसाद ..	२५	,, ,,
३८	,, देवी सिंह तनय सरदार सिंह ..	२०	,, ,,
३९	,, सुन्दर लाल चौबे	२५	,, ,,
४०	,, श्री भरवन अहीर तनय फुक्कू ..	२०	,, ,,
४१	,, मुन्नीलाल मिश्रा तनय बुट्टू लाल ..	२०	,, ,,
४२	,, बाबू सिंह तनय जाहिर सिंह ..	२०	,, ,,
४३	,, रामदुलारे शर्मा तनय कामता प्रसाद	२५	,, ,,
४४	,, मरदन चमार तनय घसुआ चमार ..	२०	,, ,,
४५	,, लाड़ली प्रसाद श्रीवास्तव तनय नरायन दास	२०	,, ,,
४६	,, शेख खुदा बख्श तनय करीम बख्श ..	५०	,, ,,
४७	,, केशवदास वसी तनय दीनानाथ ..	२०	,, ,,
४८	,, पंचम लाल तनय जानकी प्रसाद ..	२०	,, ,,
४९	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रुद्रनरायन सिंह ..	२५	,, ,,
५०	श्री ग्यासीलाल	२०	,, ,,
५१	,, स्वामी स्वाराजा नन्द तनय केशवनन्द ..	४०	,, ,,
५२	,, ब्रजनन्दन शर्मा तनय नारायन दास ..	२५	,, ,,
५३	,, बसन्तलाल मिश्रा तनय शोभाप्रसाद मिश्रा	२०	,, ,,
५४	श्रीमती रामाबाई जोशी पत्नी गंगाधर जोशी ..	४५	,, ,,
५५	,, उमा बाई खेर	२२-५०	,, ,,
५६	श्री रामानन्द राव	३०	७-१२-५८ को मृत्यु हो गई ।
५७	श्रीमती जगरानी देवी, माता चन्द्रशेखर आजाद	२५	२-३-५१ को मृत्यु हो गई ।
५८	श्री मथुरा प्रसाद गांधी	१४	२८-२-५३ तक अदा की गई बाद में खण्डवा को स्थान्तरित ।
५९	,, मनी राम	३०	१६-१०-५४ को मृत्यु हो गई ।
६०	,, बंशीधर वैश्य	१५	४-९-५७ को मृत्यु हो गई ।
६१	,, राम चरन सुनार	२४	पेनशनर पेंशन लेने नहीं आ रहा है ।

क्रम संख्या	नाम	रकम रु० न० पै०	विशेष विवरण
१	२	३	४
६२	श्री लाल चन्द उर्फ हरेछू हरिजन	१०	१८-७-५१ को मृत्यु हो गई।
६३	,, घनश्याम दास पांडे	२४	,, ,,
६४	,, रुद्र नारायण सिंह ..	५०	१०-४-५८ को मृत्यु हो गई।
६५	,, बहादुर सिंह तनय रिसाद सिंह ..	५०	जिला जालौन को स्थानान्तरित।
६६	,, प्यारेलाल यादव तनय मुरली सिंह ..	३०	४-९-५७ को मत्यु हो गई।
६७	, अयोध्या प्रसाद तनय परमानन्द ..	२५	६-६-५८ को मत्यु हो गई।
६८	श्री अवध बिहारी नायक	२०	३०-११-५८ तक अदा की गई। उसके बाद ए० जी० द्वारा रोक दी गई।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४२१ पर।)

भारत सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता से खुले नवीन ४८ नार्मल स्कूलों की सूची

लड़कों के ४२ नार्मल स्कूल

क्रम-संख्या	स्थान का नाम	जिला
१	बरौत ग्रामीण क्षेत्र	मेरठ
२	हस्तिनापुर ,,	मेरठ
३	दानपुर ,,	बुलन्दशहर
४	कांधला ,,	मुजफ्फरनगर
५	मुजफ्फरनगर नगरी क्षेत्र	मुजफ्फरनगर
६	रुड़की ,,	सहारनपुर
७	इतमादपुर ग्रामीण क्षेत्र	आगरा
८	कुरौली ,,	मैनपुरी
९	गोवर्द्धन ,,	मथुरा
१०	गभाना ,,	अलीगढ़
११	एटा नगरी क्षेत्र	एटा
१२	नगीना नगरी क्षेत्र	बिजनौर
१३	आंवला ग्रामीण क्षेत्र	बरेली
१४	तिलहर ,,	शाहजहांपुर
१५	विसलपुल ,,	पीलीभीत
१६	शिवकुटी नगरी क्षेत्र	इलाहाबाद
१७	औरैया ग्रामीण क्षेत्र	इटावा
१८	खजुहा ,,	फतेहपुर
१९	कमालगंज ,,	फर्रुखाबाद
२०	पुखरैया ,,	कानपुर
२१	कुलपहाड़ ,,	हमीरपुर
२२	जगम्मनपुर ,,	जालौन
२३	मऊरानीपुर ,,	झांसी
२४	शिवपुर नगरी क्षेत्र	वाराणसी
२५	मढियाहूँ ग्रामीण क्षेत्र	जौनपुर
२६	राबर्टगंज ,,	मिर्जापुर
२७	अमेठी ,,	सुल्तानपुर
२८	रायबरेली नगरी क्षेत्र	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लड़कों के ४२ स्कूल

क्रम-संख्या	स्थान का नाम				जिला
२९	ओहल	ग्रामीण क्षेत्र	..	.. ..	लखीमपुर खीरी
३०	गनेशपुर	,,	..	.. ..	बाराबंकी
३१	कछौना	,,	..	.. ..	हरदोई
३२	मौरावां	,,	..	.. ..	उन्नाव
३३	तारीमपुर	,,	..	.. ..	सीतापुर
३४	पिपरैच	,,	..	.. ..	गोरखपुर
३५	गोसाईंगंज	,,	..	.. ..	फैजाबाद
३६	बांसी	,,	..	.. ..	बस्ती
३७	बरहज	,,	..	.. ..	देवरिया
३८	उतरौला	,,	..	.. ..	गोंडा
३९	बूंदी	,,	..	.. ..	बहराइच
४०	मुहमदाबाद गुहाना			.. ..	आजमगढ़
४१	ज्यूलीकोट	,,	..	.. ..	नैनीताल
४२	गौचर	,,	..	.. ..	पौड़ी गढ़वाल

६ बालिका नार्मल स्कूलों की सूची

१	हरद्वार नगरी क्षेत्र		..	.. ..	सहारनपुर
२	पाण्डुनगर	ग्रामीण क्षेत्र	..	.. ..	कानपुर
३	बड़ागांव	,,	..	.. ..	वाराणसी
४	गाजीपुर नगरी क्षेत्र		..	.. ..	गाजीपुर
५	बलिया	,,	..	.. ..	बलिया
६	प्रतापगढ़	,,	..	.. ..	प्रतापगढ़

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४२२ पर)

जिला बदायूं में १ अप्रैल, सन् १९५९ से फरवरी, १९६० तक कुल २२ डाके निम्नलिखित स्थानों पर पड़े

(१) ग्राम जसवां	(२) जगल मौजा उघैनी	(३) जगन्नाथपुर
(४) मलगांवा	(५) कटरा सआदतगंज	(६) किरय्या
(७) गुलड़िया	(८) हिन्डोरा	(९) बदरपुर
(१०) बिचौला	(११) बनगढ़	(१२) बन्नी
(१३) अजनावर	(१४) बल्लिया	(१५) बिहारी की गौटिया
(१६) जरासी	(१७) गौसय नगला	(१८) निजामपुर
(१९) छछऊ	(२०) कुन्डरागूजर	(२१) मुगररामहानगर
(२२) जरवौरा		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर।)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों का नाम	अनुदान प्रारम्भिक		
			पोषण अनुदान	महंगाई अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६
बालकों के विद्यालय—					
१	सहारनपुर	गुरुकुल कांगड़ी इन्टर कालेज पो० कांगड़ी	३,२०४	३००	३,५०४
२	,,	उ० मा० वि० टांको सुन्दरपुर	२,४३६	५४०	२,९७६
३	,,	जनता उ० मा० वि० अम्बेहटाचांद	२,७७२	३६०	३,१३२
४	मुजफ्फरनगर	लाजपतराय ,, ,, थानाभवन	२,४७२	२४०	२,७१२
५	,,	जनता ,, ,, मुस्तफाबाद पंचेडा	२,५०८	३००	२,८०८
६	मेरठ ..	उदय प्रताप ,, ,, सपनावत	१,९०८	४२०	२,३२८
७	,,	श्री पटेल स्मारक ,, धौलाना	२,६८८	३००	२,९८८
८	,,	राष्ट्रीय ,, ,, लावड़	३,३९६	३००	३,६९६
९	बुलन्दशहर	स्वतंत्र भारत ,, ,, कलौदा	२,१२४	३६०	२,४८४
१०	,,	आदर्श शिक्षासदन ,, नारसैना	२,९५२	५४०	३,४९२
११	अलीगढ़	श्री लक्ष्मीराज ,, ,, गभाना	३,५६४	३००	३,८६४
१२	,,	श्री जाटव ,, ,, नूनेर दरवाजा	३,७६८	२८०	४,०४८
१३	मथुरा ..	श्री रिषभ जैन ,, ,, चौरासी	२,८४४	२६०	३,१०४
१४	आगरा ..	मोतीलाल ,, सैंया	२,१८४	३००	२,४८४
१५	,,	जनता ,, ,, गढ़ीदरी फतेहाबाद	२,५०८	४००	२,९०८

क्रम-संख्या	जिले का नाम	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का नाम	अनुदान प्रारम्भिक		
			पोषण अनुदान	महंगाई अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६
१६	एटा ..	श्री गांधी विद्या- मंदिर फतेहपुर	उ० मा० वि० २,६६४	२४०	२,९०४
१७	बरेली ..	आत्माराम बलिया।	,, ,, २,५६८	३००	२,८६८
१८	,,	श्री गांधी शाही	,, ,, २,०४०	३४०	२,३८०
१९	बिजनौर	राजा भारत सिंह, नागल	,, ,, २,४७२	३००	२,७७२
२०	बदायूं ..	के एम० इस्लामनगर	,, ,, २,७६०	३००	३,०६०
२१	फर्रुखाबाद	ए० बी० शमसाबाद	,, ,, ३,१६८	२४०	३,४०८
२२	इटावा ..	श्री बिहारी जी अहेरीपुर	,, ३,४२०	३००	३,७२०
२३	कानपुर ..	दयानन्द मांडल उद्योग-शाला, उ० मा० वि० गोविन्दनगर	,, १,०७२	७४०	३,८१२
२४	फतेहपुर ..	आदर्श उ० मा० वि० कोरा, जहानाबाद	,, २,६४०	२४०	२,८८०
२५	इलाहाबाद	शंकरगढ़ शंकरगढ़	,, १,३५६	३००	१,६५६
२६	बांदा ..	आदर्श पो० मानिकपुर	,, ,, १,८१२	२३०	२,०४२
२७	हमीरपुर	गोविन्द विद्यालय गहरौली	,, १,८८४	२४०	२,१२४
२८	वाराणसी	सेवाश्रम सुरियावां	,, ,, २,७६०	३८०	३,१४०
२९	,,	अमरशहीद ऐयर	,, २,५२०	२७०	२,७९०
३०	,,	श्री कच्चाबाबा झल्लूपुर	,, २,६८८	४८०	३,१६८
३१	,,	जनता जनार्दन दबारिया	,, १,८६०	२८०	२,१४०
३२	,,	ग्राम विद्यापीठ गड़खरा	,, १,२९६	३००	१,५९६
३३	मिर्जापुर	श्रीमती देवीकली जमालपुर	,, २,९७६	२४०	३,२१६

क्रम-संख्या	जिले का नाम	उत्तर माध्यमिक विद्यालयों का नाम	अनुदान प्रारम्भिक		
			पोषण अनुदान	महंगाई अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६
३४	,,	महाशक्ति ब्रह्माश्रम ,, बिहासड़ा उ० मा० वि०	१,५९६	२६०	१,८५६
३५	,,	श्री केशरवानी वैश्य .. पाठशाला उ० मा० वि० डंकिनगंज	२,१२४	४२०	२,५४४
३६	जौनपुर	उ० मा० वि० ग्राम व पोस्ट बरेरी	१,९४४	४८०	२,४२४
३७	,,	उ०मा०वि० नेवडिया बाजार	३,७३२	४८०	४,२१२
३८	गाजीपुर	बापू उ० मा० वि० सादात	२,२६८	२४०	२,५०८
३९	बलिया ..	श्री अन्नूराय, उ० मा० वि० बासथाना चौराकारों	१,३३२	२४०	१,५७२
४०	लखनऊ ..	रामभरोसे उ० मा० वि० मैकूलाल तेलीबाग, खरका	२,४१२	३६०	२,७७२
४१	उन्नाव ..	वी०डी० त्रिपाठी उ०मा०वि० मियांगंज	२,५५६	२४०	२,७९६
४२	रायबरेली	श्री सुभाष पशुपति नाथ विद्यापीठ उ० मा० वि० तिलोई	३,२८८	२४०	३,५२०
४३	प्रतापगढ़	महादेव प्रसाद जायसवाल उ० मा० वि० महादेव-नगर	२,४७२	३००	२,७७२
४४	,,	उ० मा० वि० संग्रामगढ़	२,२५६	२४०	२,४९६
४५	सुल्तानपुर	पब्लिक ,, चौकिया	२,७२४	२४०	२,९६४
४६	,,	श्री चन्द्र राष्ट्रीय महा-विद्यालय, उ० मा० वि० गोसाईगंज पो० फतेहपुर संगत	१,४४०	२८८	१,७२८
४७	,,	श्री हनुमत, उ० मा० वि० धम्मौरा	२,२८०	३८८	२,६६८
४८	गोरखपुर	श्रीमोतीलाल उ० मा० वि० दुधारा	१,३५६	३००	१,६५६
४९	देवरिया	शिवाजी, खुखुन्डू	२,२६८	३००	२,५६८
५०	,,	देवरहवा बाबा .. भागलपुर।	२,७२४	३१०	३,०३४
५१	बस्ती	गन्ना विकास,, मुडेरवा	३,०६०	३००	३,३३०
५२	आजमगढ़	नेशनल उ० मा० वि० अदरी इन्दारा।	२,६७६	२४०	२,९१६

क्रम-संख्या	जिले का नाम	उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों का नाम	अनुदान प्रारम्भिक		
			पोषण अनुदान	मंहगाई अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६
५३	"	तरण „ कुन्डा कुचाई पो० सिपाह इब्रा-हिमाबाद	२,३६४	३००	२,६६४
५४	"	उद्योग „ कोयलसा	१,३५६	४२०	१,७७६
५५	"	श्री शंकरजी „ पुष्पनगर	२,७४८	२४०	२,९८८
५६	"	नेशनल „ मुहम्मदपुर सदर	२,२३२	२४०	२,४७२
५७	गढ़वाल	उ० मा० वि० देहल चौरी रावतस्यूं	२,३८८	१८०	२,५६८
बालिकाओं के विद्यालय—					
५८	मेरठ ..	म्युनिसिपल गर्ल्स उ० मा० वि० गाजियाबाद	४,४१६	..	४,४१६
५९	देहरादून	श्री महाबीर जैन पाठशाला, आनन्द चौक	२,०१६	४२०	२,४३६
६०	बुलन्दशहर	गोविन्द राम डी० ए० वी० कन्ना विद्यालय उ० मा० वि० अनूपशहर	२,४२४	१८०	२,६०४
६१	मुरादाबाद	ब्रिज रतन सुन्दर आर्य कन्या विद्यालय संभल	१,८१२	१८०	१,९९२
६२	वाराणसी	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बालिका उ० मा० वि० ग्यानपुर	२,०६४	..	२,०६४
६३	हरदोई ..	बाल बिहार उ० मा० वि०	२,४९६	३००	२,७९६
६४	मेरठ ..	गोपाल कन्या जू० हा० स्कूल कांकर, खेरा	२,१००	३००	२,४००
६५	बांदा ..	ओमर वैश्य बालिका विद्यालय जू० हा० स्कूल	१,४५२	६४०	२,०९२

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४९–१५१ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

कवाल टाउन्स	सड़क दुर्घनाओं की सं०	सांघातिक साबित हुयी दुर्घटनाओं की संख्या	सांघातिक साबित होने वाली दुर्घटनाओं में से कितने मामलों में अभियुक्त पकड़े गये	कितने अभियुक्तों को न्यायालयों से दंड प्रदान किया गया
लखनऊ ..	२७४	१४	११	१
कानपुर ..	९०	२६	१३	८
इलाहाबाद ..	४७	२९	१८	१५
आगरा ..	३३	१५	१५	७
वाराणसी ..	४७	९	९	४

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

	१९५७–५८ रु०	१९५८–५९ रु०	१९५९–६० रु०	योग रु०
१—देहरादून ..	४,७६,१७०	५,२३,३८०	५,२७,०२०	१५,२६,५७०
२—सहारनपुर ..	९,२८,०८०	१०,७५,५६०	१०,८२,९६०	३०,८६,६००
३—मुजफ्फरनगर ..	७,४३,२४०	८,७९,१५०	८,८६,०८०	२५,०८,४७०
४—मेरठ ..	९,६३,९९०	११,४५,२४०	११,५२,२७०	३२,६१,४००
५—बुलन्दशहर ..	६,३३,६३०	७,२२,५७०	७,२५,२००	२०,८१,४००
६—अलीगढ़ ..	८,०३,८२०	९,६०,४६०	९,६७,९२०	२७,३२,२००
७—मथुरा ..	७,९६,५००	९,३५,९००	९,४१,२१०	२६,७३,६१०
८—आगरा ..	८,३७,१००	९,७६,६००	९,८३,१९०	२७,९६,८९०
९—मैनपुरी ..	७,८२,१६०	९,४४,०६०	९,५२,४६०	२६,७८,६८०
१०—एटा ..	८,७०,२८०	९,९३,६५०	१०,००,२१०	२८,६४,१४०
११—बरेली ..	७,५५,४००	८,८८,५८०	८,९५,४९०	२५,३९,४७०
१२—बिजनौर ..	८,६५,३२०	९,७९,३१०	९,८५,५६०	२८,३०,१९०
१३—बदायूं ..	७,१०,६००	८,२८,४५०	८,३५,१४०	२३,७४,१९०
१४—मुरादाबाद ..	८,०३,९३०	९,४०,८१०	९,४७,४७०	२६,९२,२१०
१५—शाहजहांपुर ..	८,११,१६०	९,५२,२६०	८,५८,५३०	२७,२१,९५०
१६—पीलीभीत ..	५,५४,२९०	६,३१,०३०	६,३५,०१०	१८,२०,३३०
१७—फर्रुखाबाद ..	८,१८,५३०	९,९६,३१०	१०,०४,४५०	२८,१९,२९०
१८—इटावा ..	७,५३,५५०	८,८३,७६०	८,९०,८८०	२५,२७,५९०
१९—कानपुर ..	९,४०,८१०	११,३३,६४०	११,४१,२४०	३२,१५,६९०
२०—फतेहपुर ..	६,५७,९२०	७,४५,३७०	७,४९,३६०	२१,५२,६५०
२१—इलाहाबाद ..	१०,४६,६५०	११,९९,९००	१२,०६,९८०	३४,५३,५३०
२२—बांदा ..	६,९८,५३०	८,०७,७४०	८,१२,२२०	२३,१८,४९०
२३—हमीरपुर ..	६,७१,८३०	७,५४,११०	७,५८,१३०	२१,८४,०७०
२४—झाँसी ..	६,४१,८००	७,३७,२९०	७,४२,२७०	२१,२१,३६०
२५—जालौन ..	६,२०,४००	७,०६,०२०	७,१०,३१०	२०,३६,७३०
२६—वाराणसी ..	१२,२६,८७०	१४,३६,३९०	१४,४१,६२०	४१,०४,८८०
२७—मिर्जापुर ..	१०,१२,३४०	११,२४,६५०	११,३१,९००	३२,६८,७९०
२८—जौनपुर ..	१०,०७,५२०	११,७६,७७०	११,८२,५४०	३३,६६,८३०
२९—गाजीपुर ..	७,२०,६२०	८,८०,०९०	८,८४,६४०	२४,८५,३५०
३०—बलिया ..	९,७४,०७०	११,६४,९००	११,७१,०४०	३३,१०,०१०

	१९५७–५८ रु०	१९५८–५९ रु०	१९५९–६० रु०	योग रु०
३१—भदोही सब बोर्ड	४,६०,७१०	५,४०,२५०	५,४३,६७०	१५,४४,६३०
३२—गोरखपुर	१२,३९,४८०	१४,५७,९३०	१४,६६,११०	४१,६३,५२०
३३—देवरिया	१०,४४,३७०	१२,७५,०५०	१२,८३,५८०	३६,२३,०००
३४—बस्ती	११,४४,७५०	१३,९५,२३०	१४,०६,८६०	३९,४६,८४०
३५—आजमगढ़	११,८६,५७०	१३,८७,३००	१३,९४,०३०	३९,६७,९००
३६—नैनीताल	५,१६,७००	६,०१,३२०	६,३०,६१०	१७,४८,६३०
३७—अल्मोड़ा	८,७३,६१०	१०,०५,६००	१०,२५,८३०	२९,०५,०४०
३८—पौड़ी-गढ़वाल।	९,४१,४२०	१०,५०,०१०	१०,८०,८७०	३०,७२,३००
३९—लखनऊ	५,८८,०२०	६,६७,७३०	७,७१,३००	२०,२७,०५०
४०—उन्नाव	७,८०,७४०	९,३४,८६०	९,४४,७२०	२६,६०,३२०
४१—रायबरेली	७,६१,०३०	८,९१,५२०	८,९७,४७०	२५,५०,०२०
४२—सीतापुर	८,०२,३७०	९,१६,२६०	९,२१,०८०	२६,३९,७१०
४३—हरदोई	९,३५,९७०	११,१८,७००	११,२८,०७०	३१,८२,७४०
४४—खीरी	७,७६,७५०	८,९७,०७०	९,०६,७९०	२५,८०,६१०
४५—फैजाबाद	९,४६,११०	११,१३,४३०	११,२०,१४०	३१,७९,६८०
४६—गोंडा	९,६९,२९०	११,५०,६३०	११,६०,९३०	३२,८०,८५०
४७—बहराइच	८,२४,२५०	९,५३,५२०	९,५८,७५०	२७,३६,५२०
४८—सुल्तानपुर	७,६३,४००	८,८९,७१०	८,९५,९२०	२५,४९,०३०
४९—प्रतापगढ़	७,७५,८९०	९,१५,३८०	९,२०,२३०	२४,११,५००
५०—बाराबंकी	७,५१,८६०	८,६६,१५०	८,७१,११०	२४,८९,१२०
योग ..	४,१२,१०,४००	४,८१,५१,६००	४,८६,३०,६७०	१३,७९,९२,६७०

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

जिला बाराबंकी के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६० ई० से ५ मार्च, १९६० ई० तक किन-किन थानों कहां-कहां किस व्यक्ति के घर डकैती, कत्ल की घटनायें हुईं, उनका विवरण तालिकाओं में नीचे दिया हुआ है—

डकैती की घटनायें

क्रम-संख्या	नाम थाना	नाम ग्राम	व्यक्ति का नाम जिसके यहां डकैती पड़ी
१	कोतवाली	कोरिनपुरवा	महिपाल सिंह।
२	सफदरगंज	जहांगीराबाद	शिवगोपाल।
३	राम नगर	दुर्गापुर	जानकी सरन।
४	कोठी	बड़ा पुवां	मैदा चमारिन।
५	कोठी	शाहपुर	इश्वरी।
६	कोठी	आदमपुर भटपुरा	राम दयाल।
७	लोनी कटरा	राम नगर	बलदेव प्रसाद।
८	लोनीकटरा	मंगलपुवां	राम औतार।
९	मेलसर	त्वकापुरवा	सोहवती लोध।
१०	टिकेयतनगर	चन्दौली	राम सेवक।

कत्ल की घटनायें

क्रम-संख्या	नाम थाना	नाम ग्राम	व्यक्ति का नाम जिसका कत्ल हुआ
१	रामनगर	मोहीउद्दीनपुर	सूरन पाल।
२	रामनगर	किन्तूर	हाजीगुलाम नवी।
३	फतेहपुर	मदनापुर	लल्लू।
४	कुर्सी	जैचन्दपुर	श्याम लाल।
५	फतेहपुर	मुश्काबाद	इन्द्रदवन।
६	कुर्सी	बिसई	छोटेलाल।
७	कोठी	वसंतपुर	श्रीमती फुलेसरा।
८	लोनीकटरा	मारुफपुर	श्रीमती दुधुवा।
९	राम सनेही घाट	दरियाबाद	शिव रत्न।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२९ पर)

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०

(जैसाकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करने के लिये,

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के ग्यारहें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उ० प्र० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ के लम्बे शीर्षक का संशोधन

२—यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के लम्बे शीर्षक में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की प्रस्तावना का संशोधन

३—मूल अधिनियम की प्रस्तावना में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा १ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २ में :

(१) खण्ड (j) के अंत में आया हुआ शब्द "and" निकाल दिया जाय ;

(२) खण्ड (k) के अन्त में आये हुए फुलस्टाप के स्थान पर एक सेमीकोलन तथा शब्द "and" रख दिये जायं; और

(३) खण्ड (k) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (1) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(1) 'auxiliary nurse-midwife' means a person who holds a certificate in auxiliary nurse-midwifery from any institution recognized by the Council in this behalf."

६--मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (b) (v) में शब्द "and assistant midwives" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and assistant midwives" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा ४ का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and heaıth visitors" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा १७ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १८ की : — यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा १८ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में :

(क) शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं तथा

(ख) शब्द "or health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (२) में शब्द "or health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "an auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं।

९--मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा १९ का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा २० में शब्द "or health visitors" के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २० का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (१) में: — यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २१ का संशोधन

(१) शब्द "or health visitors" के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं;

(२) जहां भी शब्द "or health visitors" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिय जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २३ का संशोधन

१२--मूल अधिनियम की धारा २३ में :

(१) शब्द "and health visitor" के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं ;

(२) शब्द "or health visitor" के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं; तथा

(३) शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट, संख्या १५, १९३४ की धारा २६ का संशोधन

१३--मूल अधिनियम की धारा २६ में जहां भी शब्द "or health visitor" आये हों, उनके स्थान पर एक कामा तथा शब्द "an auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २८ का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा २८ की :

(१) उपधारा (१) में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं; तथा

(२) उपधारा (२) में जहां भी शब्द "or health visitors" आये हों, उनके स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २९ का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा २९ में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा ३१ का संशोधन

१६--मूल अधिनियम की धारा ३१ में जहां भी शब्द "or health visitor" आये हों, उनके स्थान पर एक कामा तथा शब्द "an auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा ३३ का संशोधन

१७--मूल अधिनियम की धारा ३३ की :

(१) उपधारा (२) में--

(क) जहां भी शब्द "and health visitors" आये हों, उनके स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors." रख दिये जायं ; तथा

(ख) शब्द "or health visitor" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं ।

(२) उपधारा (३) में जहां भी शब्द "and health visitors" आये हों, उनके स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं ।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारिवर्ग (Health personnel) के, जिसे आक्जीलियरी नर्स-मिडवाइव्ज (सहायक उपचारिका धात्री वर्ग) कहा गया है, प्रशिक्षण की एक नयी योजना चालू की गयी है। यह प्रशिक्षण मिडवाइव्ज (धात्रियों) के प्रशिक्षण के स्थान पर दिया जा रहा है। यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ में इन आक्जीलियरी नर्स-मिडवाइव्ज की रजिस्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं है। इस ऐक्ट में केवल नर्सेज (उपचारिकाओं), मिडवाइव्ज (धात्रियों), असिस्टेंट मिडवाइव्ज (सहायक धात्रियों) तथा हेल्थ विजिटर्स (स्वास्थ्य निरीक्षकाओं) की रजिस्ट्री की व्यवस्था है। चूंकि यह इष्टकर है कि आक्जीलियरी नर्स-मिडवाइव्ज की भी रजिस्ट्री की व्यवस्था की जाय, इसलिये उक्त ऐक्ट का संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२९ पर।)

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८

कुछ प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ का खण्ड (ग) निकाल दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(क) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(२) उपधारा (२-क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियंत्रक प्राधिकारी में निम्नलिखित नौ से अनधिक सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) सचिव, स्वायत्त शासन, या उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जिसका पद परगना (सब-डिवीजनल) मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हो, जो सभापति भी होगा;

(ख) राज्य सरकार के नामांकी (nominees) जिनमें अन्य के साथ निम्नांकित भी हो सकते हैं ;

(१) उस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट जिसमें विनियमित क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग स्थित हो;

(२) उस म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटोफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेंट, जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि विनियमित क्षेत्र एक से अधिक स्थानीय निकायों की सीमाओं के भीतर हो तो नियन्त्रक-प्राधिकारी ऐसे स्थानीय निकाय/निकायों के किसी/किन्हीं अन्य, प्रेसीडेण्ट/प्रेसीडेण्टों को अनुयुक्त (co-opt) कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये "प्रेसीडेण्ट" के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी होगा जो यथास्थिति यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन प्रेसीडेण्ट के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो।"

(ख) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (२-क) के रूप में बढ़ा दी जाय :

"(२-क) नियन्त्रक प्राधिकारी को एक या दो अन्य व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में अनुयुक्त करने का अधिकार होगा"

(ग) उपधारा (५) निकाल दी जाय।

४—मूल अधिनियम की धारा ६ और ७ की उपधारा (४) के प्रतिबंधात्मक खंड में शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं। — उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा ६ तथा ७ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ८-क तथा ८-ख के रूप में बढ़ा दी जाय—

"८-क—नियत प्राधिकारी, राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्, अपने सभी या किन्हीं अधिकारों और कृत्यों को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है ।"

"८-ख—नियत प्राधिकारी, नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए—

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई विधिक कार्यवाही निविष्ट कर सकता है उसका प्रतिवाद कर सकता है या उसे वापस ले सकता है ;

(ख) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियम अथवा प्रचारित किसी आदेश के अधीन अपराध का अभिसंधान (compound) कर सकता है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके सम्बन्ध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है ।"

६—मूल अधिनियम की धारा १० की— — उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा १० का संशोधन

(क) तीसरी पंक्ति में शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निर्माण या पुनः निर्माण अथवा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्त्तन" रख दिये जायं और चौथी पंक्ति में दोनों स्थानों से शब्द "निर्माण" निकाल दिया जाय।

(ख) सांतवी पंक्ति में शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निर्माण, पुनः निर्माण या महत्वपूर्ण परिवर्तन" रख दिये जायं।

(ग) प्रथम पंक्ति में शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा १५ का संशोधन

७---मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) की प्रथम पंक्ति में आये हुये शब्द "की आज्ञा" के स्थान पर शब्द "अथवा धारा १० के अधीन किसी निर्माण को गिराने अथवा इस अधिनियम के अधीन दंड्य किसी अपराध का अभियोजन प्रारम्भ करने की आज्ञा" रख दिये जायं।

राज्य सरकार का पुनरीक्षण का अधिकार

८---मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५-क के रूप में बढ़ा दी जाय :

"१५-क---राज्य सरकार, किसी भी समय स्वत: या तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर दी गयी किसी आज्ञा या प्रचारित आदेश की वैधता अथवा उस के औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और वह उस के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती है या आदेश प्रचारित कर सकती है, जो वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगी जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।"

प्रार्थना-पत्रों आदि पर शुल्क लगाया जाना

९---मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) में निम्नलिखित नये खंड-(छछ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(छछ) इस अधिनियम की धारा ५ और १४ में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में इसकी धारा ७(१) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रार्थना-पत्र पर, लेखों तथा मानचित्रों आदि का प्रतिलिपियों के लिए, प्रार्थना-पत्र पर तथा अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत अपील के ज्ञापन पर शुल्क लगाना।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ में नियत प्राधिकारी के अधिकारों और कृत्यों के प्रतिनिधान या राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण-अधिकारों के प्रयोग अथवा निर्यात-प्राधिकारी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने तथा उसका प्रतिवाद करने, अथवा अनुज्ञा दिये जाने, और लेखों आदि की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्रों और अपील के ज्ञापन पर शुल्क लगाने की व्यवस्था नहीं है। पुर्वोक्त विषयों की व्यवस्था करने और अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वय से अनुभूत कुछ अन्य ऐसी कठिनाइयां दूर करने के उद्देश्य से, यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० ए०---पी०---२९ एल०ए०---१९६०---८४५।